अष्टम माला, खंड 20, अंक 22

बुधवार, 20 अगस्त, 1986
29 श्रावण, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

छठा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 20 में अंक 21 से 24 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

सप्तम माला, खंड 20, छठा सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 22, बुधवार, 20 अगस्त, 1986/29 श्रावण, 1908 (शक)

विषय			पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	...		4—7 व 7—10
राज्य-सभा से संदेश	...	...	11
विधेयक-पुर:स्थापित			
(एक) दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा विधेयक	...	...	11—12
(दो) कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक	...	...	12
नियम 377 के अधीन मामले	...	...	12—17
(एक) संसद की कार्यवाही की विस्तृत समीक्षा दूरदर्शन और आकाशवाणी पर दिये जाने की आवश्यकता			
श्री शांताराम नायक	...	...	12—13
(दो) पश्चिम बंगाल में एक परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता			
श्री आशुतोष लाहा	...	...	13—14
(तीन) नागपुर शहर के रेल यात्रियों को अधिक-सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता			
श्री बनवारी लाल पुरोहित	...	...	14—15
(चार) बाढ़ से कुप्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को 50 करोड़ रुपये स्वीकृत करने तथा राज्य में एक विपदा प्रबन्धन संस्थान की स्थापना करने की आवश्यकता			
डा० चिन्ता मोहन	...	...	15

विषय पृष्ठ

(पांच) बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाएं क्रियान्वित करने के लिए असम राज्य सरकार को और अधिक वित्तीय सहायता देने की मांग

श्री एम०आर० सैकिया 15

(छह) कपास उत्पादकों की दशा सुधारने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता

श्री दिग्विजय सिंह ... ... 15—16

(सात) तेल और गैस की खोज के लिए राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में ड्रिलिंग शुरू करने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 16

(आठ) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सैफदाबाद रेल फाटक पर एक ऊपरि पुल बनाने की आवश्यकता

श्री कमला प्रसाद रावत 17

(नौ) मध्य प्रदेश में "धोबी" समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता

श्री के०एन० प्रधान 17

राष्ट्रीय सुरक्षक विधेयक ... ... 17—82

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री अजय मुशरान ... ... 18—20

श्री अताउर्रहमान ... ... 20—22

श्री मोहम्मद अयूब खां ... ... 22—23

श्री इन्द्रजीत गुप्त ... ... 23—28

श्री टी० बशीर ... ... 28—29

श्री अरुण नेहरू ... ... 29—32

श्री मानवेन्द्र सिंह ... ... 32—35

श्री अजीत सिंह बाभी ... ... 35—37

विषय			पृष्ठ
	श्री काली प्रसाद पाण्डेय	... ...	37—38
	श्री मनोज पांडे	... ...	39—40
	श्री गिरधारी लाल व्यास	... ...	41—43
	श्री केयूर भूषण	... ...	43—45
	श्री हरीश रावत	... ...	45—47
	श्री गुलाम नबी आजाद	... ...	47—49
खण्ड 2 से 140 और 1		... ...	55—79
पारित करने के लिए प्रस्ताव			
	श्री गुलाम नबी आजाद	... ...	56—82
	श्री मूल चन्द डागा	... ...	55—82
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (भूतलक्षी छूट) विधेयक		... ...	82—111
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
	श्री जनार्दन पुजारी	... ...	83—84
	श्री विजय कुमार राजू	... ...	85—86
	श्री गिरधारी लाल व्यास	... ...	86—88
	श्री अमल दत्त	... ...	88—94
	डा० गौरी शंकर राजहंस	... ...	94—95
	श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर	... ...	95—98
	श्री गिरधारी लाल डोगरा	... ...	98—99
	प्रो० एन०जी० रंगा	... ...	99—100
	श्रीमती गीता मुखर्जी	... ...	100—103
	श्री हरूभाई मेहता	... ...	103—105
	श्री जनार्दन पुजारी	... ...	106—109
खण्ड 2 और 1		... ...	109—111
पारित करने के लिए प्रस्ताव			
	श्री जनार्दन पुजारी	... ...	109—111

विषय			पृष्ठ
आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक	...	...	111—114
पारित करने के लिए प्रस्ताव			
श्री ए०के० पांजा	...	...	111—112
श्री मानिक रेड्डी	...	...	113—114
आधे घण्टे की चर्चा		...	114—124
मुरादनगर स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के एकक का दादरी में स्थानान्तरण			
श्री के०एन० सिंह	...	...	114—117
श्रीमती सुशीला रोहतगी	...	...	118—124

लोक सभा

बुधवार, 20 अगस्त, 1986/29 श्रावण, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

डा० चिन्ता मोहन (तिरुपति) : महोदय, 30 लाख लोगों पर बाढ़ का प्रभाव पड़ा है तथा 90 करोड़ रुपये की सम्पत्ति इससे नष्ट हुई है।

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि आपने मुझे नहीं बताया था फिर भी मैंने पहले ही इस बारे में बात कर ली है, हम परसों बाढ़ पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, क्या आप आज बाढ़ पर चर्चा करने की अनुमति दे रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, हम परसों एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करने वाले हैं। परसों की विषय सूची में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का विषय रखा गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, पिछले सप्ताह ही मैंने एक वक्तव्य देने के लिए आपको एक सूचना दी थी। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जोकि गृह मन्त्रालय के अधीन है, कुछ सरकारी क्षेत्र के एककों की रक्षा करने की आशा की जाती। उन्होंने बोकारों में भारी लाठी चार्ज किया है, जिससे लगभग 150 श्रमिक घायल हो गए। 30 तारीख से एक हड़ताल होने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसका पता लगाना होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने आपको इस बारे में सूचना दी हुई है। आप इस बारे में रिपोर्ट मंगवा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हमने इसके लिए पहले ही कह दिया है? हमें इसका पता लग जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : गृह मंत्री महोदय इसके बारे में जानते हैं कि वहां क्या घटित हुआ है उपमहानिरीक्षक को दण्डित किया जाना चाहिए। अन्यथा 30 तारीख को वहां हड़ताल हो जाएगी।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : महोदय, पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही ने लोकतन्त्र बहाली आंदोलन के प्रति बड़ा सख्त रवैया अपनाया है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस बारे में क्या कर सकते हैं ? मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री सुरेश कुरुप : हमें इसकी निन्दा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह इस देश का आंतरिक मामला है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। बस इतना ही है। इसे आगे मत बढ़ाइये। जब मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है, तो बस यह ठीक है।

श्री सुरेश कुरुप : हमारी सरकार को इसकी निन्दा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम कुछ भी नहीं कर सकते। यह उनका आंतरिक मामला है। हम कुछ भी तो नहीं कर सकते।

श्री वी० वेंकटेश (कोलार) : पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर क्षेत्र में पाकिस्तानी सेनाओं का भारी जमघट हो गया है। अकारण ही गोलीबारी किये जाने के फलस्वरूप कई लोग मारे गये।

अध्यक्ष महोदय : हम इसका पता लगाएंगे, आप इस बारे में सूचना दे सकते हैं।

श्री एस०एम० गुरड्डी : (बीजापुर) महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बताइये कि आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री एस०एम० गुरड्डी : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है।

श्री पी० कुलनवईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : आज एक शुभ समाचार मिला है कि आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय का 42वां जन्म दिन है। हम उनके दीर्घ सुखमय तथा समृद्ध जीवन की कामना करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है।

श्री पी० कुलनवईवेलू : आगे, मैंने 'इण्डिया टूडे' तथा भगवान रजनीश के विरुद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है। उसने कहा है कि···

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में पता करूंगा। हम जरूरी कदम उठाएंगे। हम पता करेंगे।

श्री पी० कुलनवईवेलू : वह एक राष्ट्र-विरोधी व्यक्ति है।

अध्यक्ष महोदय : हम जरूरी कदम उठाएंगे।

श्री पी० कुलनवईवेलू : यह देश के लिए बड़ी ही खतरनाक बात है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका पता लगा कर आपको जानकारी दूंगा मुझे जरूरी कदम उठा लेने दें। अब मैंने इसे कर दिया है।

श्री पी० कुलनवईवेलू : उसने कहा है : "भारत के लिए वह महान दिन होगा जब यह 30 राष्ट्रपतियों तथा 30 प्रधानमंत्रियों के राष्ट्रों का परिसंघ हो जायेगा। उसने ऐसा कहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जरूरी कदम उठाऊंगा। कृपया बैठ जाइये।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, उसी दिन मध्यावकाश के दौरान हम देहली के मजिस्ट्रेटों तथा अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों से मिले थे·····

अध्यक्ष महोदय : इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनकी गम्भीर शिकायतें हैं।

अध्यक्ष महोदय : हो सकती हैं। आप इस पर चर्चा करने के लिए कुछ तो दीजिए। इसे उचित ढंग से लाइये, इस तरह से नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें मजबूर होकर गलियों में आकर अपनी आवाज को उठाना पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : आए होंगे। लेकिन आप कुछ तो दीजिए। मैं इस पर ऐसे ही ध्यान नहीं दे सकता। यह अप्रासंगिक है। ऐसे यह उचित नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने सूचना दी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे देखेंगे।

श्री अमल दत्त (डायमन्ड हार्बर) : सभी राजनीतिक दल, जिनमें यहां सभी लोग सम्मिलित हैं, सरकारी उद्यम का समर्थन करते हैं। लेकिन व्यवहार में होता क्या है। अफसर शाही ने वैगन क्रिया आदेश सरकारी क्षेत्र को न देकर गैर-सरकारी क्षेत्र को दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे कुछ दीजिए। श्री दत्ता जी, मैंने सदैव आपको अनुमति दी है। आप मुझे कुछ दीजिए तो सही। यदि हमारे पास समय हुआ, तथा यदि इसे विचारार्थ स्वीकार कर लिया गया तो हम इस समस्या पर चर्चा करेंगे, जैसा भी आप कहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि यह उपयुक्त पाया जाता है तो इसे विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा।

श्री अमल दत्त : मैंने इसकी सूचना दे दी है। यदि इन वैगन-क्रियादेशों को ले लिया जाता है तो यह कम्पनी फिर से रुग्ण हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम देखेंगे।

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : मैंने तीन बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा स्थगन प्रस्ताव भी दिये हैं.....

अध्यक्ष महोदय : इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता। मुझे 180 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं : और अब समय है नहीं।

डा० दत्ता सामंत : 100 से अधिक फैक्टरियों के बन्द होने तथा 40,000 श्रमिकों पर प्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष महोदय : इसमें क्या है ? अब समय नहीं है।

डा० दत्ता सामंत : यह एक गम्भीर समस्या है जिस पर चर्चा किये जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब समाप्त कीजिए।

डा० दत्ता सामंत : मैंने 3 ध्यानाकर्षण-प्रस्ताव तथा 2 ध्यानाकर्षण दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता है।

[हिन्दी]

आप बैठिए।

11.05 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गनी खान चौधरी आप इसे सभा पटल पर रख सकते है। उन्हें जाना है।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : क्या वह...पर वक्तव्य दे रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। वह पत्र को सभा पटल पर रख रहे हैं।

बीस-सूत्री कार्यक्रम 1986

कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : महोदय, मैं 20 सूत्री-कार्यक्रम 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—3094/86]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने इसे सभा पटल पर रख दिया है ?

श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी : जी, हां।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार के बारे में सूचना दी हुई है.....

अध्यक्ष महोदय : हम पहले ही लिख चुके हैं। पहले हम पता लगा लें, फिर आपको सूचित करेंगे। इसमें समय तो लगता ही है। सभी बातों में समय तो लगता ही है। यह मेरी शक्ति में नहीं है कि सभी बातें ऐसी ही होती जायें।

[हिन्दी]

श्री जितेन्द्र प्रसाद (शाहजहांपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज समाचार पत्रों में 13 आदमियों की मौत की खबर छपी है.....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कानून तथा व्यवस्था सम्बन्धी समस्या है, जिससे राज्य को ही निपटना होता है।

[हिन्दी]

श्री जितेन्द्र प्रसाद : मैं ला० एण्ड आर्डर के बारे में नहीं कह रहा हूं, बात यह है कि उसको टेररिस्ट एक्टीविटी अखबार वालों ने कहा है, जबकि यह टेररिस्ट एक्टीविटी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : नॉट अलाऊड।

(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है यह कानून तथा व्यवस्था की समस्या है जिससे राज्य को ही निपटना होता है।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, जो कि बराबर मुनाफा कमाता आ रहा है, उसके बी०एच०ई०एल० में मर्जर के लिए भारत सरकार···।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं हैं। आप मुझे कुछ दीजिए। इस तरह नहीं। यह उचित तरीका नहीं है। यह अप्रासंगिक बात है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : मैंने रेल मंत्री श्री माधव राव सिंधिया के विरुद्ध एक मूल प्रस्ताव रखा है·····

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसको पहले ही निपटा दिया है। मैंने तथ्यों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाए हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि इस मामले की इस सत्र में ही चर्चा की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने वैसा कुछ भी नहीं कहा है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह मेरा अनुरोध था। सरकार विलंबकारी चालें अपना रही है। वह इसका कोई उत्तर नहीं दे रही है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। कुछ अनुरोधों को माना नहीं जाता। अगर इच्छा मात्र से ही सब कुछ होने लगे, तो फिर क्या कहना।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सरकार इसका उत्तर नहीं दे रही है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें समय लगता है, यह अपना समय लेकर उचित रूप से स्वयं उत्तर देगी।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है । अब इसे और आगे न बढ़ाइये । मैं कार्यवाही कर रहा हूं । मैंने पहले ही उन्हें स्मरण करा दिया है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सरकार इस बारे में कुछ कह नहीं रही है ।

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है । उन्हें उत्तर तो देती ही है ।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सरकार जानबूझ कर विलंबकारी तथा चकमा देने वाली चालें अपना रही है······

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है । मैंने उनको अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री गुरद्दी जी, आप मुझे लिखित रूप में दे सकते हैं ? लेकिन यह एक स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं होना चाहिए ।

श्री एस० एम० गुरड्डी : महोदय, मैंने दे दिया है । मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्र रखे जाएं

11.08 म०पू०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[—जारी]

[अनुवाद]

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अधीन अधिसूचना

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : मैं उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 44 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 485 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को, जो 11 अगस्त, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह घोषणा की गई थी कि किसी कार्यालय सहायक, लेखापाल, टंकक, विक्रेता अथवा नर्स के कार्य को उक्त अधिनियम की धारा (2) की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में दी गई परिभाषा के अंतर्गत कार्य नहीं माना जायेगा, सभापटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए एल०टी०स० 3085/86]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन अधिसूचना और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब से संबंधित विवरण, बिहार फल एवं सागभाजी विकास निगम लिमिटेड, पटना के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब से संबंधित विवरण

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : मैं निम्नलिखित पत्रों को सभापटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत दाल, तिलहन और खाद्य तेल (भंडारण नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1979 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 20 सितम्बर, 1979 के भारत के राज्य पत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 536 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचना को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल०टी० संख्या 3086/86]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :

(एक) बिहार फल एवं सागभाजी विकास निगम लिमिटेड, पटना, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार फल एवं सागभाजी विकास निगम लिमिटेड पटना, के वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 3087/86]

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचना

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०का० नि० 1006 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 11 अगस्त, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो आस्ट्रिया के शिलिंग, डियूरो मार्क, डच गिल्डर और इटली के लीरा को भारतीय मुद्रा अथवा भारतीय मुद्रा को आस्ट्रिया के शिलिंग, डियूरो मार्क, डच गिल्डर और इटली के लीरा में

संपरिवर्तन करने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभापटल रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 3088/86]

अखिल भारतीय सेवा (अध्ययनार्थ छुट्टी) द्वितीय संशोधन विनियमन, 1986

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा (अध्ययनार्थ छुट्टी) दूसरा संशोधन विनियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 9 अगस्त, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 584 में प्रकाशित हुए थे, सभापटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3089/86]

दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) (सामान्य) संशोधन नियम, 1985

कृषि तथा सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं, श्री रामानन्द यादव की ओर से दिल्ली कृषि-उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 63 की उपधारा (6) के अन्तर्गत दिल्ली कृषि-उपज विपणन (विनियमन) (सामान्य) संशोधन नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 19 फरवरी, 1986 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 6/2/85 में डैम में प्रकाशित हुए थे, को सभापटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 3090/86]

तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1982-83 तथा मध्य प्रदेश राज्य डेयरी निगम, भोपाल के वर्ष 1981-82 की कार्यकरण समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाले विवरण आदि

कृषि तथा सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्रों को सभापटल पर रखता हूं—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) तमिलनाडु कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तमिलनाडु कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1982-83 का

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 3091/86]

(ख) (एक) मध्य प्रदेश राज्य डेरी विकास निगम, भोपाल के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य डेरी विकास निगम, भोपाल का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 3092/86]

(3) (एक) नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्किटिंग फैडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्किटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(तीन) नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्किटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(चार) नेशनल एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव मार्किंग फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 3093/86]

11.09 म०पू०

राज्य-सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 14 अगस्त 1986 को हुई अपनी बैठक में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसरण में संविधान संशोधन (चौवनवां संशोधन) विधेयक, 1986, जिसे लोक सभा ने 12 अगस्त 1986 को हुई अपनी बैठक में पारित किया था, बिना संशोधन के पारित कर दिया है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1986 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 12 अगस्त 1986 को हुई बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127—के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 14 अगस्त 1986 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 12 अगस्त 1986 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए तमिलनाडु विधान परिषद् (समापन) विधेयक, 1986 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

11.10 म०पू०

दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा विधेयक*

[अनुवाद]

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कुछ भवनों और परिसरों में अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए अधिक प्रभावी उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*दिनांक 20.8.1986 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग दो खण्ड 2, में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कुछ भवनों और परिसरों में अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए अधिक प्रभावी उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि आय कर अधिनियम 1961, धन-कर अधिनियम 1957, दान कर अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले तथा किसी सरकारी कम्पनी को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए आय-कर और अतिकर से छूट के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961, धनाकर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम 1958 में और संशोधन करने वाले तथा किसी सरकारी कंपनी को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं ।

11.11 म०पू०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) संसद की कार्यवाही की विस्तृत समीक्षा दूरदर्शन और आकाशवाणी पर दिए जाने की आवश्यकता

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, मैं यह सुझाव देता हूं कि सूचना और प्रसारण

---

* दिनांक 20.8.86 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग-दो, खण्ड-2 में प्रकाशित ।

मंत्रालय को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर संसद की कार्यवाही की समीक्षा देने के सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाने चाहिएं :

(एक) हिन्दी और अंग्रेजी में संसद समाचारों की अवधि बढ़ाकर बीस मिनट कर दी जानी चाहिए जिसमें दस मिनट लोकसभा की कार्यवाही के लिए हों और दस मिनट राज्य सभा की कार्यवाही के लिए हों। इन सभी बुलेटिनों का प्रसारण देश के सभी प्रसारण केन्द्रों से अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

(दो) दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रमुख समाचार बुलेटिनों में लोक सभा और राज्यभा दोनों के कम से कम दो तारांकित तथा अतारांकित प्रश्न प्रश्नकर्ता के नाम के साथ शामिल किए जाने चाहिए न कि केवल उत्तर देने वाले मंत्रियों के नामों का उल्लेख होना चाहिए, जैसा कि आजकल किया जा रहा है।

(तीन) दूरदर्शन और आकाशवाणी के प्रमुख समाचार बुलेटिनों में विधेयकों पर बोलने वाले वक्ताओं के नाम, आम बहस को शामिल किये जाने चाहिए और यदि आवश्यक हो तो इन बुलेटिनों की समयावधि बढ़ाई जानी चाहिए।

(दो) पश्चिम बंगाल में एक परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : महोदय, कई दशकों से पश्चिम बंगाल के लिए विद्युत की अनिवार्य मात्रा के उत्पादन की समस्या निरंतर रही है। छठी योजना के 580 मेगावाट क्षमता सहित सातवीं योजना में 932.5 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के संयंत्र को राज्य में स्थापित किए जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त सन्दर्श विद्युत योजना समिति द्वारा तैयार किए गए प्राक्कलनों के अनुसार विद्युत की मांग और पूर्ति में लगभग 1030 मेगावाट का अन्तर है। समिति के अनुसार राज्य में विद्युत की मांग सन् 1995 और सन् 2000 में क्रमशः 3,411 मेगावाट और 4409 मेगावाट हो जाएगी। विद्युत की विद्यमान क्षमता की उपलब्धता का वर्ष 1995 तक 2309 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है जिससे कि विद्युत की पूर्ति में 1102 मेगावाट की गिरावट आएगी।

चालू तापीय संयंत्रों का अधिक उपयोग और नई तापीय विद्युत परियोजनाओं को प्रारम्भ करना, बढ़ी हुई क्षमता को प्राप्त करने का एक उपाय है। तापीय विद्युत संयंत्र चलाने के लिए कोयले की पर्याप्त पूर्ति आवश्यक है, यद्यपि पूरे भारत में कोयले के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन पश्चिम बंगाल में कोयले का उत्पादन लगभग रुका हुआ है। समय के प्रश्न को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। सामान्यतः कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र को 7-8 वर्ष का समय लगता है।

राज्य में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करना सही प्रतीत होता है।

[श्री आशुतोष लाहा]

पश्चिम बंगाल में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए काफी विचार-विमर्श हुआ है। यदि पश्चिम बंगाल में विद्युत समस्या स्थायी तौर पर हल कर ली जाती है तो परमाणु विद्युत संयंत्र को बड़े स्तर पर विकसित किया जाए।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, आज सभा की ओर से हमारे प्रधानमन्त्री को मुबारकबाद दी जानी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मुबारकबाद पहले ही दी जा चुकी है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : हमारी सबकी ओर से प्रधानमन्त्री जी को मुबारकबाद दी जाए।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी (गौहाटी): मुबारकबाद के बाद मिठाई मिलनी चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : आप पहले मुबारकबाद दीजिए तब हम आपको मिठाई देंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कर देते हैं।

[अनुवाद]

(तीन) नागपुर शहर के रेल यात्रियों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : महोदय, मैं नागपुर शहर के रेलवे यात्रियों की असाधारण कठिनाइयों की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रत्येक व्यक्ति यह है कि नागपुर भारत का केन्द्र स्थल है। पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण की सभी गाड़ियां इस शहर से होकर गुजरती हैं। यह महत्वपूर्ण शहर रेल की पटरियों द्वारा दो भागों में विभाजित है। रेलवे स्टेशन और टिकट घर एक साइड पर हैं। पुराने शहर के लोगों के आने-जाने के लिए केवल एक पुल है जिससे पुल और स्टेशन पर बहुत भीड़ रहती है। कुछ समय पहले वहां के निवासियों ने एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें यह मांग की गई थी कि दूसरी साइड पर भी टिकट घर और आरक्षण काउंटर खोला जाना चाहिए ताकि भीड़ कम हो सके। लेकिन उस समय संतरों के बाजार के कारण इस साइड भी भीड़-भाड़ थी परंतु जब से यह बाजार वहां से बदल गया है तो सरकार के लिये दूसरी साइड पर भी प्लेटफार्म बनवाने, टिकट घर आदि खोलने के लिए तत्काल कदम उठाने का यह सही समय है ताकि यात्रियों की कठिनाइयों को दूर किया जाए। इसलिए मैं परिवहन मंत्री

से यह अनुरोध करता हूं कि प्रस्तावों की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक उच्चाधिकारी दल वहां भेजा जाए और इस पर शीघ्र कार्यवाही की जाए ।

(चार) बाढ़ से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को 50 करोड़ रुपये स्वीकृत करने तथा राज्य में एक विपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने की आवश्यकता

डा० चिंता मोहन (तिरुपति): पिछले सप्ताह अभूतपूर्व तूफान के कारण गोदावरी नदी में बाढ़ आने से मृतकों की संख्या लगभग 15 तक हो गई है तीस लाख व्यक्ति बेघर हो गये हैं और लगभग 900 करोड़ रुपए की सम्पति का नुकसान हुआ है । वर्ष 1976 से आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में बहुत अधिक बाढ़ें आती हैं, तूफान आते हैं और अकाल पड़ते हैं । आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केन्द्रीय दल और प्रधानमन्त्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया । इस प्रकार की विपदाओं के लिए आवर्ती निधि होनी चाहिए । तत्काल मदद पहुंचाने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को लगभग 50 करोड़ रुपए देने चाहिए । विपदाग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण देने हेतु तिरुपति में एक 'विपदा प्रबंधन' संस्थान प्रारंभ किया जाना चाहिए ।

(पांच) बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं क्रियान्वित करने के लिए असम राज्य सरकार को और अधिक वित्तीय सहायता देने की मांग

श्री एम० आर० सैकिया (नवगांव) : बहुत समय से असम राज्य बाढ़ और भूमि के कटाव की गम्भीर समस्या से पीड़ित है जिसने इस पिछड़े हुए राज्य की समस्त अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है । वर्तमान बाढ़ नियंत्रण के ढ़ांचे के साथ-साथ दीओरीघाट, माट-मारा, सिंगरा, मुकलमारा होवलीघाट चुनरी, बालीकुची, फकीरगंज, साउथ सालमारा, दीओ-धारिया के आस-पास के क्षेत्रों को और राज्य के कुछ अन्य भागों को भी भूमि कटाव से खतरा है, इसलिये भूमि कटाव रोकने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए । ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियन्त्रण कार्य के लिये ऋण सहायता के अन्तर्गत 13 करोड़ रुपये के वार्षिक आवंटन से राज्य सरकार द्वारा भूमि कटाव और बाढ़ नियन्त्रण की मंहगी योजनाओं पर कार्य करना संभव नहीं है । राज्य में भूमि कटाव और बाढ़ की समस्या को सुलझाने के लिए धन की कमी एक बाधा है । इस पिछड़े राज्य का आर्थिक विकास भूमि कटाव और बाढ़ की समस्याओं को सुलझाने पर निर्भर करता है ।

अतः केन्द्रीय सरकार से मैं यह आग्रह करता हूं कि बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिए अधिक वित्तीय सहायता दी जाये ताकि असम राज्य में विस्तृत नदी व्यवस्था को उपयोगी बनाया जा सके ।

(छह) कपास उत्पादकों की दशा सुधारने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्रनगर) : अध्यक्ष महोदय, इस तथ्य को स्वीकारने के बाद भी

[श्री दिग्विजय सिंह]

कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में सस्ती दरों पर कपास की जितनी खपत हो सकती है, उससे अधिक भारत में कपास का उत्पादन होता है, कपास के उत्पादनकर्त्ताओं की स्थिति में सुधार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये। कपास निर्यात करने के लिए कोई नकद मुआवजा नहीं है और न ही उन किसानों को कोई सहायता दी जाती है जोकि फसलों की अन्य किस्में भी उगाते हैं। अत. सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस समबन्ध में आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(सात) तेल और गैस की खोज के लिए राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर ड्रिलिंग शुरू करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाडमेर) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मैं आपका ध्यान महत्वपूर्ण सार्वजनिक मसले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आइल इण्डिया लिमिटेड को राजस्थान का 28600 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, गंगानगर एवम् जोधपुर जिलों में गैस एवम् तेल की खोज एवम् खुदाई के लिए दिया हुआ है।

आइल इण्डिया लिमिटेड ने फ्रेंच कम्पनी के सहयोग से पूरे क्षेत्र का सेस्मिक सर्वे कर दिया है। उक्त सर्वे में विश्व की सबसे आधुनिक प्रणाली "बाइब्रोसिस" को काम में लिया गया है।

इस सर्वेक्षण के आधार पर राजस्थान में साढ़े तीन हजार भूमि के नीचे पैट्रोलियम व गैस मिलने के पूरे आसार मिले हैं।

आइल इण्डिया लिमिटेड को राजस्थान में तेल की खोज के लिए कुंओं की खुदाई का कार्य इस वर्ष के सितम्बर माह में करना है। परन्तु अभी तक उपयुक्त आधुनिक ड्रिलिंग मशीन प्राप्त नहीं की गई है। पहले उक्त ड्रिलिंग प्राप्ति के लिए 13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था वह प्रावधान भी बन्द कर दिया है।

ऐसा भी मालूम हुआ है कि विश्व बैंक ने आइल इण्डिया लिमिटेड को इस सम्बन्ध में ऋण देने के लिए भी इन्कार कर दिया है।

केन्द्रीय सरकार का पैट्रोलियम विभाग इस ओर उदासीन है। वह कोई रूचि नहीं ले रहा है। जिसके कारण राजस्थान में तेल खोज के लिए खुदाई का कार्य खिसक रहा है।

तेल एवम् गैस की प्राप्ति से राजस्थान के रेगिस्तान की ही नहीं बल्कि देश की काया पलट सकती है।

अत: केन्द्र सरकार के पेट्रोलियम विभाग से निवेदन है कि वह राजस्थान के इस क्षेत्र में जहां तेल एवम् गैस की खोज के लिए सेस्मिक सर्वेक्षण का कार्य कम्पलीट हो चुका है, सितम्बर, 1986 में युद्ध स्तर पर खुदाई का कार्य शुरू करे।

(आठ) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सफेदाबाद रेल फाटक पर एक ऊपरि पुल बनाने की आवश्यकता

श्री कमला प्रसाद रावत (बाराबंकी) : मैं सरकार का ध्यान जनपद बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) में स्थित सफेदाबाद रेलवे क्रासिंग की ओर दिलाना चाहता हूं। यहां पर छोटी एवम् बड़ी लाइन एक साथ इस रेलवे क्रासिंग से गुजरती है। अतः यहां पर अक्सर रेलवे फाटक बन्द रहता है। जिससे भारी टैफिक जाम हो जाता है और बड़ी असुविधा होती है। यह अति व्यस्त मार्ग भी है। लखनऊ फैजाबाद मार्ग पर इस रेलवे क्रासिंग पर भारी यातायात चलता है क्योंकि लखनऊ से फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर देवरिया एवम् बिहार प्रदेश तथा गोण्डा बहराइच एवम् नेपाल देश आदि पड़ते हैं। अतः सफेदाबाद रेलवे क्रासिंग पर फ्लाई ओवर ब्रिज बनवाने की कृपा करें।

(नौ) मध्य प्रदेश में "धोबी" समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत लोकमहत्व के निम्नलिखित विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

आज भी कुछ राज्यों में ऐसी जातियां हैं जिनको उसी राज्य के कुछ जिलों में अनुसूचित जाति माना गया है और शेष में नहीं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए नियुक्त आयोग ने भी सिफारिश की है कि ऐसी सभी जातियों को उनके पूरे राज्य में अनुसूचित घोषित किया जाएं।

मध्य प्रदेश में धोबी जाति को केवल भोपाल, रायसेन तथा सिहोर के तीन जिलों में अनुसूचित जाति माना गया है। शेष जिलों में यह जाति अनुसूचित के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। धोबी समुदाय सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से एक अत्यन्त पिछड़ा हुआ समुदाय है और इस समुदाय के सदस्यों की विपन्नता सम्पूर्ण राज्य में एक समान है। इसलिए इसे पूरे राज्य में अनूसूचित जाति के रूप में मान्यता दिया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश सरकार इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को पहले ही लिख चुकी है। इसलिये यह उपयुक्त होगा कि धोबी जाति को पूरे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति को मान्यता मिले। इसके लिए तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाये।

11.21 अ०पू०

राष्ट्रीय सुरक्षक विधेयक
(—जारी)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पर आगे विचार के लिए अब हम मद संख्या 10 को लेंगे। श्री अंजय मुशरान।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : महोदय, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। क्या मुझे विधेयक पर कुछ बोलने से पहले सदन के नेता को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए आपकी अनुमति मिलेगी ?

जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक का संबंध है, इसे उपयुक्त समय पर प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में आज हमारे पास राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा कोई अधिनियम है। इसे और अधिक व्यापक रूप देने तथा शक्तिशाली बनाने के लिए यह विधेयक लाया गया है तथा मैं इसका समर्थन करता हूं।

जैसा कि मैं कह रहा था 14 अगस्त को जब यह अनिर्णायक वाद-विवाद हुआ था, जहां तक इन लोगों के प्रशिक्षण का प्रश्न है, यह पुलिस और सेना से कुछ अलग देना होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस बात की ओर ध्यान देगी कि इन गार्डों को अत्यन्त परिष्कृत तथा आधुनिक हथियारों में सर्वोच्च निपुणता प्रदान करने हेतु उन्हें प्रशिक्षित किया जाये तथा उनके व्यक्तिगत हथियारों के बारे में भी ऐसा तो किया जाये। उनकी प्रतिक्रिया को तेज किया जाना चाहिए तथा उस स्तर तक विकसित किया जाना चाहिए जहां वे स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया कर सकें क्योंकि सम्भवत: मैं यह कह सकता हूं कि उन्हें ऐसी स्थितियों का सामना करना होगा जो सदैव ही अप्रत्याशित, अचानक तथा कल्पनातीत होंगी। इस बल को अनिवार्य रूप से इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाये कि उनमें मिटा देने की इच्छा विकसित हो जाये।

प्रारम्भ में इस विधेयक के नाम में यह कहा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक, 1986 आतंकवादियो की कार्रवाइयों का सामना करने हेतु केन्द्र के सशस्त्र बल के संविधान तथा विनियमन की व्यवस्था करने के लिए है। मैं पूर्ण विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि संघर्ष एक निरन्तर प्रक्रिया है। जहां तक आतंकवादियों का संबंध है, हम निरन्तर प्रक्रिया को नहीं अपनाना चाहते। हम आतंकवादियों का विनाश तथा आतंकवाद को मिटा देना चाहते हैं। अनेक बार हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा इस सदन में सभी ने आतंकवाद को नष्ट करने की अपनी सुस्पष्ट इच्छा व्यक्त की है। और आतंकवाद को नष्ट करने के लिए हमें आतंकवाद को नष्ट करने वाली इच्छा को उत्पन्न करना होगा। केवल मात्र जिस रूप के लिए इस बल की स्थापना की जा रही है, उसके लिए इस प्रकार के बल में प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार रहना होगा।

मैं समझता हूं कि देशभक्ति तथा उस लक्ष्य में पूर्ण विश्वास, जिसके लिए इन्हें नियुक्त किया जा रहा है, उनके मन में बहुत गहराई से बैठाना होगा, जहां व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति पूर्ण उपेक्षा को विकसित कर लेता है। व्यक्तिगत सुरक्षा की उपेक्षा किए बिना इस प्रकार का बल आतंकवादियों का सामना या उनका विनाश नही कर पाएगा क्योंकि ये आतंकवादी अपने लक्ष्यों में चाहे वे ठीक हों या गलत अत्यन्त दुर्भावना से प्रेरित होते हैं। वे इस स्तर तक प्रेरित होते हैं कि जहां वे अपने जीवन की भी परवाह नहीं करते।

अब हमारी आसूचना के सम्बन्ध में, अनेक वक्ता 14 अगस्त को हमारी आसूचना प्रणाली के बारे में बोले थे। आज, हमारे पास लगभग 6 आसूचना एजेंसियां, गृह मंत्रालय व विदेश

मंत्रालय, मंत्रीमंडल सचिवालय, रक्षा मंत्रालय, स्थानीय गुप्तचर विभाग, राज्य गुप्तचर विभाग में एक-एक एजेंसी है तथा और जो हमारे पास हैं। इस विशेष संदर्भ में मैं एक अलग गुप्तचर प्रणाली की आवश्यकता को महसूस नहीं करता हूं किन्तु इन सब राष्ट्रीय सुरक्षा इकाइयों से जुड़ी कोई एक ऐसी इकाई हो जो कि आतंकवादियों की गतिविधियों, उनके स्थानों, उनके छिपने के स्थलों, उनके हथियार तथा गोला-बारूद के जखीरे, उनके भंडारणों उनकी सप्लाई प्रणाली तथा उनकी गतिविधि संबंधी प्रणाली तथा सब कुछ के बारे में आसूचना को प्राप्त करने में समर्थ हो क्योंकि जब तक इन एजेंसियों, जो हमारे यहां इस समय हैं, के माध्यम से सूचना आयेगी, तब तक राष्ट्रीय सुरक्षा इकाइयां स्थल पर ही सूचना को प्राप्त कर लेंगी जिससे कि बहुत देर हो जायेगी। अतः मेरा सुझाव है कि इन लोगों में से अवश्य ही एक आसूचना केन्द्र बनाया जाना चाहिए तथा ये लोग वही होने चाहिये जिन्हें स्थानीय जानकारी होनी चाहिए। पिछले 30 वर्षों से हम अपनी कुछ पूर्वी सीमाओं पर विद्रोह को दबा देने का प्रयास कर रहे हैं। बेशक थोड़ी-सी स्थानीय सहायता के अतिरिक्त प्रतिकूल क्षेत्र वहां इस विद्रोह की सहायता करते हैं। किन्तु इस तथ्य के बावजूद भी कि वहां हजारों की संख्या में सैन्य दलों तथा सेना के वहां पर होते हुए भी हम इसका पूरी तरह दमन नहीं कर पाए हैं। जहां तक हमारी आसूचना प्रणाली का सम्बन्ध है, मेरा सुझाव है कि हमारे पास ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिससे प्राप्त सूचना स्वतः उस व्यक्ति के पास पहुंच जानी चाहिए, जो उस सम्बन्ध में कार्यवाही अथवा प्रतिक्रिया करने जा रहा है।

इस विधेयक के पृष्ठ 3 पर धारा 2 (य) का पाठ इस प्रकार है :—

"परिसंकटमय प्रकृति के किन्हीं पदार्थों का (चाहे वे जैव हो या अन्यथा) ऐसी रीति से उपयोग करके जिससे किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें क्षति या संपत्ति को नुकसान या उसका विनाश अथवा समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किन्हीं प्रदायों या सेवाओं में विघ्न कारित होता है या कारित होने की सम्भावना है।"

उसके द्वारा मृत्यु कारित होने की सम्भावना नहीं है। यह एक साफतौर हत्या पर ही है यह एक विशुद्ध हत्या है, यह केवल हत्या है। यह आतंकवादियों द्वारा की गई साफ हत्या है, तथा आतंकवाद की इस अभिव्यक्ति को जब उपधारा में प्रयोग किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से उस व्यक्ति की मनोवृत्ति को सुधारती है जो आतंकवादियों से लड़ने जा रहा है।

यदि मैं गलत नहीं हूं तो इसका बहुत-सा प्रारूपण सेना अधिनियम से लिया गया है। अब, मैं व्यक्तिगत रूप से सुझाव देता हूं कि पृष्ठ 6 पर धारा 15 के अध्याय तीन जहां यह कहा गया है, सैनिक कार्यवाही के दौरान—मैं नहीं समझता कि यह एक निरंतर चलने वाली कार्यवाही है। वे जाते हैं तथा आतंकवादियों के साथ आमने-सामने युद्ध करते हैं। फिर वे वापिस आ जाते हैं। वे फिर पुनर्गठित होते हैं तथा पुनः उस विशिष्ट कदम के लिए चल पड़ते हैं, जो अचानक आ जाता है—अतः मैं महसूस करता हूं कि 'सक्रियाओं के दौरान' के स्थान पर 'आतंकवादियों के सम्मुख होने पर' प्रयोग किए जाने चाहिए क्योंकि जब आप मृत्यु को गले लगाने जा रहे हैं तो ये

[श्री अजय मुशरान]

शब्द अधिक प्रभावशाली होंगे। यह अवश्य ही आतंकवादियों से सम्बन्धित है। तब धारा 16 (घ) (दो) का पाठ इस प्रकार है :—

"उस दशा में जब कि वह ऐसा कोई अपराध सक्रिय ड्यूटी पर न रहते हुए करेगा, कारावास का, जिसकी अवधि सात वर्ष की हो सकेगी, या ऐसे लघुतर दण्ड का जो इस अधिनियम में वर्णित है, भागी होगा।"

क्या इसका अर्थ यह हुआ कि यह बल सक्रिय ड्यूटी पर नहीं रहेगा ? मैं यह महसूस करता हूं कि इस सेवा, इस गार्ड इस प्रतिष्ठान को जिस क्षण से प्रतिष्ठापित किया गया अवश्य सेवा सक्रिया से सदा तभी ही पर कार्य कर रहा समझा जाना चाहिए अन्यथा यह विधेयक, जब पारित हो जायेगा और अधिनियम बन जायेगा अपने उद्देश्य को ही खो देगा।

श्री अताउर्रहमान (बारपेट) : मैं कुछ टिप्पणियों के साथ तथा बाद में कुछ संशोधनों के साथ विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

लक्ष्य तथा उद्देश्य बहुत स्पष्ट नहीं है सरकार ने इन्हें कुछ मामलों में उचित किन्तु बहुत व्याख्यात्मक नहीं पाया है।

यह उल्लेख किया गया है कि यह विधेयक भारत के क्षेत्र तथा बाहर तक ही सीमित रहेगा। यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक भारत से बाहर भी लागू होगा।

एक माननीय सदस्य : भारत से बाहर ?

श्री अताउर्रहमान : जी हां, यहां कहा गया है।

विधेयक को पढ़ते समय मैंने पाया है कि यह अनुशासन पर अधिक बल देता है जो कि बहुत ही वांछनीय है, किन्तु यह विधेयक इस बात को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं करता है कि इस उद्देश्य को किस प्रकार प्राप्त किया जायेगा। मैं जानता हूं कि एक पुलिस का सिपाही अधिनियम तथा दंड प्रक्रिया संहिता जैसे अधिनियमों के कुछ उपबंधों से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। किन्तु यहां मैं देखता हूं कि सुरक्षा अधिकारी, जिनका जनता से सीधा संबंध है, उनके पास बहुत स्पष्ट शक्तियां नहीं हैं। यह वह मामला है जिसे अस्पष्ट रखा गया है। उदाहरणतः, यदि वह किसी को कुछ करते हुए देखता है, तथा यदि उसने कोई कार्यवाही करनी होती है, तो उसे गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं होती है, उसके पास उसकी छान-बीन करने की शक्ति नहीं होती है, उसके पास साक्षियों को बुलाकर, साक्ष्य देने की शक्ति भी नहीं है। वहां ऐसा नहीं है।

इस मुद्दे पर खंड 137, बहुत स्पष्ट नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि इन शक्तियों के बिना कोई कमाण्डो कैसे काम कर सकता है।

मैंने "अपराध" शब्द के स्पष्टीकरण में एक या दो कमियां देखी हैं। खंड 2 के उप-खण्ड (ग) में "सिविल अपराध" का उल्लेख है। इस अपराध की परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 40 में दी गई है और भारतीय दण्ड संहिता में उल्लिखित यह उपबन्ध विशेष एक सामान्य धारा है जो कि पुलिस और जन साधारण के बीच परस्पर सहयोग होते हुए भी नहीं पाया गया है।

दूसरी कमी जो मैंने देखी है वह भर्ती से सम्बन्धित इस धारा विशेष के बारे में है जिसका श्री माधव रेड्डी ने उल्लेख किया है कि सभी भर्तियां इन धाराओं विशेष, उदाहरणार्थ पुलिस अधिनियम, के अंतर्गत की जाती हैं और सशस्त्र सेना भी ऐसा ही करती है। नियुक्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। लेकिन मैंने यहां देखा है कि भर्ती का उपबन्ध किसी धारा विशेष के अंतर्गत नहीं किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को कुछ अवधि तक सेवा करने के पश्चात् सेवा मुक्त किया जाता है अथवा सेवा से निकाल दिया जाता है अथवा बर्खास्त कर दिया जाता है तो इस अधिनियम में कोई ऐसा उपबन्ध होना चाहिए था जिसमें यह कहा गया कि उस व्यक्ति को अमुक धारा के अन्तर्गत नौकरी से निकाला गया है। नियम तथा विनियम वास्तव में बहुत ही व्यापक है, लेकिन इस मामले विशेष में ऐसा नहीं है

आसूचना के बारे में ऐसा कहा गया है और मैं यह नहीं सोचता हूं कि हमें और अधिक आसूचना सेवाओं की आवश्यकता है, क्योंकि और अधिक आसूचना सेवाओं से हमें वांछित लाभ प्राप्त होने नहीं जा रहा है।

किसी ने कहा है कि हमारी आसूचना सेवाएं ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हैं। मैं लड़के तथा लड़कियों के अभिभावकों से प्रश्न करता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी रहती है कि उनके पीठ पीछे उनके पुत्र तथा पुत्रियां क्या कर रहे हैं। यह जानना कोई आसान बात नहीं है।

मैं एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे अर्थात् राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की भूमिका के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। एक विशेष बात जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए, वह यह है कि सेना तथा पुलिस की भूमिका और इस विशिष्ट मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का कार्य शत्रु का सफाया करना नहीं है, बल्कि इसकी कार्यवाही चुनिन्दा आधार पर करनी होगी। यहां आप यों ही उनका सफाया नहीं कर सकते, क्योंकि यहां शत्रु पक्ष के लोग भी हमारे अपने ही लोग हैं। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का कार्य हमेशा चुनिन्द आधार पर होगा। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की कमान को सेना के अधीन करने का उपबन्ध अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उस स्थिति में यह एक सशस्त्र बल होगा, न कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। मैं इस सम्बन्ध में बहुत से संशोधन लाना चाहता हूं।

दूसरी चीज जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं, वह है विशेषज्ञता। हमें अति उत्प्रेरित, अत्यधिक अनुशासित तथा निष्ठावान बल की आवश्यकता है। हमें नये बल को सेना नकलची बनने के लिए नहीं कहना चाहिए। आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करना पूरी तरह से केवल सेना का ही

[श्री अताउर्रहमान]

काम नहीं है। पुलिस के समान यह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का काम है। यदि आप सेना के अधिकारियोंको समान संभालने के लिए कहेंगे तो इससे हमेशा गलत यह भी पैदा होगी। मै यह कहना चाहता हूं कि हमें सेना की नकल करनी चाहिए, जैसा कि हमने राज्य पुलिस तथा अन्य सशस्त्र पुलिस बलों के मामलों में किया है।

मैं संशोधनों पर बाद में बोलूंगा।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुन्झुनु) : जनाबे सदर मोहतरीम, यह हिन्दुस्तान की ऐतिहासिक तकबीर है कि इन्सानी नस्लें, सभ्यतायें और मजहब इसकी ओर यह कह कर आते गये कि इसकी मेहमान नवाज मिट्टी में रहने के लिये हरेक को घर दें और उनके कारवां यह विश्राम पायें। इतिहास के उदय काल से पहले ही यह कारवां हिन्दुस्तान में लम्बे-लम्बे सफर तय करके आती रही और हर नये आने वाले की लहर पर लहर आती चली गई। इस विशाल और उपजाऊ जमीन ने सब का स्वागत किया और उनको सीने से लगाकर रखा। हम सबने इसको मादरे वतन माना। इस कारण हम सब का यह धर्म और कर्त्तव्य बनता है कि इस मादरे वतन की हिफाजत करें। जो भी इस मुल्क में पैदा हुआ है उन सबका यह हक बनता है। जैसे फौज के अन्दर एक फौजी जवान या अफसर मुल्क के सरहदों की हिफाजत करना अपना ईमान और धर्म समझता है उसी तरह मुल्क के नागरिक और मुल्क की जो पुलिस सिक्योरिटी के लिये जिम्मेदार है, उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। इनका कर्त्तव्य बनता है कि वह मुल्क के अन्दरूनी हालात पर काबू पाये।

अब वक्त आ गया है कि मुल्क के हर नागरिक को पांच साल के लिये कम्पलसरी फौजी ट्रेनिंग मिले ताकि आगे आने वाले जमाने में हम इस मुल्क की हिफाजत कर सकें और जो खतरा हमारे सामने है, उसके लिए हमारा हर नागरिक और हर बच्चा.बच्चा इस मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार हो सके।

फौज के अन्दर एक फौजी सिपाही जब मुल्क की सरहदों की हिफाजत करता है उस वक्त कोई मजहब की दीवार उसके सामने नहीं आती। उस वक्त सिर्फ उसका फर्ज उसके सामने होता है कि मादरे वतन की हिफाजत करे। वही उसका ईमान है, वही उसका धर्म है और वही उसका कर्त्तव्य है। जब वह फौजी इतना कर सकता है तो एक पुलिस में भर्ती होने वाला नौजवान क्यों नहीं कर सकता जबकि उसके सामने उसकी जिम्मेदारी का आदमी बैठा हो, उसका कत्ल हो जाय और उसके हाथ से गोली न निकले ? यह हमारे लिए शर्म की बात है कि हम सेक्योरिटी के लिए एक आदमी मुकर्रर करें और उसके अन्दर इतनी खुद्दारी नहीं, इतनी उसके अन्दर फर्ज-दराजी नहीं कि वह अपने फर्ज को निभा सके ? इसकी वजह यह है कि जिस इन्सान के अन्दर जितनी खामी होगी, जो इन्सान जितना करप्ट होगा उतनी ही उसके अन्दर यह कमजोरी होगी और कभी भी उसके हाथ पांव नहीं चल सकते। वह कभी भी दुश्मन के सामने अपना सीना तान कर खड़ा नहीं हो सकता। वही इन्सान आगे आ सकता, है वही चेहरा आंख में आंख डालकर बोल सकता है जिसके सीने में सफाई हो और वह सफाई तभी पैदा होगी जब हम अपने मुल्क के हर नागरिक के अन्दर देश की मुहब्बत पैदा करेंगे।

अब यह वक्त जरूर आ गया है कि इस टाइम पर एक चुस्त और सीसा पिलाई हुई दीवार की मानिन्द जिस तरह हमारी फौज है उसी तरह हमारी पुलिस भी तैयार हो। मैंने कई आई०पी०एस० आफिसर्स से इस बारे में पूछा कि क्या वजह है कि आपके गार्ड ऐसे आतंकवादियों पर फायर नहीं कर सकते हैं जो देश के ऐसे अनमोल हीरों का नेस्तानाबूद करते हैं जो मुल्क के टुकड़े करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो उनका जवाब था कि पहली बात तो यह है कि उनका मनोबल गिर गया है, दूसरी बात यह कि अगर वे फायर करते हैं तो उनसे यह पूछा जाता है और उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा चलाया जाता है। तो हमें अपने कानून में भी ऐसा प्रावधान रखना चाहिए कि अगर कोई आदमी किसी की हिफाजत के लिए मुकर्रर हो और वह देखता हो कि इस वक्त उसकी हिफाजत में गोली चलाना उसका फर्ज बनता है तो उसे इसे बात की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारे यहां फौज में भी ऐसा कानून है कि पहले तुम किसी को टोको, फिर उसको चैलेंज करो, फिर भी अगर खतरा है तो गोली चलाओ और गोली चलाना तुम्हारा कर्त्तव्य है तुम्हारा तो धर्म यही है गोली चलाना, वही तुम्हें सिखाया जाता है। यही बात हमें हर नागरिक में और खास कर पुलिस के अन्दर पैदा करनी चाहिए।

पुलिस को जो ट्रेनिंग दी जाती है वह ट्रेनिंग भी आज की ट्रेनिंग से मुख्तलिफ हो, उनके ट्रेनिंग हों। आई०पी०एस० आफिसर्स का कैडर अलग हो, उनकी ट्रेनिंग अलग हो ताकि हम लोग आज के वक्त में जो खतरात हैं उनका मुकाबिला कर सकें और हर नागरिक का फर्ज है कि वह इस बात को समझे कि हमारा देश एक है, हमारा मुल्क एक है, हमारी मातृभूमि एक है और इसके अन्दर रहने वालों के लिए हमारी सभ्यताएं, हमारे साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारी वेशभूषा हमारी रोजाना की जिन्दगी की घटनाएं, सब में एक मिला-जुला इत्तफाक हो। आज हम लोगों को इस, के ऊपर आक्षेप नहीं आने देना चाहिए। किस तरह हम बर्दास्त कर सकते हैं कि कोई देश का नागरिक हमारे देश को नुकसान पहुचाएं, कोई देश का नागरिक हमारे देश के दुश्मनों के हाथों में खेल कर हमारे मुल्क को नुकसान पहुचाएं ? हम सब का धर्म और कर्त्तव्य बनता है कि हम आगे आएं और इस चीज का मुकाबिला करें चाहे वह कोई क्यों न हो, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो, ऐसे आतंकवादियों को पकड़ना नहीं चाहिए, उनको एग्जम्पलरी सजा सरे मैदान, चौराहे पर देनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लें देखें कि ऐसे लोगों का अंजाम यही होता है, वह इससे इबरत हासिल करें।

यही मेरी गुजारिश होगी, यही मेरी सिफारिस होगी कि ऐसा सख्त से सख्त कानून बनाया जाय जिससे हम सब लोग आगे आकर मुल्क की हिफाजत के लिए मादरेवतन की खिदमत करें।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, जब हमसे इस प्रकार के किसी विधेयक का समर्थन करने के लिए कहा जाता है तो यह आवश्यक होता है कि हमें विधेयक के उपबन्धों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। इस विधेयक के कुछ उपबन्ध बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हैं। सबसे पहले, विधेयक में कई स्थानों पर कहा गया और एक-दो दिन पूर्व माननीय मंत्री महोदय ने भी इस

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

सभा में कहा था कि यह विशिष्ट रूप से एक आतंकवाद विरोधी बल होगा और इस समय तक हमारे पास ऐसा कोई बल नहीं था। इसका अभिप्राय यह है कि बुनियादी रूप से इस बल की जो परिकल्पना की गई है वह केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा सीमा सुरक्षा बल तथा इस समय विद्यमान अच्छी सैनिक बलों से भिन्न है। विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में तथा प्रस्तावना में भी न केवल आतंकवाद तथा आतंकवादी गतिविधियों को रोकने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है 'बल्कि आंतरिक गड़बड़ियों से राज्य की सुरक्षा प्रदान किये जाने का उल्लेख किया गया है।' मैं इस बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। इसका बहुत ही व्यापक अर्थ निकाला जा सकता है। आन्तरिक अशान्ति के अनेक अर्थ हो सकते हैं। इसका अर्द साम्प्रदायिक दंगा हो सकता है। इसका अर्थ कर्मचारियों तथा मजदूरों द्वारा की गई हड़ताल भी हो सकती है। अतः, यह किस प्रकार किस अन्य बल से विशिष्ट रूप से एक भिन्न बल है जिसका गठन आतंकवादी गतिविधियों, जिसके कारण हम सभी बहुत चिन्तित हैं, के विरूद्ध संघर्ष तेज करने के लिए किया जा रहा है। क्या यह भी उन बहु प्रयोजनीय अर्द्ध सैनिक बलों में से एक जैसा होगा, जो इस समय हमारे पास पहले से हैं ? अतः मेरा सुझाव है कि यदि आप वस्तुतः ऐसा चाहते हैं कि यह एक नये प्रकार का बल हो, जो विशिष्ट रूप से आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए बनाया जाए, तो कृपया आंतरिक अशान्ति संबंधी सभी उल्लेखों का लोप कर दें। आंतरिक अशान्ति अनिवार्यतः आतंकवादी गतिविधियां नहीं होती है। इसके अन्तर्गत अनेक बातें आ सकती हैं। उसकी परिभाषा को इतना अधिक व्यापार बनाया जा सकता है कि इसको क्षेत्राधिकार में किसी भी चीज को लाया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। उद्देश्यों तथा कारणों के कथन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वह अधिनियम का अंग नहीं होता है। परन्तु प्रस्तावना में कम से कम आन्तरिक अशान्ति सम्बन्धी उल्लेख का लोप किया जाना चाहिए। इसका गठन एकमात्र आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए किया जाना चाहिए। परन्तु इस समय जो विधेयक लाया गया है उससे यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता।

दूसरे, इस विधेयक में ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि इस राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की तैनाती के लिए संबंधित राज्य सरकार की सहमति अथवा अनुमोदन लेना पड़ेगा। अर्द्ध-सैनिक पुलिस बलों के मामले में मुझे विश्वास है कि आप सम्बन्धित राज्य सरकार की अनुमति के बिना अथवा उसके अनुमोदन या उससे परामर्श किए बिना इसे तैनात नहीं कर सकते हैं। इस विधेयक में जो कि एक काफी बड़ा विधेयक है और जिसमें 140 खंड हैं, इस बात का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि इस बल को किस प्रकार तैनात किया जाएगा। क्या इसका मतलब यह है कि इस मामले में राज्य सरकार से बिल्कुल विचार-विमर्श नहीं किया जाएगा ? मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। उनसे कोई परामर्श नहीं किया जाएगा, उनका अनुमोदन लेना आवश्यक नहीं होगा; केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को देश के किसी भी भाग में भेज सकती है, चाहे संबंधित राज्य सरकार ऐसा चाहती हो अथवा नहीं। क्या स्थिति है ? क्या राज्य सरकारों से इस विधेयक के बारे में परामर्श किया गया है ? क्या उनकी राय मांगी गई है ? इस बारे में यहां कुछ नहीं कहा गया है। महोदय, इसलिए यदि यह राज्य सरकार की राय की परवाह किए

बिना इस बल की तैनाती का प्रश्न है तो यह एक नई बात शुरू की जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कोई सेना नहीं है। यह न तो कोई सेना है और न ही कोई पुलिस। यह एक विशेष प्रकार का नया बल है जिसका सृजन किया जा रहा है। और आप एक नया सिद्धांत प्रतिपादित करने जा रहे है कि इसे संबंधित राज्य सरकार की अनुमति अथवा परामर्श अथवा अनुमोदन किये बिना भी देश के किसी भाग में किसी समय तैनात किया जा सकता है। यदि ऐसी बात है तो इस विधेयक का समर्थन अथवा समर्थन न करने के लिए कहने से पूर्व कृपया इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने की कृपा करें, क्योंकि इससे आप एक ऐसी नई परम्परा प्रतिपादित करने जा रहे हैं जो पुरानी परिपाटियों से हटकर है।

इस समय, जैसाकि मेरी समझ में यह विधेयक आया है, जिस तरह इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है, इस राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को किसी राज्य सरकार से परामर्श किये बिना देश के किसी भी भाग में भेज सकता है। दूसरे, इसका उपयोग न केवल आतंकवादियों के विरुद्ध किया जाएगा, बल्कि इसका उपयोग किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा। आन्तरिक अशांति को रोकने के नाम पर इसका उपयोग किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा। अत: कृपया इस बारे में स्थिति को स्पष्ट करने की कृपा करें तथा इस तरह के जरूपण से जो भ्रांतियां उत्पन्न हो गई है, इसलिए कम से कम प्रस्तावना से आन्तरिक अशांति शब्दों का लोप करने की कृपा करें। यह केवल प्रस्तावना में ही आया है। इसे प्रस्तावना से लोप किया जा सकता।

जहां तक राज्य सरकारों की सहमति के अध्यारोहण करने का सम्बन्ध है, मैं इसका जोरदार विरोध करता हूं। मैं नहीं सोचता कि केन्द्रीय सरकार के पास कोई ऐसा बल होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकारें आतंकवाद को रोकना चाहती अथवा राज्य सरकारें आतंकवादियों के पक्ष में हैं अथवा उनसे उनकी मिली भगत है, 'इसलिए आपको ऐसा बल रखना पड़ रहा है जिसकी तैनाती के लिए राज्य सरकारों की अनुमति की अनदेखी की जा सकती है। मैं इसका जोरदार विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि केन्द्र द्वारा इस प्रकार की शान्ति प्राप्त करना खतरनाक हैं, और यह सही स्थिति नहीं है।

दूसरे, मैं एक या दो मुद्दों के बारे में जानना चाहता हूं। वर्ष 1984 से इस बल का क्या रिकार्ड रहा है। यहां स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि यह बल वर्ष 1984 के मध्य में अस्तित्व में तभी आ गया था जब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड महानिदेशालय का गठन किया गया था। मैं मानता हूं कि अब तक यह कोई बड़ा बल नहीं बन पाया है, परन्तु यह अस्तित्व में रहा है। यह क्या कर रहा है ? इसे क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई थी ? उन जिम्मेदारियों को यह किस प्रकार निभा रहा था ? हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। कि किसी सदस्य के ऐसा कहने का कोई लाभ नहीं है कि उन्होंने काली वर्दी पहने कुछ लोगों को सड़कों पर खड़े देखा है और उनके समीप जाकर उनकी वर्दी में लगे बैज को पढ़ कर, उन्हें इसकी जानकारी हुई कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है।

उस समय की जा रही सामान्य चर्चा तथा समाचार पत्रों में छपी खबरों से हमने यह समझा था कि यह एक प्रकार का कमाण्डो दस्ता है।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

हमें पता है कि अनेक देशों में किस प्रकार विशेष कमांडो यूनिटें बनाई गई हैं और उन्हें विदेशों में प्रशिक्षण प्रदान कर विभिन्न कार्यों के लिए इस्तेमाल किया गया है। मुख्यत: इनका इस्तेमाल आतंकवादियों के खिलाफ किया जाता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। उदाहरण के तौर पर, जब विमानों का अपहरण कर उन्हें विदेशी हवाई अड्डों पर ले जाया गया, आपको मालूम है कि ऐसा भी हुआ है कि उन अपहृत विमानों को छुड़ाने के लिए और अपहरणकर्ताओं का मुकाबला करने के लिए विभिन्न देशों के कमांडो को इस्तेमाल किया गया। इस बात को समझा जा सकता है। यहां भी, विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों को भारत से बाहर भी सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। मैं नहीं जानता इसका क्या अर्थ है। 'बाहर से बाहर' का स्पष्ट अर्थ है कि वे सैनिक नहीं हैं। उन्हें सैन्य सेवा पर नहीं भेजा जाता। यह ठीक है। मैं इसका विरोध नहीं करता। यदि वास्तव में ही उनका किसी लाभप्रद कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारी राष्ट्रीय सीमा से बाहर किन्हीं अवसरों पर उनका इस्तेमाल करना होगा।

एक माननीय सदस्य : इसका अर्थ हुआ दूतावास में।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं नहीं जानता, इसका आशय दूतावास से हो सकता है। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। इसका अभिप्राय सीमा पार पर आतंकवादियों का पीछे करने से भी हो सकता है। मैं नहीं जानता, इसका अभिप्राय क्या है। परन्तु इसका रिकार्ड क्या है ?

महोदय, मैं यह मानता हूं कि इसके कर्तव्य सामान्य आरक्षी स्वरूप के नहीं है क्योंकि यदि ऐसा होता तो एक नए बल के सृजन की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक विशेष बल है और इसीलिए इसे केन्द्रीय आरक्षीबल अथवा सीमा सुरक्षा बल अथवा प्रासैन्य बलों से भिन्न होना चाहिए।

आसूचना व्यवस्था के बारे में, कई सदस्यों ने प्रश्न उठाया है। मैं उस विषय में कुछ कहना नहीं चाहता, परन्तु मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि पहले ही आसूचना सम्बन्धी कई अभिकरण हैं। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की पृथक आसूचना व्यवस्था होगी जिससे भ्रम ही होगा। सर्वविदित है कि अनेक आसूचना अभिकरण परस्पर विरोधी रिपोर्ट देते हैं जिससे पहले भी हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है ? अथवा क्या वे वर्तमान कुछ अभिकरणों द्वारा प्रदान की गई आसूचना पर निर्भर करेंगी ? ये कैसे कार्य करेंगी ? हम नहीं समझ सकते कि सही आसूचना के बिना वे आतंकवाद का मुकाबला कैसे कर सकती हैं। इस समय पंजाब में ऐसा प्रतीत होता है कि आतंकवादियों का आसूचना व्यवस्था से बेहतर है। इसमें कोई शक नहीं है। यदि आतंतवादियों की आसूचना व्यवस्था सरकार की आसूचना व्यवस्था से बेहतर नहीं होती तो मेरे विचार में जनरल वैद्य की पूणे में हत्या नहीं हो सकती थी। इससे बहुत परेशानी हो रही है। इसका यह कारण भी हो सकता है कि सूचना समय से पूर्व आतंकवादियों पर पहुंच जाती है तथा राज्य की जिन बातों को शौकिया तौर पर अत्यन्त गुप्त समझा जाता है उन्हें जानबूझ कर समय

पूर्व आतंकवादियों तक पहुंचा दिया जाता है, जैसा कि मंड आप्रेशन के दौरान किया गया। मुख्य मंत्री ने स्वयं हमें बताया कि मंड-आप्रेशन की सूचना आप्रेशन शुरू होने से पूर्व आतंकवादियों तक पहुंचा दी गई। इसलिए कृपया करके आतंकवाद विरोधी विशेष बल के सृजन के बारे में संसद में विधेयक पारित करने से पूर्व इस मुख्य प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें कि इसकी सफलता इसकी आसूचना व्यवस्था पर निर्भर करती है। इसके बिना यह कुछ नहीं कर सकती। क्या इसकी आसूचना व्यवस्था अपनी होगी ? क्या इसे अन्य व्यवस्थाओं पर निर्भर करना पड़ेगा ? इसे क्या करना है ? हो सकता है आप हमें यह न बताएं क्योंकि आप कह सकते हैं कि ये गोपनीय मामले हैं। परन्तु संसद में हमें इन सभी बातों के विषय में जानकारी हासिल करने का अधिकार है।

महोदय, कई सदस्यों ने भर्ती नीति के बारे में कहा है। 140 धाराओं में से किसी भी धारा में इस बल की भर्ती नीति का उल्लेख नहीं है। क्या इन लोगों के लिए कोई विशेष योग्यताएं अथवा न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की जाएंगी क्योंकि उन्हें अत्यन्त नाजुक दायित्व निभाना है ? उन्हें विशेष कमांडो प्रशिक्षण दिया जाना है परन्तु क्या इस बल में उनकी भर्ती के लिए कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित होगी ? हाल ही में मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ सदस्यों ने भी इन बलों द्वारा की जा रही ज्यादतियों के खतरे के बारे में कहा था। उन्होंने नागालैंड और दूसरे स्थानों पर सेना की कुछ ज्यादतियों का भी उल्लेख किया था।

महोदय, उनका कार्य आतंकवादियों के खिलाफ लड़ना है न कि ऐसा बर्ताव करना जिससे और अधिक आतंकवाद पनपे। हमें इस विषय में अत्यन्त सचेत रहना है। उनके प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण भाग यह होना चाहिए कि उनका व्यवहार ऐसा हो जिससे आतंकवाद और अधिक क्षेत्रों में न फैले। (व्यवधान)

मुझे यह देखकर खुशी हुई कि धारा 30 और 41 (क) में ऐसे कार्मिकों को दंडित किए जाने का उपबन्ध है जो लोगों से जबरन वसूली करते हैं, उन्हें पीटते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे धर्म का अनादर हो। परन्तु इन्हें एक साथ ही रखा गया है। निर्दोष व्यक्तियों पर ज्यादती हर कीमत पर रोकनी है और इसे दंडनीय अपराध बनाया जाना चाहिए अन्यथा स्थिति बदतर हो जाएगी। मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने 9 अगस्त को बोकारो में किया था। यह कोई पुलिस बल नहीं है। कानून और व्यवस्था से उनका कोई सरोकार नहीं है। उन्हें कारखाने के गेट के बाहर तैनात किया जाता है। उन्होंने अत्यन्त निर्दयतापूर्ण तरीके से लाठी चार्ज किया जिससे 150 श्रमिक घायल हुए। घायलों में से कुछ को खोपड़ी और आंख की चोटों के लिए दिल्ली के हस्पतालों में लाया गया। इसलिए, मेरा कहना है कि ज्यादती होने की घटनाओं को रोका जाना चाहिए। मेरे विचार में, पंजाब में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हो सकता है वे निर्दोष हों। इसलिए हमें सचेत रहना है अन्यथा इससे अधिक आतंकवाद पनपेगा।

अन्त में, मैं बल के प्रोत्साहन के विषय में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। श्री मुशरान ने बताया था कि उन्हें किस प्रकार प्रोत्साहित किया जाएगा बल का गठन करते समय आपको यह

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

देखना है कि उन्हें किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाना है। परन्तु मैं कहूंगा की इस राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बल के जवानों के लिए अन्य बातों के अलावा कुछ कानूनी और सवैधानिक माध्यम का उपबन्ध किया जाना चाहिए जिसके द्वारा वे अपनी विधि सम्मत शिकायतों के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अभ्यावेदन कर सकें। यदि इस प्रकार का कोई माध्यम नहीं होगा तो हो सकता है एक दिन हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न हो जाए जैसाकि कुछ वर्ष पूर्व केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के मामले में हुआ था। वे यूनियन नहीं बना सकते परन्तु, उन्हें कोई ऐसा संवैधानिक माध्यम प्रदान किया जाना चाहिए जिसके द्वारा वे अपनी विधिसम्मत शिकायतों के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अभ्यावेदन भेज सकें। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है और मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इन सभी बातों को, इस विधेयक पर मतदान पूर्व, स्पष्ट कर देंगे।

[अनुवाद]

श्री टी० बशीर (चिरायिकल) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

12.00 **मध्याह्न**

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इस विधेयक का उद्देश्य आन्तरिक गड़बड़ी से राज्यों को बचाने के उद्देश्य से आतंकवादी गतिविधियों को रोकने हेतु देश के लिए एक संशस्त्र बल का गठन एवं उसका संचालन करना है।

आतंकवाद हमारे देश के लिए एक खतरा बन चुका है। हमारा देश उच्च मूल्यों एवं परम्पराओं का देश है। गांधी जी ने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उनका हथियार अहिंसा था और उनका व्यवहार सहनशीलता। परन्तु गांधी जी ने इस देश में, यह इतिहास की विरोधोक्ति है कि बहुत रक्तपात हुआ है। आतंकवाद प्राय: अपना कुरूप सिर उठा लेता है तथा यह हमारी राजनीति का एक रोग बन चुका है। इस सभा में कई बार हम इस समस्या पर विचार कर चुके हैं और जैसा कि कई माननीय मित्रों ने कहा हैं कि यह विधेयक इस देश में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक और बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का गठन करने के उद्देश्य से लाया गया है।

आतंकवाद कोई कानून और व्यवस्था की साधारण समस्या नहीं है। हमें इसे प्रशासनिक एवं राजनैतिक दोनों तरीकों से हल करना है। इस विधेयक का उद्देश्य प्रशासनिक उपाय प्रदान करना है और मैं समझता हूं कि इस विधेयक को राजनैतिक मान्यताओं से ऊपर उठकर सभा के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त होगा। इस समस्या के समाधान के लिए हमें प्रशासनिक उपायों के साथ-साथ राजनैतिक दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिए। हम इस सभा में देश की साम्प्रदायिक समस्या पर विचार कर इस बात पर सहमत हो चुके है कि राजनैतिक दल इस पर विचार करके

सर्वसम्मत निर्णय के आधार पर इस समस्या के लिए एक राजनैतिक कार्यक्रम बनाएं। इस समस्या को भी हमें राजनैतिक तरीके से हल करना है।

इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह भारी चिन्ता का मामला है कि इस देश में अवैध हथियारों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अवैध हथियार बनाने वालों और ऐसे हथियारों की तस्करी करने वाले लोगों को भी इस विधेयक के विस्तार क्षेत्र में लाया जाना चाहिए।

मैंने विधेयक का अध्ययन किया है और विधेयक की धारा 15 में आतंकवादियों की परिभाषा दी गई है। मेरे विचार से देश के भिन्न-भिन्न भागों में चोरी-छुपे निर्माण किए जाने वाले इस प्रकार के हथियारों और विस्फोटक पदार्थों के बारे में उस परिभाषा में कुछ नहीं बताया गया है। पंजाब में आतंकवाद-विरोधी कार्यवाहियों से हमें पता चला है कि उस राज्य में हथियार बनाने के बहुत से अवैध कारखाने चल रहे हैं। मैंने समाचार पत्रों में कुछ ऐसे समाचार देखे हैं कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में भी पुलिस ने हथियार बनाने के अवैध कारखानों का पता लगाया है। इसलिए, यह देश के लिए गहन चिन्ता का विषय है। मेरे विचार से अवैध हथियारों का निर्माण और इसे हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और यह लोगों के मन में डर की भावना उत्पन्न करता है तथा देश की शान्ति को प्रभावित करता है।

मैं अभी एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा। मेरे अनेक सहयोगियों ने अर्ध-सैनिक संगठनों के कार्य के बारे में बताया है। इस सम्बन्ध में बहुत बार शिकायतें आई हैं कि बहुत सी घटनाओं में इन अर्ध-सैनिक संगठनों के सांप्रदायिक दंगों को बढ़ाने में योगदान दिया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि बाड़ ही फसल को खाना प्रारम्भ कर दे तो सुरक्षा नही रह सकती है। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है इन व्यक्तियों का व्यवहार इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण है, और इसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। मुझे यह नहीं पता है कि सरकार इन व्यक्तियों को किस प्रकार का प्रशिक्षण देने जा रही है। उचित परिभाषा के द्वारा सरकार इन व्यक्तियों के मस्तिष्क में विचारात्मक चेतना जाग्रत कर सकती है और उन्हें इस बात के प्रति सचेत किया जा सकता है कि वे एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और इसे उन्हें ठीक ढंग से करना है। मुझे आशा है कि सरकार जब इस बल को प्रशिक्षण देगी तो इस महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखेगी।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और मेरे विचार से यह विधेयक हमारे देश में आतंकवाद का मुकाबला करने में सहायक होगा जो कि हमारे जीवन के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है।

[अनुवाद]

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : महोदय, मैं संक्षेप में कुछ कहना चाहूंगा। सबसे पहले, मैं उन सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने

[श्री अरुण नेहरू]

इस वाद-विवाद में भाग लिया । इसमें एक उत्साहवर्धक बात यह है कि लगभग सभी सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है और हमारे लिए बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं ।

महोदय, यह बहुत अधिक उत्साहवर्धक है कि प्रत्येक सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि हमें विशेषरूप से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के वेतन ढांचे, कल्याणकारी कार्यों, बीमा, अस्त्र-शस्त्र, आवास और वास्तव में बल के सम्पूर्ण कार्मिक भाग की ओर उचित ध्यान देना चाहिए । हम इन सुझावों पर अवश्य विचार करेंगे और हम विश्वास दिलाते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कर्मचारियों की वैयक्तिक सुविधाओं में कोई कमी नहीं होगी ।

कुछ सदस्यों ने बल की संरचना विशेष रूप से भर्ती और नियुक्ति के संबंध में प्रश्न उठाए हैं ।

मैं संक्षेप में यह बताना चाहूंगा कि आज राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड सेना और अर्द्ध सैनिक बलों से व्यक्ति ले रही है । उनके चयन का मानदण्ड बहुत ऊंचा है और उन सबकी गहन जांच की जाती है । इस हस्तक्षेप का मेरा उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में संक्षेप में बताना था । जैसा कि हमने पहले बताया है, यह विशि[illegible] बल है । मैं श्री अताउर्रहमान द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा । मैं प्रशिक्षण के संबंध में यह बताना चाहूंगा कि जो प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं उनमें न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण लेते हैं बल्कि हम इस प्रशिक्षण की सुविधा को राज्यों तक भी बढ़ा रहे हैं । हमने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कार्मिकों के लिए आयोजित कमांडो कार्य में प्रशिक्षण लेने के लिए राज्यों के पुलिस बलों से विभिन्न व्यक्तियों को आमंत्रित किया । अब, मेरे लिए यह बताना संभव नहीं है कि हम क्या और किस प्रकार का प्रशिक्षण दे रहे है, लेकिन इतना अवश्य है कि आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित विषयों पर व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है । गृह मंत्रालय की परामर्शदायी समिति की अगली बैठक में आने के लिए हम सदस्यों को आमंत्रित करते हैं कि वे हमारे साथ मानेसर आए जहां कि यह प्रशिक्षण सुविधाएं हैं और स्वयं वहां आकर इन्हें विस्तार से देखें । प्रशिक्षण के सम्बन्ध में यह बताना अति कठिन है कि कौन-कौन से विभिन्न पाठ्यक्रम हैं । लेकिन आतंकवाद से सम्बन्धित सभी कार्यवाहियों को शामिल किया जा रहा है । हमारे पास पूर्ण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है और हम यह सुनिश्चित करते है कि इस बात की ओर ध्यान दिए बिना कि एक व्यक्ति किस बल में आया है, वह इस पाठ्यक्रम का विस्तार में अध्ययन करें ।

बहुत से सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि [illegible] एक अलग बल क्यों बनाना चाहते हैं और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यह कार्य क्यों न[illegible] ने है । [illegible] जैसा कि हम[illegible] बता[illegible], यह एक विशिष्ट बल है और मेरे विचार से [illegible] व्यवसायिक बल जोकि एक विशेष [illegible] [illegible] य प्र[illegible] रना और उस पर का[illegible]वाही करना आसान नहीं है ।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को हम एक विशिष्ट बल के रूप में रखने का प्रयास कर रहे हैं। हमने भर्ती के लिए कठोर नियम बनाए हैं और हम सेना, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल से उत्कृष्ट व्यक्ति लेने का प्रयास कर रहे हैं और तब हम उन्हें पूर्णतः उस संकल्पन के अनुकूल ढालते हैं जिस पर यह बल आधारित हैं, यह एक भिन्न संकल्प है, यह सामान्य नीति बनाने की प्रक्रिया नहीं है। सदस्यों ने आसूचना एजेंसियों के संबंध में भी प्रश्न उठाए हैं। अब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को आसूचना एजेंसी के रूप में कार्य करने का कोई इरादा नहीं है। अन्यथा आप यह पाएंगे कि आसूचना एजेंसियां आघातक शक्ति से पांच गुना अधिक होंगी। कोई बल जो कि विशिष्ट बल है आसूचना पर निर्भर करता है, जो कि क्षेत्र से आता है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, हमारे पास बहुत तरह की आसूचना एजेंसियां नहीं हैं। हमारा एक आसूचना ब्यूरो है। हमारी बाह्य सुरक्षा जो कि अलग विषय है, के लिए हमारे पास कुछ है। प्रत्येक राज्य का अपना आसूचना संगठन है। राज्य आसूचना संगठन को अब हम नहीं चला रहे है। इसलिए यदि किसी राज्य द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की मांग की जाती है या किसी राज्य में इसके द्वारा कार्य करने की आवश्यकता होती है तो केन्द्र और राज्य दोनों की आसूचना एजेंसियां इसमें सहायता देंगी।

मैं सरसरी तौर पर बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि जहां तक पंजाब का संबंध है, मेरे विचार में केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर आसूचना एजेंसियों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। यदि उन्होंने ऐसा न किया होता तो वे इतने व्यक्तियों को गिरफ्तार न करते। वे पुलिसकर्मी और अर्द्ध सैनिक बल जो पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के कार्य में लगे हुए हैं, पृथक होकर कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा दी गई आसूचना पर निर्भर रहना होगा और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में आसूचना एजेंसियां रखने की हमारी कोई योजना नहीं है। इससे दोहराव ही होगी। मेरे विचार से यह किसी उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने आंतरिक अशांति के संबंध में प्रश्न उठाया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम आन्तरिक अशांति की बात करते हैं तो इसका अर्थ आतंकवादियों द्वारा फैलाई गई आंतरिक अशांति से होता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं इससे प्रसन्न नहीं हूं।

श्री अरुण नेहरू : मुझे मालूम है कि आप उस उत्तर से प्रसन्न नहीं होगें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने आम बात कही है न कि कोई विशेष बात।

श्री अरुण नेहरू : तैनाती की प्रक्रिया के सम्बन्ध में हम पहले ही यह बता चुके हैं कि किसी भी अन्य सैनिक बल की भांति इसे संविधानिक ढांचे के अन्तर्गत तैनात किया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसका क्या अर्थ है ?

श्री अरुण नेहरू : हम इन सभी प्रश्नों को आपसे स्पष्ट करने जा रहे हैं।

इसका भी उल्लेख किया गया है—श्री रहमान ने इसका उल्लेख किया है—अपहरण—विरोधी कार्य और बल उस दिशा में पूर्णतया तैयार हैं। हम अन्य बेहतर प्रक्रियाएं अपना रहे हैं लेकिन मैं उनके सम्बन्ध में इस स्तर पर विचार नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये सब अभी भी योजनाधीन हैं। परन्तु, अपहरण विरोधी कार्यवाहियों में स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास पूर्ण प्रशिक्षित बल है।

इसका भी उल्लेख किया जा चुका है कि पिछले डेढ़ वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने क्या कार्य किए हैं। संक्षेप में मैं यह बताना चाहूंगा कि 1984 में बल को बढ़ाने का निर्णय लिया गया था और उस समय एक योजना सेल की भी स्थापना की गई थी। जून, 1985 में बल को बढ़ाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई थी। यह अभी भी विकास की प्रक्रिया में है। परन्तु इस कार्य के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में व्यक्ति हैं। आपको याद होगा कि पंजाब के मुख्य मन्त्री ने हमसे सहायता मांगी थी और हमने उन्हें सहायता दी, और मेरे विचार से उन्होंने अच्छा कार्य किया। जैसा कि सभा को इस बारे में पहले से ही जानकारी है, मुझे इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

भर्ती की पद्धति के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी विषयों को हम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नियमों में शामिल कर लेंगे जो कि बनाए जा रहे है। इस बारे में कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिए गए हैं और हम इन पर विचार करेंगे।

मैं फिर भी इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का संबंध है, हमने इसकी स्थापना आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए विशिष्ट कमांडो बल के रूप में की है न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को बढ़ाया जा रहा है तथा इसकी कार्यवाहियां बढ़ाई जा रही हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उपयोग हम राज्यों में प्रशिक्षण देने के लिए भी कर रहे हैं। हम उन्हें हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं और यह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की विभिन्न कार्यवाहियों का एक भाग होगा।

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बिल का समर्थन करता हूं। देश में इस समय जो हालात चल रहे हैं, आतंकवाद, साम्प्रदायिकता एवं जाति, धर्म और प्रान्तीय बटवारे को लेकर, भारतवर्ष में बहुत सी विदेशी ताकतों के माध्यम से गुमराह होकर जो तत्व ऐसे मसले उठा रहे हैं, उनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह बिल सार्थक सिद्ध होगा।

मैं, इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं अपने सुझाव देते समय इंटेलीजेंस यानी गुप्तचर सेवा के बारे में कहना चाहता हूं कि इसको प्रभावशाली बनाए जाए। मैं

इस माननीय सदन में इस बात की मांग करताहूं कि हमारी गुप्तचर सेवा को बहुत अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए। प्रश्न केवल पंजाब का नहीं है बल्कि हरेक प्रान्त और हर जिले में जो भावनाएं प्रदूषित की जा रही हैं। जातिवाद को लेकर धर्म को लेकर और अन्यान्य मसलों को लेकर, जो परेशानियां आज हमारे सामने आती हैं, उनके लिए जो हमारी इंटेलीजेंस है, वह प्रभावशाली होनी अत्यन्त आवश्यक है जिससे कि केन्द्रीय सरकार को, प्रान्तीय सरकारों को गुप्तचर सेवा की सूचनाओं द्वारा पहले से प्रशासन को सतर्क किया जा सके।

आजकल हम देखते है कि क्राइम हर जगह बढ़ रहे हैं। उनमें लगे हुए क्रिमिनल्स या आतंकवादियों के पास अस्त्र-शस्त्र आधुनिक तरीके के होते जा रहे हैं। इसके लिए अत्यावश्यक है कि सुरक्षा से सम्बन्धित एजेंसियों को आधुनिक अस्त्र-शस्त्र से सज्जित किया जाये। इस विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि उनको आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों में ट्रेंड किया जायेगा, लेकिन मैं सुझाव रखना चाहूंगा कि उनको ट्रेनिंग दी जाये और अधिक से अधिक लेटेस्ट वैपन्स दिए जायें और जो तरीके सुरक्षा की दृष्टि से लाभकर हों, वह उनको सिखाए जायें।

हमारे भारतवर्ष की राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए और अधिक सख्ती की जाना चाहिए। अभी पिछले दिनों हमने एक विधेयक पर चर्चा की थी, उसमें यह प्रावधान रखा था कि 5 किलो मीटर तक क्षेत्र को हमारी सरहदों पर सुरक्षित किया जायेगा। अधिकतर यह देखने में आया है कि जब आतंकवादी को पकड़ते हैं तो पाकिस्तान से आए हुए या बाहर से लौटे हुए आदमी इसमें ज्यादा सक्रिय रहे हैं और वह भड़काने की बातों को अधिक फैला रहे हैं। उनको रोकने के लिए अत्यावश्यक है कि हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति अधिक सुरक्षित और सतर्क हो और सुरक्षा में लगे हुए कर्मियों को अधिक सावधान किया जाये और उन्हें ट्रेनिंग दी जाये।

इसके अलावा हमारी प्रान्तीय पुलिस के लिये भी ट्रेनिंग की अति आवश्यकता है। अभी तक हम देखते हैं कि जो पुलिस कर्मी भर्ती किये जाते हैं, उनको थोड़ी-बहुत ट्रेनिंग देकर वहां पर रखा जाता है। अगर उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी, उनको सुविधाजनक अस्त्र-शस्त्र नहीं दिये जायेंगे, उनके आवागमन के लिए जीपों और सवारी की कमी रहे और उनके पास बहुत से ऐसे साधन न हों जिनके प्रयोग में न आने से बहुत सी कमियां देखने को मिलती हों तो उनको भी आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से सज्जित किया जाना चाहिए।

पुलिस के बारे में आम लोगों की धारणा है, चाहे किसी भी प्रान्त का निवासी हो, पुलिस को हर जगह करप्शन की दृष्टि से देखा जाता है कि पुलिस में भारी करप्शन है और इसके उदाहरण भी प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं। मैं एक दो उदाहरण देना चाहूंगा।

मेरे जिले में एक बस को लूटा गया। यह दो वर्ष पूर्व की घटना है। वहां पर हमारे यहां के प्रमुख ग्राम प्रधान भी थे। उन्होंने बताया कि उन लूटने वालों ने जब उस सामान को लूट लिया तो उन्होंने रुपयों की गिनती की और फिर सबको बुलाकर कहा कि इन्हें वापिस ले जाओ। ग्राम प्रधान ने उनसे पूछा कि लूटने के बाद क्यों सामान वापिस करते हो तो उन्होंने कहा कि दरोगा जी

[श्री मानवेन्द्र सिंह]

को क्या हम अपनी जेब से पैसे देंगे ? वह थाने उन अभियुक्तों को इलाके बेच देते हैं। उनको मालूम रहता है कि इन बसों में सवारियों से इतना पैसा मिलेगा। इस तरह से वह बसें लुटती हैं, डकैतियां पड़ती हैं और उसका कुछ हिस्सा थानों को दिया जाता है।

इसी तरह अभी हाल में एक घटना मथुरा जनपद में हुई जिसमें जाटवों और हरिजनों का विवाद उठकर आया। उसमें भी जातीयता की भावना थी। वहां के पुलिस कर्मियों के एक दीवान किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में गये, वहां उन्होंने खाना खाया। उनके साथ दो जाटव कांस्टेबल भी थे। वहां एक महिला ने उनसे पूछा कि तुम कौन किस जाति के हो तो दीवान ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं और मेरे साथ दो कांस्टेबल हैं वह जाटव हैं। वहां प्रश्न उठा कि जो जाटव हैं वह अपने बर्तन साफ कर दें। इससे वहां उत्तेजना भड़की और एक बड़ा लम्बा विवाद हो गया। वहां एक जातीय और कौमी विवाद उठ खड़ा हुआ। यह मेरे जिले की बात है।

यह अभी 13 तारीख की घटना है। वहां पर गृह मंत्री आये थे और हम लोग भी वहां गए थे। हमने बहुत मुश्किल से उनको शान्त किया। इस कारण पुलिस कर्मियों में से जातिवाद की भावना को भी निकाला जाना चाहिए। उनको ऐसी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए जिससे उनमें सतर्कता आए। आज पुलिसकर्मियों में पैसे का जो लालच बढ़ता जा रहा है, उसको भी समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसे बहुत से हमारे सामने मिसालें आती हैं जिसमें हमें मालूम होता है कि पुलिसकर्मी और थानाध्यक्ष पैसा लेकर डकैतियां कराते हैं। वह यह काम खुले आम करते हैं। इस कारण उन पर अवश्य काबू पाना चाहिए।

महोदय, अब मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहले हमारे प्रान्त में जिलाधीश जिला पुलिस अधीक्षक और अफसरों की करेक्टर रोल की एन्ट्री किया करता था लेकिन अब यह सिस्टम बन्द कर दिया गया है। अब पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र कर दिया गया है। यही कारण है कि आज वहां चोरियां और डकैतियां बढ़ती जा रही हैं। जब एस०डी०एम० अपने क्षेत्रों में जाता है और उसको पुलिस की जरूरत पड़ती है तो थानाध्यक्ष उसके आदेश की अवहेलना करता है क्योंकि वह एक स्वतंत्र बाड़ी है।

इसके लिए मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वही पुराने सिस्टम को वहां शुरू किया जाये और उसको जिलाधिकारी के अन्तर्गत ही लाना चाहिए। ऐसा होने से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का आपस में तालमेल हो जायेगा। आशा है मंत्री जी मेरे इस सुझाव पर ध्यान देकर इसको अवश्य कार्यान्वित करने की कृपा करेंगे।

हमने यह भी देखा है कि दिल्ली में कोई विवाद या कोई घटना घटती है तो उन दिनों पुलिस प्रशासन बड़ी चुस्ती से काम करता है। इसी तरह जब दिल्ली की बहुमंजिला इमारत में बम विस्फोट हुआ था तो उन दिनों पुलिस व्यवस्था बहुत सशक्त कर दी गई। मगर उसके कुछ

ही दिन बाद वही पुरानी व्यवस्था कायम हो गई। उन दिनों में मैं जब रात को 12 बजे कहीं से लौट रहा था तो मैंने कहीं पर भी पुलिस गश्त होते नहीं देखा। इसके लिए मेरा निवेदन है कि पुलिस व्यवस्था हमेशा चुस्त और सतर्क रहनी चाहिए जिससे कि कोई भी घटना घटित न हो सके। जब हमारे नार्थ एवेन्यू में कोई घटना होती है तो पुलिस जीपें और मोटरें काफी घूमती हुई दिखाई देती हैं लेकिन जब स्थिति सामान्य हो जाती है तो कहीं पर भी यह सब देखने को नहीं मिलता है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि इस सम्बन्ध में आपके आदेश सख्त होने चाहिए।

जहां तक इन केसिज में न्यायपालिका का सम्बन्ध है, उसमें हमने देखा है कि न्यायपालिका उनको तुरन्त जमानत पर रिहा कर देती है। पुलिस अफसर बाद में हैड-क्वार्टर पहुचता है, लेकिन उसके पहले ही वही अपराधी रिहा होकर अपनी मूछों पर ताव देकर गवाहों को बिगाड़ता है और प्रशासन में व्यवधान डालता है। इस कारण आप न्यायपालिकाओं से इस तरह का तालमेल रखें जिससे अपराधी को न्यायपालिका की कोई मदद न मिल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री अजीत सिंह बाभी (कैरा) : महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विधेयक के उद्देश्य और कारणों के वितरण में कहा गया है कि इस विधेयक को आन्तरिक गड़बड़ी के मुकाबले में राज्यों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल खड़ा करने के लिए लाया गया है। महोदय, उससे मुझे 1979 से पूर्व का हमारे संविधान का अनुच्छेद 352 स्मरण होता है। 1979 में श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता सरकार ने संविधान में संशोधन किया था और अनुच्छेद 352 से 'आन्तरिक गड़बड़ी' शब्द को हटा दिया था। तब हम प्रतिपक्ष में बैठते थे। इस गौरवपूर्ण सदन के समक्ष 21 अगस्त, 1978 को अपने भाषण में मैंने शासक जनता दल के समक्ष अनुच्छेद 352 से 'आन्तरिक गड़बड़ी' शब्द को न हटाने और हमारे संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का उल्लंघन न करने के लिए बहस की थी। अब तक के अनुभव से पता चलता है कि जब आन्तरिक गड़बड़ी आतंक के रूप में उभरती है तो वह कानून द्वारा स्थापित सरकार को उखाड़ सकती है। महोदय, 197-374 में गुजरात में, छात्रों के तथाकथित नवनिर्माण आन्दोलन में, जनसंघ, सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों (मा०) के शामिल होने के बाद, आन्दोलन हिंसक हो गया था। चूंकि पुलिस हिंसा नहीं रोक पाई थी इसलिए सेना को बुलाना पड़ा। बैंकों, सरकारी कार्यालयों, डाकघरों, टेलीफोन एक्सचेंजों तथा करोड़ों रुपये की सरकारी और गैर-सरकारी सम्पत्ति नष्ट हो गयी थी। मंत्रियों पर हमले किए गए थे। विधान सभा के सदस्यों और उनके परिवारों पर हमले किए गए थे और उनकी सम्पत्ति आग में झोंक दी गई और उसे नष्ट कर दिया गया। विधान सभा सदस्यों को विधान सभा से त्याग पत्र देने के लिए आतंकित किया गया, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर दी गई थी कि राज्य सरकार को त्याग-पत्र देना पड़ा था और संघ सरकार को गुजरात में विधान सभा भंग करने के लिए बाध्य होना पड़ा था।

आन्तरिक गड़बड़ी के हथियार को यद्यपि सशस्त्र विद्रोह नहीं कहा जा सकता है। किसी

[श्री अजीत सिंह दामी]

विधि द्वारा स्थापित किसी सरकार को उखाड़ फेंकने और देश में लोकतांत्रिक संस्थान को समाप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग में लाया जा सकता है।

पंजाब राज्य में आंतरिक गड़बड़ी ने आतंकवाद का रूप ग्रहण कर लिया है और उस आतंकवाद ने पंजाब राज्य की सीमाएं पार कर ली हैं और उसने दिल्ली में हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा पूणे, महाराष्ट्र में सेनाध्यक्ष ए०एस० वैद्य की जान ले ली है। आन्तरिक गड़बड़ी चाहे नवनिर्माण अथवा जातीय अस्तित्व के नाम पर हो या खालिस्तान अथवा गोरखालैण्ड या झारखण्ड के नाम पर हो, विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देती है और यह प्रवृत्ति ऐसी है जो देश के टुकड़े-टुकड़े कर सकती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने उस स्थिति का, जो 1973-74 में गुजरात में पैदा हुई अथवा 1981 में असम में पैदा हुई थी या आजकल हमें पंजाब में जिस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, सही आकलन किया था यद्यपि आन्तरिक गड़बड़ी को सशस्त्र विद्रोह नहीं कहा जा सकता है फिर भी राज्य सरकार को उखाड़ सकती है और अन्ततोगत्वा हमारे देश की एकता और अखण्डता तथा कठिन परिश्रम से प्राप्त स्वतन्त्रता को जोखिम में डाल सकती है। संघ सरकार के पास किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में आपात स्थिति घोषित करने की शक्ति होनी ही चाहिए जिससे कि वह आतंकवादी गतिविधियों को संबद्ध राज्य तक की सीमित रख सके।

महोदय, जनता पार्टी और अन्य दलों जनसंघ, भा०ज०पा०, कांग्रेस, लोकदल और अकाली दल, जो 1977 में जनता पार्टी के संघटक थे, ने संविधान के अनुच्छेद 352 से 'आन्तरिक गड़बड़ी' शब्द को हटाकर देश की एकता और अखण्डता के लक्ष्य पर प्रहार किया है। मूल अनुच्छेद 352 संघ सरकार को न केवल किसी राज्य अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र में बल्कि सारे देश में आपात काल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है, और मेरे विचार से जनता पार्टी सरकार को संघ सरकार के पास कम से कम किसी राज्य अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की शक्ति बनाए रखनी चाहिए थी, इसलिए हमारी सरकार को अनुच्छेद 352 में संशोधन करने की दिशा में सोचना चाहिए ताकि आतंकवादी गतिविधियों से सुदृढ़तापूर्वक निपटने की दृष्टि से किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा देश के किसी भी कोने में आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्राप्त हो।

पिछले साल हमने पंजाब से राष्ट्रपति शासन हटा लिया था। हमने वहां चुनाव करवाए। हमने वहां पर विधान सभा गठित की और आजकल वहां पर लोगों द्वारा चुनी गई राज्य सरकार है। हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार को काम करने दिया जायेगा और लोकतन्त्र कायम रहेगा। परन्तु महोदय, ऐसा हो नहीं रहा है। पिछले कुछ समय से हमारे देश को तोड़ने की सांठ-गांठ करते हुए आतंकवाद कई गुना खतरनाक हद तक बढ़ गया है। हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद प्रमुख व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए कमाण्डों का एक विशिष्ट दल खड़ा किया गया है। महोदय, माकन दम्पत्ति, अर्जुन दास, सन्त लोंगोवाल, डी०सी० खुल्लर, और अन्त में जनरल वैद्य इन सभी को आतंकवादियों द्वारा गोलियों से उड़ा दिया गया। महोदय, दूसरा

शर्मनाक पहलू यह कि इनको गुमनाम या किसी अन्य तरीके से पहले से ही चेतावनी देकर मारा गया था। इसलिए स्थिति भयंकर है तथा आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

महोदय, आतंकवाद एक लड़ाई नहीं बल्कि एक दीर्घकालीन युद्ध है इसलिए इस विधेयक के माध्यम से लाए गए राष्ट्रीय सुरक्षक के सृजन का हम हार्दिक स्वागत करते है। परन्तु महोदय, उसके लिए न तो सेवानिवृत्त सेना या पुलिस के जवान काफी होंगे और न ही कमाण्डो प्रशिक्षण पर्याप्त रहेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा में भर्ती किए गए लोगों को हर समय होशियार, उत्साही और चौकन्ना रहना होगा जैसाकि अमेरिका में सी०आई०ए० के आदमी रहते हैं। महोदय इस अधिनियम अन्तर्गत भर्ती किए जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षक के लिए केवल व्यावसायिक निष्ठा पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर पहले हमारी निर्भीक प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और तत्पश्चात हमारे युवा प्रधान मन्त्री राजीव गांधी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को महाशक्तियों ने पसन्द नहीं किया है। भारत ने तीसरे विश्व के देशों का नेतृत्व ग्रहण किया है और वह गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का एक महान प्रस्तावक बन गया है जिसका उद्देश्य तीसरे विश्व के देशों को शोषण से बचाना है। उत्तर में हमारे पड़ौसी देश चीन को यह कतई पसन्द नहीं है कि दक्षिण-पूर्व एशिया में जिसे चीन अपने ऐतिहासिक प्रभाव का क्षेत्र मानता है कोई देश मजबूत हो। पाकिस्तान ने काश्मीर को स्वयं मिलाने का विचार अभी तक नहीं छोड़ा है। इस प्रकार हम चारों ओर से शत्रुओं से घिरे हुए हैं फिर भी हम शान से खड़े हुए हैं। हम केवल इस समय ही शत्रुओं से नहीं घिरे हैं बल्कि हम तो शत्रुओं से हमेशा ही घिरे रहे जैसाकि हमारे शायर इकबाल ने कहा है :

[हिन्दी]

सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा,
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।

यही हमारी परम्परा है।

[अनुवाद]

इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षक ही पर्याप्त नहीं है। संसद और सम्पूर्ण राष्ट्र को समय के अनुसार तैयार रहना चाहिए और इसलिए बर्क का प्रसिद्ध कथन—"सतत सतर्कता ही स्वतन्त्रता की कीमत है" सत्य है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल इस सदन में लाया

[श्री काली प्रसाद पांडेय]

गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे जो भी बिल इस देश की एकता और अखंडता के लिए इस सदन में लाया जाएगा, में उसका समर्थन करूंगा।

प्रश्न यह पैदा होता है कि हिन्दुस्तान का आवाम आतंकवाद की जिस हालत से गुजर रहा है, उससे हम किस तरह से मुक्ति पायें। आज हिन्दुस्तान के मानस पटल पर यह बात छायी हुई है कि आतंकवाद से हम किस तरह मुक्ति पा सकते है। सिर्फ पंजाब के आतंकवाद पर ध्यान केन्द्रित करने से हम आतंकवाद को खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर "प" से पश्चिम चम्पारण बनता है। अगर श्रीमती इंदिरा गांधी ने पंजाब में ब्लू-स्टार-आपरेशन चलाया तो बिहार सरकार ने पश्चिम चम्पारण में ब्लैक-पैन्थर अभियान चलाया। इसी तरह से बिहार में गया जिला व गोपालगंज जिला जहां अपराधों की संख्या बढ़ रही है। इन दोनों स्थानों पर यदि आप हत्याओं का सिलसिला देखें तो पंजाब के मुकाबले बिहार में हत्यायें ज्यादा हुई हैं और आज बिहार राज्य हत्याओं के मामले में बेताज का बादशाह बन गया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या पंजाब में नहीं हुई, बल्कि दिल्ली में हुई। इसी प्रकार हमारे साथी श्री माकन दिल्ली में मारे गये और जनरल वैद्य की हत्या पूणे में हुई। सवाल यह है कि जब तक हम देश में सुरक्षा बल को वे अधिकार और पावर नहीं देंगे, तब तक ये घटनायें नित्य-प्रतिदिन बढ़ती जायेंगी। हम भगवान में विश्वास करते हैं और भगवान भी देख रहा है। सब का अन्जाम आजकल पेपर में सुर्खियों में नित्य-प्रतिदिन सामने आ रहा है। आतंकवादियों को पकड़ने से हमको ऐसे प्रमाण मिल रहे है, पंजाब के आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर, चाहे वह पाकिस्तान हो या अमरीका हो, हिन्दुस्तान को विघटित करने का प्रयास प्रतिदिन कर रहा था। लेकिन आज पाकिस्तान अपने ही आन्तरिक कलह से बाध्य होकर उसको सेना की मदद लेनी पड़ रही है।

जहां तक राज्यों का सवाल है, श्री मानवेन्द्र जी ने ठीक ही कहा है, आन्तरिक सुरक्षा की बहुत बातें हम सदन में करते हैं, लेकिन यदि हम देहात के थानों में जायें, जहां तक भवन है, तो छप्पर नहीं है। पुलिस अपराधियों को पकड़ना चाहती है, लेकिन उनके पास जीप एवेलेबल नहीं है। जहां तक जुडिशियरी का सवाल है, मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। आज भी पुलिस के अधिकारी अपनी जान पर खेलकर कुख्यात अपराधियों को पकड़ते है। लेकिन इसका अंजाम क्या होता है कि चन्द दिनों के बाद छूट जाते हैं इसलिए जब तक हिन्दुस्तान का गृह मंत्रालय और राज्यों में ताल-मेल की भावना उत्पन्न नहीं होगी, तब तक आतंकवाद नित्य-प्रति-दिन बढ़ता जाएगा। आपने देखा, पंजाब में एक चिंगारी उठी और इसका अन्जाम देश में यह हो रहा है कि कहीं पर गोरखालैन्ड की मांग उठ रही है। बिहार में मुक्ति मोर्चा या झारखुण्डे व वालेहम की मांग उठ रही है। हमको चाहिए कि इस तरह का मांगों को उठाने वाले कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूं, इस तरह की बातों को नहीं उठने देना चाहिए। आतंकवाद की कहीं से शुरूआत होती है उसको दफन करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं, चूंकि समय का अभाव है।

श्री मनोज पांडे (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नेशनल सेक्यूरिटी गार्ड बिल, 1986 समर्थन करता हूं।

एक विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह डैजटर्स के विषय में है और इस बिल में काफी कड़ी सजा ऐसे लोगों के बारे में देने का प्रावधान किया गया है। जो डैजर्टस कहलाते हैं और जिन्हें हम भगोड़े भी कहते हैं आपने सुना होगा कि ब्लू-स्टार आपरेशन होने के बाद, बिहार, जहां से मैं आता हूं की केन्टोनमेंट से कुछ भगोड़े, कुछ डैजर्टस पंजाब भागकर जाना चाहते थे। यह एक छोटी सी घटना है, जिसे मैं बताना चाहता हूं। पटना के नजदीक आकर के वे एक गांव में छिपे क्योंकि पुलिस उनके पीछे लगी थी और उनके साथ उनके आर्मस एण्ड एम्यूनिशन्स, सेल्फ लोडिंग राइफल्स, लाइट मशीन गनें और हैंड ग्रेनेड्स थे और मिलिट्री की सारी एम्यूनिशन्स थी। पटना के नजदीक बिहार शरीफ के एक गांव में आकर वे पनाह लिए हुए थे और उनकी सेल्फ लोडिंग राइफल्स और लाइट मशीन गनें और हैंड ग्रेनेड्स उस गांव से दूसरे गांव में रहने वाले कुछ कुख्यात गिरोह के हाथ में पड़े, उनसे वे राइफल्स खरीद ली गई और उन राइफल्स का इस्तेमाल डकैती में किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते ही हैं कि इस तरह की राइफल्स की रेंज काफी हुआ करती है। पुलिस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और उन राइफल्स को हथियाने के लिये कई पुलिसकर्मियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि डेजर्टस के प्रति मानवतावादी विचारधारा से उनके साथ डील किया जाए। इस तरह की डिमान्ड करना आज के परिपेक्ष्य में उचित नहीं है। इस बिल में बहुत ही अच्छी बातें डेजर्टस के बारे में कही गई हैं और समय के अनुसार उन बातों को कहा गया है और मैं इसका स्वागत करता हूं। डेजर्टस हैं, जो भागे हुए लोग हैं, जो आर्मस एण्ड एम्यूनिशन्स लेकर अपनी केन्टोनमेंट से भाग जाएं, उनके बारे में यह कहा जाए कि उनके प्रति कुछ मानवता का दृष्टिकोण अपनाया जाए, यह सरासर गलत होगा। मैं बिलकुल साफ-साफ कहना चाहता हूं कि चाहे कोई भी सरकार हो, हमारी सरकार हो या गैर कांग्रेसी सरकार हो, ऐसे लोगों के प्रति अगर मानवता का दृष्टिकोण अपनाती है, तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। डेजर्टस के प्रति किसी भी तरीके का मानवता का दृष्टिकोण अपनाना बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। मैं यह देख रहा हूं कि आज की परिस्थिति में डैजर्टस को बसाने की व्यवस्था हो रही है, कई जगहों पर उनको बसाया जा रहा है, उनके लिए सस्ते दामों पर मकानों की व्यवस्था की जा रही है, खेती करने योग्य जमीनें दी जा रही हैं। इस तरह की छूट ऐसे लोगों को दी जा रही है जो अपने कर्म को छोड़ कर धर्म के नाम पर भाग कर आए हैं। उनको मानवता का दृष्टिकोण दिखाने का जस्टिफिकेशन कैसे हो सकता है। मान लीजिए ऐसे लोगों को अगर सीमा पर भेजा जाए और कहा जाए कि आप को यह लड़ाई लड़नी है, तो कल को कुछ ऐसे भगोड़े हो सकते हैं, जो धर्म के नाम पर भाग कर चले आएं। उनके बारे में यदि यह कहा जाए कि उनके प्रति मानवता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, तो यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है और यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी पंजाब की सरकार यह कहती है कि उनके प्रति कुछ मानवता का दृष्टिकोण अपनाया जाए। मेरा कहना यह है कि ऐसे डैजर्टस को बसाने की व्यवस्था बन्द होनी चाहिए। और उन पर वह कार्यवाही होनी चाहिए जो इस बिल में लिखी हुई है ऐसे बिल यहां पर आने चाहिए और ऐसे लोगों को कदापि नहीं छोड़ना चाहिए जो अपना कर्तव्य छोड़

[श्री मनोज पांडे]

कर धर्म के नाम पर भागकर दूसरी जगह चले जाएं। यह देश का सवाल है और देश के हित के लिए उनको भर्ती करते हैं सेना में, नेशनल सेक्यूरिटी गार्ड में और दूसरे बलों में उनको तरजीह दी जाती है। समय आने पर धर्म के नाम पर वे छोड़ कर भाग सकते हैं और यहां पर बैठे हुई कुछ साथी यह कहें कि उनके प्रति मानवता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, तो यह ठीक नहीं है।

अरे महाराज, मानवता का दृष्टिकोण वहां अपनाया जाता है जहां हृदय परिवर्तन हो सकता है। हृदय परिवर्तन में हम भी विश्वास करते हैं लेकिन ऐसे लोगों का हृदय परिवर्तन हो सकता है जिन्हें अपना कर्त्तव्य करना नहीं आता ? उनके लिए कर्त्तव्य को पूरा करना बहुत आवश्यक था।

हमारे माधव रेड्डी साहब ने कहा कि ऐसे लोगों को जेलों में रखने की अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। मैं माधव रेड्डी साहब से पूछना चाहता हूं कि टेरोरिस्ट्स को जेलों में अलग क्यों रखा जाए ? उनका यह भी कहना था कि चूंकि जेलों में हार्डेन्ड क्रिमिनल्स भी होते हैं इसलिए अगर इन टेरोरिस्ट्स को उनके साथ रखा जायेगा तो वे हार्डेन्ड क्रिमिनल्स होकर निकलेंगे। क्या टेरोरिस्ट्स से बढ़कर भी कोई हार्डेन्ड क्रिमिनल हो सकता है, यह प्रश्न हमारे सामने है ? ऐसे लोगों के बारे में इस तरह की बात सोचना समुद्र को लांघने जैसी बात होगी। मैं कहता हूं कि ऐसे टेरोरिस्ट्स के प्रति किसी भी तरह की मुरव्वत की बात नहीं होनी चाहिए। जो लोग उनके प्रति मुरव्वत की बात करते हैं उन्हें साफ-साफ बताना होगा कि वे उनके प्रति कैसा रुख अपनाना चाहते हैं। उनके प्रति मानवता का दृष्टिकोण अपनाने की बात नहीं हो सकती।

इस बिल के सम्बन्ध में मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे बलों का इस्तेमाल नेचुरल कैलेमिटीज में भी किया जायेगा ? उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बाढ़ और सुखाड़ दोनों ही भारतवर्ष में बहुत कामन कैलेमिटीज है। आजकल बाढ़, खासतोर पर आन्ध्र प्रदेश में बहुत जबर्दस्त आई हुई है। क्या ऐसी कैलेमिटीज के समय इन बलों की नियुक्ति की जायेगी और लोगों के लिए इन बलों द्वारा राहत कार्य किए जायेंगे ?

मैं माधव रेड्डी साहब से कहना चाहता हूं जो यह कहा जाता है कि टेरोरिस्ट्स को जेल में रखा जाएगा तो वे हार्डेन्ड क्रिमिनल होकर निकलेंगे, जो लोग 1977 के पहले जेलों में गये हैं और बाहर निकले हैं, उनमें कुछ हमारे भी साथी थे, जैसा कि लोग बार-बार पूछते हैं कि क्या वे भी उसी तरह का होकर निकले हैं ? यह आपके सोचने की बात है।

जेलों में जो व्यवस्था है वह उचित व्यवस्था है। जेल में अपराधी जाते हैं और अपने किए हुए अपराध का प्रायश्चित करने जाते हैं। कुछ तो कष्ट उन्हें भोगना ही होगा। अगर जेल को एयर कन्डीशंड बना दिया जाए, उसमें सारी सुविधायें दे दी जायें तो जेल का क्या महत्व रहेगा। ऐसी बात टेरोरिस्ट्स के लिए नहीं सोचिये, कृपा कर ऐसी बात नहीं सोचिये।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बिल 1986 का समर्थन करता हूं । यह बिल, हमारे देश में जिस तरीके से टेरोरिज्म का विस्तार हो रहा है, उसकी रोकथाम करने की भावना से लाया गया है । इस बिल के जरिये से, इस नेशनल गार्ड संगठन को जो कि 1984 में बन चुका था, सुगठित करने के लिए, उसमें काम करने वालों के लिए रूल्स एण्ड रेगुलेशंस बनाने के लिए व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है । इस संगठन को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जायेगा उसके सम्बन्ध में यह बिल लाया गया है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1984 में जब से यह नेशनल सिक्योरिटी गार्ड संगठन कायम हुआ है तब से आपने कौन-कौन से काम इस फोर्स के जरिये से किये हैं और कौन-कौन से टेरोरिस्ट्स को आपने पकड़ा है जिसकी वजह से इस संगठन को स्ट्रेंगथन करने का आप यह बिल लाये हैं ? क्योंकि तब से टेरोरिस्ट्स को पकड़ने की व्यवस्था वहां जमी है जब से डाइरेक्टर जेनरल रैबेरो पंजाब में गये है । उससे पहले वहां पर कोई व्यवस्था जम नहीं पायी थी ।

दिन-ब-दिन टेरर्जिम बढ़ता जा रहा है, रोजमर्रा मारपीट, कत्ल, गोली, लगना, सब प्रकार की घटनाएं निरन्तर बढ़ती जा रही हैं । इसके साथ-साथ टेररिस्ट और भी धन्धे करते हैं, जैसे स्मगलिंग का धन्धा बड़े पैमाने पर टेररिस्ट करते है, इसी से टेररिज्म पनपा है । पंजाब में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन स्मगलर्स की वजह से टेरर्स्ट्स को मिला है । कोकीन, अफीम, गांजा, सुल्फा, चरस वगैरह जो भी सामान पाकिस्तान के बार्डर से चाहे वह राजस्थान के बार्डर से, या पंजाब के बार्डर से आया, इसकी वजह से यहां टेररिज्म ज्यादा पनपा है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इसके संबंध में इसमें कोई प्रावधान नहीं किया है, जिसकी वजह से टेररिज्म पनपा है । यहां से रात-दिन पैसा मिल रहा है, करोड़ों रुपया, स्मगलिंग के सामान के जरिए से प्राप्त कर इसको व्यवस्थित किया गया है । आर्म्स, एम्यूनेशन आदि सब तरह की सहायता इसके जरिए दी गई है, लेकिन इसके सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने इसमें कोई प्रावधान नहीं किया है कि ये गार्ड इन व्यवस्थाओं को भी ठीक करेंगे, उन स्टेट्स में इनको भेजा जाएगा जहां रात-दिन स्मगलिंग का धंधा होता है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब के बार्डर एरियाज में स्मगलर्स रहते हैं, उन लोगों के घर सोने, चांदी से भरे हुए हैं, अफीम और तस्करी के सामान से भरे हुये हैं, ये लोग ही ऐसी फोर्सेस की ज्यादा मदद करते हैं, इन्हीं की वजह से पंजाब में टेररिज्म पनपा है, ये लोग मुफ्त का करोड़ों रुपए का सामान लाकर नाजायज तरीके से इनकी मदद करते रहते हैं, इनकी वजह से ही पुलिस, बी०एस०एफ० और अन्य फोर्सेस के लोग जो वहां रहते हैं, करप्ट हुए हैं, इनके लिए इस बिल में कोई प्रावधान नहीं है । सारी व्यवस्था को पाकूत बनाने के लिये कोई न कोई व्यवस्था अवश्य करनी चाहिये ।

इंटेलीजेंस के बारे में अभी हमारे इंटरनल सिक्यूरिटी स्टेट मिनिस्टर साहब ने कहा कि यह व्यवस्था अलग नहीं होनी चाहिये । जो व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इंटेलीजेंस ब्यूरो की तरफ से है वह पर्याप्त है, इससे सारी व्यवस्था ठीक तरह से हो रही है, इसको मैं ठीक नहीं सम-

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

झता। मैं माननीय गृह राज्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये व्यवस्थाएं माकूल नहीं हैं, इनको ठीक करना चाहिये। मैं "रा" का उदाहरण आपको देना चाहता हूं, उसमें हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े लोगों की सिफारिश पर लोगों को भर्ती किया गया और उनके जरिए सूचनाएं प्राप्त करने की कोशिश की गई, उनके जरिए आपको कोई इंटेलीजेंस की सूचना नहीं मिलती है और आपके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। ये देश के प्रशासन को निकम्मा और भ्रष्ट बनाने में पूरे तरीके से सहयोग करते हैं। आपको इंटेलीजेंस एजेंसी की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये, जिसके जरिए आपको समय पर सूचना मिल सके और आप उस पर कन्ट्रोल कर सकें। इस प्रकार की एजेंसी की जब तक व्यवस्था नहीं होगी, तब तक आप इस व्यवस्था को ठीक प्रकार से नहीं चला पाएंगे। बड़े-बड़े लोगों पर हमले हुए, कत्ल किये गये, लेकिन किसी इंटेलीजेंस एजेंसी तरफ से आज तक कोई सूचना आपको नहीं मिली और उसकी रोकथाम के लिये आप कोई कदम नहीं उठा सके। इसलिए इंटेलीजेंस व्यवस्था को निश्चित तरीके से ठीक किया जाना चाहिए, तभी सारी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से हो पाएंगी।

इसके साथ-साथ मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, डिसीप्लेन के बारे में कभी-कभी मामले आ जाते हैं, हर फोर्स में ऐसे मामले होते हैं कि कोई बड़ा अधिकारी गाली-गलौच कर दे और छोटा अधिकारी भी उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार कर दे तो छोटे अधिकारी के खिलाफ फाइन और अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का, सजा देने का प्रावधान है। जिस अधिकारी ने बदतमीजी की है या गलत व्यवहार किया है, उसके खिलाफ आपने क्या प्रावधान किया है, लेकिन छोटे अधिकारी के लिये आपने इसको बहुत सीरियस मानकर कहीं 7 साल, कहीं तीन साल सजा की व्यवस्था की है, जबकि इतनी बड़ी सजा बड़े-बड़े क्रिमनल केसेस में भी नहीं देते हैं।

1.00 म०प०

उससे बड़ी ज्यादा सजा आपने छोटे-छोटे डिसीप्लीन के मामले में तय की है। इसलिये, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से लोग जलन, ईर्ष्या, देष की वजह से छोटे लोगों के खिलाफ गलत आरोप लगाकर, उनको फंसाकर सजा दिलवा देते हैं। इसके सम्बन्ध में ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो व्यवस्था आप इनके जरिए से बनाए, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था की जाए ताकि कोई आदमी गलत तरीके से सजा न पाए और इस बिल का दुरुपयोग न किया जाए। इन व्यवस्थाओं को देखने की आवश्यकता है। हमारे कई साथियों ने यह कहा कि स्टेट को बिना पूछे ही फोर्स भेज दी जायेगी। यह फोर्स इसलिए बनाई गई है कि इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है। जहां भी टैरोरीस्ट्स कोई कदम उठायेंगे, वहां पर फोर्सेज जानी चाहिए। टैरोरीज्म को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से कदम उठाये जाने चाहिये, इसीलिए यह कानून बना है। इसका निश्चित तरीके से पालन किया जाए, इसमें किसी तरह की ढिलाई न आने पाए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित होगी। हम 2.00 बजे म० प० पर पुनः समवेत होंगे। मंत्री 2.00 बजे म०प० पर उत्तर देंगे।

1.02 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

2.05 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोकसभा 2.05 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

राष्ट्रीय सुरक्षक विधेयक

[—जारी]

[हिन्दी]

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में राष्ट्रीय सुरक्षक विधेयक पर चर्चा हो रही है। मुझे खुशी है कि सभी दलों ने एकमत से इसका समर्थन किया है। वस्तु स्थिति यह है कि राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में जिस तरह से सारा राष्ट्र जागरुक है, वैसे ही यह सदन भी जागरुक है। यह बिल राष्ट्र की आन्तरिक स्थिति को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए और आतंकवाद का मुकाबला करने की दृष्टि से लाया गया है। यह बात बिल्कुल साफ है कि कुछ बाहरी ताकतें हमारे देश में आन्तरिक गड़बड़ करना चाहती हैं और हमारे चारों तरफ जिस तरह से फौजी वातावरण बनाया जा रहा है, उसका मुकाबला करने के लिये हमारी फौज पूरी तरह सक्षम है, हर स्थिति का स्वयं मुकाबला करने के लिये तैयार है परन्तु देश के अन्दर, विभिन्न भागों में जिस तरह से अराजकता फैलाने का प्रयत्न हो रहा है, यह आतंकवाद उसी का एक रूप है। उसका मुकाबला करने के लिए ही इस विधेयक को लाया गया है।

जैसा कि इस विधेयक में भी स्पष्ट किया गया है, आतंकवाद का अर्थ साधारण हत्याओं, लूटपाट या चोरी की घटनाओं से नहीं है, न ही स्मगलिंग से इसका कोई सम्बन्ध है, बल्कि इस विधेयक का उद्देश्य बिल्कुल भिन्न है। इस बिल के जरिए आतंकवादी प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के गठन का प्रावधान है। उसका पूरा ब्यौरा देते हुये यह भी कहा गया है कि आतंकवाद का अर्थ शासन या सरकार को आतंकित करने या जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने का या जनता के किसी वर्ग को पृथक करने का प्रयत्न है। इससे

[श्री केयूर भूषण]

सीधे हमारी राष्ट्रीयता जुड़ी हुई है। जब कुछ विदेशी ताकतें हमारे देश पर हमला करने का प्रयत्न करती है और हम उनका मुकाबला करते हैं, उसी के साथ मिलता-जुलता आतंकवाद का उद्देश्य भी यही है कि जिसमें देश को विभिन्न तरीकों से विभक्त करने का प्रयत्न किया जाए, चाहे वह जातीय दंगे भड़का कर हो, व्यक्तिगत रूप से कुछ राष्ट्रीय महत्व के महापुरुषों पर हमला करके हो, जिनकी यहां आवश्यकता है, अथवा और किसी तरीके से हो । हमने देखा हैं कि आतंकवादियों का निशाना कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं, जिनका किसी धर्म विशेष से सम्बन्ध नहीं था, किसी पार्टी विशेष से सम्बन्ध नहीं था और न वे किसी जाति विशेष के थे। सभी लोगों पर हमला किया गया। उन्होंने ऐसे महान नेताओं पर भी हमला किया जिनके कन्धों पर राष्ट्रीय एकता का भार था या जो राष्ट्र को मजबूत बनाकर आगे ले जाना चाहते थे। इसलिये यह आवश्यक है कि उन आतंकवादियों से राष्ट्रद्रोहियों की भांति व्यवहार करना चाहिए न कि साधारण चोर, डकैत या उचक्कों सा। उसका कारण यह है और जैसा हम देख भी रहे हैं, कुछ आतंकवादियों की तुलना क्रांतिकारियों के साथ की जाती है और उनको सम्मानित किया जा रहा है। हमें याद रखना चाहिए कि उन क्रांतिकारियों और इन आतंकवादियों में जमीन-आसमान का अन्तर है। उन क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिये अपने प्राणों की बाजी लगा दी, चाहे वे अहिंसक क्रांतिकारी रहे हों या हिंसा के पथ पर चलते हुए जिन्होंने आजादी प्राप्त करने का प्रयत्न किया। आज के आतंकवादी उन क्रांतिकारियों से सर्वथा भिन्न हैं। उन क्रांतिकारियों ने राष्ट्र के संरक्षण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए अपनी कुर्बानी दी, भले ही उन्होंने किसी भी पथ को अपनाया, चाहे वे सुभाष चन्द्र बोस रहे हों, शहीदे आजम भगत सिंह रहे हों अथवा महात्मा गांधी हों, उन सब में एक ही भावना थी : साम्राज्यवादियों के खिलाफ संघर्ष, उन्होंने हमेशा साम्राज्यवादियों से लोहा लिया तथा राष्ट्रीय एकता के मामले में उन सभी का दृष्टिकोण एक समान था।

सामुदायिकता एकता, सभी धर्मों की एकता उनमें बराबर थी और इसी आधार पर व्यावहारिक रूप में उस हिन्सा या अहिंसा के सम्बन्ध में मत-भेद हो, मगर राष्ट्र के लिए बलिदान करने में, राष्ट्र की एकता को कायम करने में, साम्राज्यवादियों का मुकाबला करने में बराबर सब के सब एक थे। वैसी ही स्थिति आज भी हमारी पार्टियों की है। चाहे हम पार्टियों के आधार पर अलग-अलग हों, हमारे सोचने का ढंग अलग-अलग हो, लेकिन देश के सामने जो कठिनाइयां हैं, उनका मुकाबला करने में हम सब एक हैं। इस बात को हमें आज का यह सदन भी बता रहा है क्योंकि यह जो बिल सुरक्षा और संरक्षण के सम्बन्ध में आया है, इस पर बोलते हुए सभी वर्गों के वक्ताओं ने प्रायः इसका स्वागत किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हम राष्ट्रीय सुरक्षक विधेयक यहां लेकर आए हैं। इसमें सबसे बड़ी और बुनियादी बात चयन की है। इस बल के निर्माण के समय हम चयन में किसी प्रकार का भेद-भाव न रखें। आज समाज में जितने भी वर्ग हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व इस बल में होना चाहिए। चयन की ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे समाज के हर

वर्ग को इस बल के अन्दर प्रतिनिधित्व मिल सके। दूसरी बात महोदय यह है कि जितने भी लोग इस बल में लिए जाएं उनमें चाहे साधारण सिपाही हो या अधिकारी हो, ऐसे हों जिन के अन्दर राष्ट्रीयता की भावना हो। नियुक्ति और चयन के समय इन बातों का ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है। इनका चयन उसी प्रकार होना चाहिए जैसे फोज में होता है। देश के प्रत्येक भाग में जगह-जगह जाकर चयन किया जाता है, उसी आधार पर इस सुरक्षक बल का भी गठन होना चाहिए। इस बल के निर्माण में सबसे प्रमुख मुद्दा है राष्ट्रीयता की भावना का होना। तीसरी बात इनकी सैलरी के बारे में कहना चाहता हूं। इनकी सैलरी आज जो फौज और पुलिस बल है, उनमें से अच्छी से अच्छी होना चाहिए। आप इस बल के चयन के लिए मिलिट्री में से रिटायर्ड लोगों को लेने का विचार रखते हैं तो इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उन रिटायर्ड लोगों को प्रमोशन देकर आप इस बल में लाइए और उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं तब दीजिए इस बल का काम बहुत अच्छा चल सकेगा।

उपाध्यक्ष, महोदय इस बल में आप सी०आइ०डी० का एफ ग्रुप रख रहे हैं। आज गुप्तचर विभाग की स्थिति क्या है, इसको आप और साधारण जनता जानती है। यदि आज हमारा गुप्तचर विभाग सही होता तो हमारी माननीय इन्दिरा गांधी, जनरल वैद्य साहब और लोंगोवाल साहब की हत्या नहीं हो पाती। इन सभी हत्याओं से हमारे गुप्तचर विभाग की कमजोरी स्पष्ट नजर आ जाती है इसलिए मेरा निवेदन है कि आप गुप्तचर विभाग ऐसा बनाएं जो इतना सक्षम हो कि इन सारी मुश्किलों का सामना कर सके।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी यह बिल जो इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया है, जहां तक इसके उद्देश्य की बात है, वह निःसंदेह प्रशंसनीय है। मगर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस तरीके से विभिन्न फोर्सेज के एक्ट से कुछ न कुछ लेकर के इस बिल को ड्राफ्ट किया गया है उसी प्रकार से कहीं ऐसा न हो कि इस फोर्स को भी विभिन्न फोर्स के लोगों को लेकर एक मिला-जुला मिक्श्चर बना दिया जाए। इन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसको अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिलेगी।

इस बिल में आपने कहीं भी यह नहीं दर्शाया है कि किस प्रकार से आप रिक्रूटमेंट करेंगे। आपको इस बिल के माध्यम से रिक्रूटमेंट की पावर ड्रा करनी चाहिए थीं, लेकिन इस बारे में इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। जब तक आप इस बिल के द्वारा इस प्रकार की पावर्स नहीं लेंगे, तब तक आप किस तरह से उनके रूल्स एण्ड प्रॉसीजर बनाएंगे।

इतना महत्वपूर्ण बिल यह है, इसमें आप एक इम्पाटेन्ट, स्पैशेलाइज्ड ट्रेनिंग फोर्स को गठित करने जा रहे हैं, लेकिन उसकी ट्रेनिंग का आपने क्या प्रावधान रखा है ? आपके सहयोगी मंत्री श्री अरुण नेहरू जी जब हस्तक्षेप कर रहे थे, तो कुछ बातें उन्होंने कहीं, लेकिन उसमें यह साफ नहीं हो पाया। एक ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट आपका है, उसमें सभी प्रकार की फोर्सेज को आप ट्रेन कर रहे

[श्री हरीश रावत]

हैं लेकिन सभी को एक ही प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दे सकते। जबकि आप एक विशेष उद्देश्य से इस फोर्स का गठन कर रहे हैं तो इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए जो औरों से अलग हटकर हो।

इसके लिए आपने एक बड़ा उद्देश्य रखा है, उसके सामने एक बड़ा मकसद रखा है और इनके लिए आप व्यवस्था 3 करोड़ 86 लाख के करीब कर रहे हैं। इतने बड़े काम को इतने कम धन से कैसे पूरा करेंगे, इसमें मुझे ही नहीं और दूसरे साथियों को भी सन्देह होगा ? यह फोर्स बिल्कुल वैल-ट्रेन्ड, वैल- इक्विप्ड होनी चाहिए।

यह इस प्रकार की फोर्स होनी चाहिए, जैसे कि एयर-फोर्स में एक पायलट में रक्षा करने की और रक्षा के साथ-साथ आक्रमण करने की क्षमता पैदा की जाती है ताकि तत्काल जिस प्रकार की आवश्यकता पड़े, उसी तरह वह रि-एक्ट कर सकें। उसी तरीके से रि-एक्ट करने वाले क्षमतावान लोगों को इसमें लिया जाना चाहिए।

आप इस समय इसमें और सुरक्षा बलों से लोगों को ले रहे हैं। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि हैं आप अच्छे लोगों को ले रहे होंगे, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस फोर्स में पढ़े-लिखे हाईकैलिबर के लोगों को लिया जाना चाहिए। आपने अपने बिल में यह स्पष्ट नहीं किया है कि इसमें भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र क्या होगी ? आप एक यंग फोर्स के रूप में इसको डैवलप करने जा रहे हैं जो कि हमेशा यूथफुल बनी रहे। इसमें यह भी देखना चाहिए कि रिटायरमैंट की लास्ट एज क्या होगी ? जो लोग रिटायरमैंट के बाद रिटायर होकर बाहर आयेंगे, उनके रिहैल्लीटेशन के लिए आप क्या करना चाहते हैं, उसको भी आपको स्पष्ट करना चाहिए ?

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस फोर्स से आप काम बहुत बड़ा लेना चाहते हैं, जिसमें लाइफ का रिस्क भी है और उनके ऊपर आप डिसिप्लिन भी बहुत जबर्दस्त रखना चाहते हैं लेकिन उनके लिए इमौल्यूमैंट्स और सुविधाओं की तरफ भी ध्यान आकृष्ट करना चाहिए कि इनको दूसरी फोर्सेज के बनिस्पत अच्छी सुविधाएं और अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए और इनकी सेवा-शर्तें दूसरों से बेहतर होनी चाहिए।

मेरा आखिरी सुझाव मंत्री जी से यह है कि इसमें जिन लोगों को लें वह टाप-क्लास हों, ऊंचे अधिकारी हों। इसमें ऐसे लोगों को नहीं लिया जाना चाहिए, जिनके सेवा काल एक, डेढ़ या दो साल का रह गया हो, क्योंकि एक नई फोर्स इस समय गठन की प्रक्रिया में है और जब गठन की प्रक्रिया में कोई फोर्स होती है तो उसमें जब तक किसी ऐसे आदमी को ऊंचे पदों पर नहीं रखेंगे जिनके पास 4, 5 या 6 साल का टैन्योर न हो, तब तक अपने मन-मुताबिक, मकसद के मुताबिक फोर्स का गठन नहीं होगा। अगर रिटायर्ड होने वाले लोगों को जिनका सेवा काल 4, 6 महीने या साल भर का रह जाये तो वह अपना वक्त योंही निकालने में रहेंगे।

मैं समझता हूं कि इन बातों का मंत्री महोदय स्पष्टीकरण जरूर देंगे और साथ ही साथ इस फोर्स के लिए जो मेरा निवेदन है इसके इमौल्यूमैंट्स और सुविधाओं आदि के विषय में कोई न

कोई बात जरूर कही जानी चाहिए, क्योंकि जितनी आशायें हम इनसे रखे हैं, उम्मीद लगाए हैं यदि उनके मुताबिक सुविधायें नहीं देंगे तो इनके साथ अन्याय होगा।

[अनुवाद]

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षक विधेयक, 1986 पर हुई बहस में भाग लिया। यह कहते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि सभी माननीय सदस्यों ने तहे दिल से इस विधेयक का समर्थन किया है। उन्होंने इस विधेयक का न केवल समर्थन किया है बल्कि इसके गठन और कार्यकरण के लिए कुछ अपनाने योग्य रचनात्मक सुझाव भी दिए हैं। मैं विशेष रूप से उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने उन गुण-दोषों की ओर ध्यान दिलाया है जिनके कारण राष्ट्रीय सुरक्षक जोखिम में पड़ सकते हैं।

यह सच है कि राष्ट्रीय सुरक्षक का काम जोखिम भरा होगा और लोग तथा सरकार को उनसे यह अपेक्षा भी रहेगी कि विभिन्न परिस्थितियों में उन्हें ऐसी गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिसके वे आदी न हों, और उन्हें ऐसे हथियारों का भी मुकाबला करना पड़ सकता है जो विदेशी होंगे। इसलिए इस बल के कर्त्तव्य और दायित्व इस समय विद्यमान किसी भी अन्य बल की अपेक्षा अधिक दुसह होंगे।

अधिकांश माननीय सदस्यों ने जिस मूल मुद्दे का उल्लेख किया है वह भर्ती के तरीके के प्रावधान के न होने के बारे में है। इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि बल के गठन, भर्ती और बल में नियुक्ति के स्रोत के तरीके तथा सेवा की अन्य शर्तों के बारे में इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यह सुझाव दिया गया है कि उन सभी मामलों को शामिल करने के लिए विधेयक की धारा 4 में कोई प्रावधान रखा जाए। इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह विधेयक, जो सुरक्षा बल स्थापित करने की अनुमति देता है, मुख्यतः बल के आधारभूत ढांचे के बारे में है। इस विधेयक में प्रशासनिक तथा कार्यविधि ब्यौरे का उल्लेख नहीं है। ये ऐसे पहलू हैं, जिन्हें लचीला रखना होगा। उदाहरण के लिए, फिलहाल हम सीधी भर्ती नहीं कर रहे हैं, किन्तु हो सकता है, कुछ समय के बाद हमें ऐसा करना पड़े। अतः स्थिति तथा आवश्यकताओं को देखते हुए हमें इसे थोड़ा लचीला रखना होगा। यदि हम ये बातें अधिनियम में शामिल कर लेते हैं, तो अधिनियम में संशोधन करना कठिन हो जाएगा। मैं सभा का ध्यान खंड 4 के उपखंड 2 की ओर दिलाना चाहूंगा, जिसमें यह व्यवस्था है, "इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सुरक्षक का गठन ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए और सुरक्षक के सदस्यों की सेवा की शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।" यहां 'विहित' का अर्थ नियमों द्वारा विहित है। मैं अपने मित्र श्री माधव रेड्डी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि यह विधेयक यह बताता है कि इस बल का गठन, जिसमें भर्ती तथा नियुक्ति की पद्धति, मानदण्ड तथा आधार, बल का संयोजन तथा सदस्यों की सेवा शर्तें आदि शामिल है, इस प्रकार का होना चाहिए जैसा कि खंड 139 में अन्तर्निहित नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा बनाए गये नियमों में निर्दिष्ट

[श्री गुलाम नबी आजाद]

है। श्री सैयद शाहबुद्दीन तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि यह नया बल क्यों बनाया गया है। यह एक साधारण सी बात है। मेरे विचार से, उस दिन मैंने इसका उल्लेख किया था कि हमारे पास कोई भी ऐसा अर्ध सैनिक बल नहीं है जिसे आतंकवादियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया हो। इस समय हम देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर पंजाब में, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का प्रयोग कर रहे हैं, किन्तु केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को आतंकवादियों का सामना करने के लिए विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। इसी कारण, यह आवश्यक समझा गया कि हमारे पास एक खास प्रशिक्षित बल होना चाहिए, जिसका प्रयोग आतंकवादियों के विरुद्ध किया जा सके।

जैसा कि आप में से बहुत से जानते हैं कि सीमा सुरक्षा बल तथा भारत तिब्बत सुरक्षा बल सीमाओं की सुरक्षा के लिए हैं तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल औद्योगिक संस्थापनों के चौकसी तथा निगरानी ड्यूटी के लिए है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ही एक ऐसा बल है जिसका सामान्य कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आतंकवादी भिड़न्त के आधुनिक तौर-तरीकों का प्रशिक्षण प्राप्त किए होते हैं तथा वे आधुनिक शस्त्रों से सज्जित होते हैं। उन्हें केवल ऐसे बल द्वारा प्रभावकारी ढंग से निपटा जा सकता है, जो इस प्रकार के तत्वों से निपटने के लिए विशेष रूप से लैस तथा प्रशिक्षित हों। जैसा कि मेरे माननीय सहयोगी श्री नेहरू ने कहा है, इस बल के कार्मिकों को आतंकवादियों का प्रभावकारी ढंग से सामना करने के लिए गहन कमाण्डो प्रशिक्षण तथा नवीनतम आधुनिक हथियार दिए जायेंगे।

कार्मिकों के प्रवेश के संबंध में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस बल में नियुक्ति की पद्धति क्या होनी चाहिए। अधिकतर सभी माननीय सदस्यों के यही सर्वसम्मत सुझाव थे कि इस बल के लिए सेना से लोगों को लिया जाना चाहिए। मैं यह बताना चाहूंगा कि लगभग 90 % लोग सेना, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा अन्य सैन्य बलों से, उनकी उपलब्धता के आधार पर लेकर इस बल का गठन किया जायेगा। इस प्रकार पुलिस से बहुत ही कम व्यक्ति लिए जायेंगे।

मैं सभा को यह भी सूचित करना चाहूंगा कि हम इस बल को युवाशक्ति सम्पन्न रखने के लिए पहले से ही कम उम्र के अधिकारियों को ले रहे हैं ताकि इनमें जूझने और भिड़ंत करने की क्षमता बराबर बनी रहे। मेरे विचार से श्री रावत ने अभी-अभी आयु-वर्ग के संबंध में उल्लेख किया था। एक बात ध्यान में रखी गई है कि इस बल में बहुत ही युवा-वर्ग के व्यक्ति चुने जायेंगे। जहां तक कार्मिकों का सम्बन्ध है, केवल 35 वर्ष के लगभग की आयु-वर्ग के व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जायेगा। उच्च श्रेणी अधिकारियों के संबंध में भी, मेरे ख्याल से उन्होंने यह उल्लेख किया है, कि ये अधिकारी भी सेवा निवृत्ति के आसपास की उम्र के न लिए जाएं। इसका भी ध्यान रखा जायेगा।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आक्रमक बल लगभग 35 वर्ष के आयु-वर्ग के तथा उच्च-श्रेणी के अधिकारी भी अन्य केन्द्रीय बलों की तुलना में युवा आयु-वर्ग से ही लिए जाएंगे।

इस बल में प्रवेश के लिए अधिकारियों तथा व्यक्तियों को, हथियार प्रशिक्षण के साथ-साथ दीर्घ अभिविन्यास तथा गहन कमांडो प्रशिक्षण से गुजरना होगा।

लगभग 60 प्रतिशत माननीय सदस्यों ने इस बल के लिए एक पृथक आसूचना स्कन्ध का उल्लेख किया है। इस संबंध में यह कहा गया है कि देश के सभी भागों में आतंकवादियों की कार्रवाईयों संबंधी सूचना एकत्र करने के लिए आसूचना नेटवर्क की बहुत-सी शाखाएं होंगी तथा जिसके लिये विशाल जनशक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जो कि संख्या में आक्रमण राष्ट्रीय सुरक्षक बल से भी अधिक हो सकती है। अन्यथा कभी-कभी बहुत से आसूचना अभिकरणों का होना कार्य-कुशलता के हितकर नहीं होता, यह कभी-कभी अहितकर भी हो सकता है। अतः हम प्रस्ताव करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा बल में देश की अन्य आसूचना अभिकरणों के सहयोग तथा सम्पर्क के लिए आसूचना स्कन्ध का एक ही लघु केन्द्र हो, जो बल को आतंवादियों की योजनाओं तथा कार्यवाहियों के विषय में पूरी-पूरी सूचना दे सके।

बढ़ते हुए आतंकवाद विशेषकर पंजाब में, के प्रति सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए खेद का मुझे भी दुःख है महोदय, आपको यह तो पता ही है कि सीमा राज्य पंजाब में संगठित रूप से आतंकवाद फैलाया जा रहा है और इस षडयंत्र का विश्व-व्यापी विस्तार है। हम यह भी जानते हैं कि हिंसा तथा अस्थिरता फैलाने वाली शक्तियां भारत की विरोधी विदेशी शक्तियों द्वारा न केवल उकसाई जा रही हैं, अपितु उनसे सहायता भी पा रही हैं। यह भी एक कारण है इन शत्रु शक्तियों का सामना करने के लिए गृह-मंत्रालय को इस विधेयक के साथ आगे आना पड़ा ताकि हम आतंकवादियों के साथ अधिक शक्ति से तथा अधिक उत्साह से लड़ सके।

मैं सदन को इस बल के कर्मिकों के वेतन ढांचे, सीमा सुरक्षा राशि तथा अन्य कल्याण-कारी सुविधाओं के प्रश्न पर भी आश्वासन देना चाहूंगा। मेरे विचार से श्री रावत ने अभी इसका उल्लेख किया था। हमने कुछ प्रतिनियुक्ति भत्ता, मुफ्त राशन आदि कुछ सुविधाएं दी हैं। इस बल को कुछ विशेष भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे। जैसा कि उन्होंने ठीक ही कहा है कि इस बल का काम अन्य 'बलों' की अपेक्षा अधिक श्रम-साध्य है, अतः इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा।

हमारी सभा के आदरणीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कुछ प्रश्न उठाए थे और मेरे विचार से बहुत से प्रश्नों के उत्तर मेरे सहयोगी ने दे दिए हैं। आंतरिक अशान्ति का उन्होंने उल्लेख किया : आतंकवादियों के कारण आन्तरिक अशान्ति प्रस्तावना में अन्तर्निहित है। यह प्रश्न माननीय श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा उठाया गया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : क्या मैं इसे आश्वासन मान सकता हूं कि यह बल आतंकरिक अशान्ति जिसका किसी भी प्रकार आतंकवाद से सम्बन्ध नहीं है के नाम पर प्रयोग नहीं की जाएगी।

श्री गुलाम नबी आजाद : अवश्य ही, हमने प्रस्तावना में पहले ही इसका उल्लेख किया है, यह शत-प्रतिशत, केवल आतंकवादियों से ही सम्बन्धित है। श्री माधव रेड्डी जी तथा माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने पूछा भी था कि इस बल का गठन करते समय क्या राज्य सरकार से अनुमति ली गई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह उनकी तैनाती से पूर्व ली जाएगी ?

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इसकी तैनाती किसी अन्य सैन्य बल की भांति संवैधानिक ढ़ांचे के भीतर ही की जानी चाहिए। अत: अधिनियम में इसके उपबन्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा अन्य बातों की भांति ही समझा जाएगा। अत: स्वीकृति लेने का प्रश्न ही नहीं है। यह उन अर्धसैनिक बलों से कुछ अलग है, जिन्हें हम समय-समय पर प्रयोग करते हैं। गुप्त जी ने भी इस बल द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण के खतरे का उल्लेख किया था। मैं माननीय सदस्य तथा सभा को आश्वासन देना चाहूंगा। कि वे अपने स्वविवेक से कार्य करेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी का अतिक्रमण करता हुआ पाया जाएगा तो उसे इस अधिनियम में निर्दिष्ट अपराधों के लिए दण्डित किया जाएगा। मेरे सहयोगी ने राष्ट्रीय सुरक्षक के पिछले कार्य-निष्पादन का भी उल्लेख किया है। आसूचना स्कन्ध के विषय में भी उन्होंने कहा है, भर्ती की प्रणाली तथा शिकायतों के विषय में भी उन्होंने उल्लेख किया है। मेरे मित्र श्री अताउर्रहमान ने भी कुछ प्रश्न उठाए थे जिनका श्री अरुण नेहरू ने पहले ही उनका उत्तर दे दिया है। इसके बाद श्री मनोज पांडे ने पूछा था कि क्या इसका अन्य सैन्य बलों की भांति प्राकृतिक विपदाओं में भी सहायता के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षक प्राकृतिक विपदाओं में सहायता दे सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बशर्ते प्राकृतिक विपदाएं आतंकवादियों के कारण उत्पन्न हुई हों।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रकृति स्वयं ही आतंकवाद है।

श्री गुलाम नबी आजाद : श्री गिरधारी लाल व्यास ने कहा है कि तस्करी विरोधी तत्वों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि आतंकवादी तस्करों की सहायता से पोषित हो रहे हैं। महोदय, सरकार तस्करी-विरोधी कार्यवाही पर ध्यान दे रही है तथा यह कार्य सीमा सुरक्षा बल द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षक बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का इस रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।

कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी कुछेक प्रश्न उठाए थे। मैं श्री माधव रेड्डी जी द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उल्लेख करना चाहूंगा। उनमें से मैंने पहले ही दो प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। मेरे विचार से आपने शपथ तथा भर्ती अभिपुष्टि के प्रावधान के विषय में उल्लेख किया था। मैंने आपको सेवा की विभिन्न शर्तें जो संविधान के अनुच्छेद 33 में दी गई हैं, बताई। आपने कहा कि यह एक बड़ी त्रुटि है। किन्तु मैं कहना चाहूंगा कि यह सच है कि सेना अधिनियम में इन पंक्तियों

का प्रावधान है, किन्तु सीमा सुरक्षा अधिनियम में ऐसा नहीं है तथा हमने सेना अधिनियम की नकल की है, किन्तु किसी व्यक्ति की नियुक्ति से पहले उसे शपथ दिलाना तथा नियुक्ति शर्तें बताना और अन्य सभी प्रक्रिया सम्बन्धी मामले जो ऊपर बताए गए हैं, के बारे में राष्ट्रीय सुरक्षक नियमों को ध्यान में रखा जाएगा।

[अनुवाद]

श्री सी० माधव रेड्डी : खण्ड 15 का शीर्षक सही नहीं है।

श्री गुलाम नबी आजाद : आपने कहा है कि खण्ड 15 का शीर्षक दोषपूर्ण है इसमें लिखा है "आतंकवादियों इत्यादि से सम्बन्धित अपराध" इस विधेयक का आतंकवादियों से कोई सम्बन्ध नहीं है जैसाकि मैंने पहले कहा है और उन पर सिविल न्यायालयों में भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है। शीर्षक से ऐसा लगता है कि यह खण्ड अपराध करने वाले आतंकवादियों से निपटने के लिए है। इसके उत्तर में मैं एक अन्य धारा अर्थात सेना अधिनियम की धारा 34 और सीमा सुरक्षा बल अधिनियम की धारा 14 का उल्लेख करूंगा। इन धाराओं के शीर्षक में लिखा है "शत्रु से सम्बन्धित तथा मृत्यु दण्ड योग्य अपराध" इन शीर्षकों और प्रस्तुत विधेयक के खण्ड 15 के शीर्षक के बीच अन्तर केवल सेना अधिनियम और सीमा सुरक्षा बल अधिनियम में उल्लिखित 'शत्रु' शब्द 'आतंकवादियों, शब्द द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए गए है। अतः हमने 'शत्रु' शब्द को 'आतंकवादियों' शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया है।

श्री सी० माधव रेड्डी : इसका संशोधन किया जाना है। शीर्षक पढ़ने से पता चलता है कि इसका खण्ड के मुख्य भाग से कोई संबंध नहीं है। इसका उससे कोई संबंध नहीं है। हम इस बल के कार्मिकों द्वारा किये गये अपराधों की बात कर रहे हैं। हम आतंकवादियों द्वारा किए गए अपराधों से नहीं निपट रहे हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद : हम बल के सदस्यों द्वारा किए गए अपराधों से ही निपट रहे हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : किन्तु इसमें तो ऐसा नहीं लिखा है।

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं समझता हूं इसमें ऐसा है।

महोदय, श्री बाबूबन रियान ने यह भी कहा है कि बल को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से बाधित नहीं किया जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि कोई संगठन यहां तक कि अर्द्ध-सैनिक बल को किसी राजनीतिक संगठन में भाग लेने की अनुमति मिली हुई है। उन्होंने कहा है कि जब तक वे किसी राजनीतिक संगठनों में भाग नहीं लेते, वे देश के विभिन्न भागों में होने वाली बातों से अवगत नहीं हो सकते। देश के विभिन्न भागों में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों को जानने के लिए उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे स्वयं राजनीति में भाग लें ही। अन्य एजेंसियां भी हैं जिनके माध्यम से वे उनकी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

[श्री गुलाम नबी आजाद]

श्री जैनुल बशर ने कहा है कि अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस बात पर सरकार निश्चय ही ध्यान देगी और हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सभी समुदायों को, गुणों के आधार पर, मैं कहूंगा, कि निश्चय ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। श्री जैनुल बशर ने यह भी कहा है कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकांश अधिकारियों को इस बल से पृथक रखा जाना चाहिए। मैंने पहले ही कहा है कि बल के लगभग 90% लोग सेना सीमा सुरक्षा बल, तथा अन्य अर्द्ध-सैनिक बलों से होंगे। इस बल में पुलिस से बहुत ही सीमित संख्या में लोगों को लिया जायेगा। ये और भी कम हो सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : टैररिस्ट्स अगर कहीं छिपे हैं और उसके लिए घर में सर्च लेनी पड़ी, तो उसके लिए अधिकार नहीं दिया गया है। उनको लोकल पुलिस के साथ मिलकर तलाशी लेनी पड़ेगी। आपको इस बल के जरिये से पावर देनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद : हम अन्य लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। इस समय हम केवल बल की बात कर रहे हैं।

श्री अताउर्रहमान : क्या यह सिविल बल होगा या मिलिट्री बल? सेना का मैं बहुत अधिक सम्मान करता हूं। किन्तु उन्हें अलग ढंग से प्रशिक्षित किया जाता है। जबकि यह एक ऐसा पुलिस बल है जो एक विशेष प्रकार का सुरक्षा कार्य कर रहा है। सेना को दुश्मन का नाश करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है जबकि पुलिस को शत्रु का विनाश करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। उन्हें कुछ चुनींदा कार्यवाही ही करनी होती है। क्योंकि पुलिस का विपक्षी हमारा दुश्मन तो नहीं होता है। वे हमारे अपने लोग होते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पुलिस को दुश्मन से मिली भगत रखने का प्रशिक्षण दिया जाता है सेना को शत्रुओं को मारने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

श्री गुलाम नबी आजाद : यह सिविल सेवा नहीं हो सकती। किन्तु निश्चय ही एक यह सशस्त्र बल होगा, अर्थात् एक अर्ध सैनिक बल।

श्री सी० माधव रेड्डी : यह सैनिक बल नहीं होगा। यह एक प्रकार का सिविल बल होगा।

श्री गुलाम नबी आजाद : आतंकवादियों से लड़ने के लिए उन्हें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि क्या उन्हें वही प्रशिक्षण दिया जाएगा जो अन्य बलों को दिया जाता है। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि इन कमाण्डों को प्रशिक्षण देने के लिए पहले से ही एक विशेष प्रशिक्षण केन्द्र है। यह उन अन्य प्रशिक्षण संस्थानों से भिन्न हैं, जो अन्य बलों की प्रशिक्षण दे रहे हैं। श्री धर्मपाल सिंह मलिक ने कहा है कि इनकी भरती पूरी जांच के बाद की जानी चाहिए। यह अन्य बलों से नहीं होनी चाहिए तथा नियुक्ति का एक स्वतंत्र स्रोत्र होना चाहिए। यह सम्भव नहीं है। यदि आप नये भर्ती किये गये लोगों को लेंगे तो उन्हें प्राथमिक प्रशिक्षण देने में ही काफी समय लग जाएगा। इसलिए मिलिट्री अर्द्ध-सैनिक बलों के विद्यमान लोगों में से हम सर्वश्रेष्ठ लोगों का चयन कर रहे हैं। ताकि उनके पास प्राथमिक अर्हताएं और बेसिक प्रशिक्षण हो। और इसके अतिरिक्त हम अतिरिक्त प्रशिक्षण दे रहे हैं जो स्वभावतः उन्हें आतंकवादियों से लड़ने में सहायता देता है। वे सदैव इस बल के साथ नहीं होंगे। वे थोड़े समय के लिए आ रहे हैं जिससे इस बल में युवा लोग रहेंगे और जब वह समय बीत जाएगा वे अपने मूल संगठन में चले जायेंगे, चाहे वह सेना हो, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल हो, सीमा सुरक्षा बल हो या कोई अन्य संगठन हो। इससे उनके मूल संगठन को भी सहायता मिलेगी, क्योंकि उनको कुछ विशिष्ट प्रशिक्षित लोग अपने संगठन में मिल जायेंगे।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : यह टैररिज्म के लिए है या कम्यूनल डिस्टर बैंसेज के लिए है या हाई जैकिंग के लिए है।

श्री हरीश रावत : फिर तो यह एक दूसरी पैरा मिलिट्री फोर्स हो जायेगी।

श्री जैनुल बशर : यह टैररिज्म और हाईजैकिंग के लिए है, कम्यूनल राईट्स के लिए तो नहीं है।

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद : हम इसका उपयोग हाईजैकर विरोधी कार्य के लिए कर रहे हैं। इसलिए, मैं समझता हूं, कि किसी माननीय सदस्य —शायद श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह कहा था कि क्या हम इन बलों को देश के भिन्न भागों में भेज रहे हैं·····

श्री इन्द्रजीत गुप्त : देश के बाहर।

श्री गुलाम नबी आजाद : देश के बाहर···जब कभी भी, भगवान न करे, कोई हाईजैकिंग होती है और उस देश विशेष से ऐसी मांग आती है जहां हाईजैकिंग हवाई जहाज को ले गये हैं, तो उन्हें उसके लिए हमारी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। उसके लिए हमें कमाण्डो भेजने पड़ सकते हैं इसका केवल यही प्रयोजन है।

श्री जैनुल बशर : क्या साम्प्रदायिक दंगों को नियन्त्रित करने के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : इसमें यह नहीं लिखा है । विधेयक में ऐसा नहीं लिखा गया है ।

महोदय, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है ।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : मैं एक स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहता हूं । 'आंतरिक गड़बड़ी' को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए । यहां तक आतंकवाद का संबंध है, हम संतुष्ट हैं । किन्तु 'आंतरिक गड़बड़ी' शब्दों को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए । अन्यथा राज्य सरकारें साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में इसका दुरुपयोग करेंगी—और वहां बहुत कठिनाई आ जायेगी ।

वे राज्य सरकारों के मार्गदर्शन और निर्देशन में काम करेगा ।

श्री गुलाम नबी आजाद : मैंने पहले ही कहा है कि कुछ अर्द्ध सैनिक बल कार्य कर रहे हैं और उसी संवैधानिक ढांचे के अन्तर्गत वे भी कार्य करेंगे ।

पहली बात जो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह मूलत: मैंने यह कहा है और मैं यह दुबारा कहता हूं कि आतंकवाद विरोधी बल है । अन्य बातों के होने का सवाल ही नहीं उठता । देश के विभिन्न भागों में हजारों लाखें बातें होती रहती हैं । हम वहां उनका उपयोग नहीं कर सकते ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री पनिका का प्रश्न यह है कि यदि कोई राज्य सरकार उस राज्य में साम्प्रदायिक दंगों या औद्योगिक हड़ताल या इसी प्रकार की किसी बात जिनका टेररिस्ट गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है निपटने के लिए इन कमाण्डों बलों के भेजने के लिए केन्द्र से अनुरोध करती है, तो क्या केन्द्र सरकार के अनुरोध को मान लेगी या इस बल को भेजने से इंकार कर देगी ।

श्री गुलाम नबी आजाद : यह मूलत: एक आतंक विरोधी बल है । मैं नहीं समझता कि हमारे पास इतना बड़ा कोई बल होगा कि हम दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें ।

श्री सी० माधव रेड्डी : आपने कहा है कि यह सब राज्यों को भेजा जाएगा । क्या आप इस बल को संघ राज्य क्षेत्रों में नहीं भेजेंगे ?

श्री गुलाम नबी आजाद : संघ राज्य क्षेत्र भी भारत संघ का एक भाग है । स्वाभाविक ही है कि यदि ऐसा चंडीगढ़ में और अन्य स्थानों में होता है, तो हम स्वयं ही भेज सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आंतरिक अशान्ति से राज्य की सुरक्षा करने की दृष्टि से आतंकवादियों के क्रिया कलापों का मुकाबला करने के लिए संघ के सशस्त्र बल के गठन और विनियमन

का और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विस्तार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड वार विचार आरम्भ करेगी।

खण्ड 2—परिभाषाएं

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'पृष्ठ 3, 'पंक्ति 29,—

अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"या कृषि प्रयोजनों के लिए या मनुष्यों के लिये खाद्य पदार्थों अथवा पीने के लिए अथवा पशुओं के लिये पानी की सप्लाई कम कर देता है अथवा किसी सार्वजनिक सड़क, पुल, नौगम्य नदी अथवा नौगम्य जलमार्ग, चाहे वह प्राकृतिक हो अथवा कृत्रिम, को यात्रा अथवा सम्पत्ति के परिवहन के लिए अगम्य अथवा कम सुरक्षित बना देता है" (1)

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि : —

'पृष्ठ 2, पंक्ति 4'—

"संघ" के पश्चात् "या राज्यों" अंत स्थापित किया जाए। (7)

'पृष्ठ 2' पंक्ति 41 और विधेयक में। वहां भी प्रयुक्त हुआ है।

"अटर्नी" के स्थान पर "अधिवक्ता" प्रतिस्थापित किया जाए। (8)

श्री अताउर्रहमान (बारापेट) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

'पृष्ठ 3, 'पंक्ति 30,—

"या किसी" के स्थान पर "या किसी को अभिन्नस्त" अन्त: स्थापित किया जाए। (29)

श्री शान्ताराम नायक : महोदय हमें इस बल का उपयोग बार-बार करना पड़ेगा। मुझे यह कहने की अनुमति दें कि इस बल का उपयोग करने के कई मौके आयेंगे। आज "आतंकवाद" की हमारी अवधारणा सीमित है। हम इसका सम्बन्ध केवल पंजाब से जोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा

[श्री शान्ताराम नायक]

नहीं है। कई बार ऐसे अवसर आ सकते हैं जब हमें इस बल को राज्यों की सहायता के लिए भेजना पड़े। इसलिए मैंने निम्नलिखित शब्दों को सम्मिलित करके आतंकवाद की परिभाषा को व्यापक बना दिया है।

"या कृषि प्रयोजनों के लिए या मनुष्यों के लिए खाद्य पदार्थों अथवा पीने के लिए अथवा पशुओं के लिए पानी की सप्लाई कम कर देता है अथवा किसी सार्वजनिक सड़क, पुल, नौगम्य नदी अथवा नौगम्य जलमार्ग चाहे वह प्राकृतिक हो अथवा कृत्रिम, को यात्रा करने अथवा सम्पत्ति के परिवहन के लिए अगम्य अथवा कम सुरक्षित बना देता है।"

इसके अलावा जो भी किया जा रहा है आपको इस पहलू को भी शामिल करना पड़ेगा ताकि आतंकवाद की परिभाषा पूर्ण हो जाए।

श्री मूलचन्द डागा : महोदय, यदि आप विधेयक की प्रस्तावना पढ़े तो आप देखेंगे— .

"आंतरिक अशान्ति से राज्य की सुरक्षा करने की दृष्टि से आतंकवादियों के क्रिया-कलापों से निपटने के लिए संघ के सशस्त्र बल के गठन और विनियमन का···उपबंध करने के लिए विधेयक"।

अतः, मैंने खंड—2 (1) (क) (एक) में "या राज्य" शब्दों को अन्तः स्थापित करने के लिए संशोधन प्रस्तुत किया है :—

"संघ के विरुद्ध आतंकवादी या सशस्त्र किसी व्यक्ति के विरुद्ध संक्रियाओं में लगे हुए; या"

यदि राज्य में आतंकवादी गतिविधियां फैली हुई हैं, आपके राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कार्य करने में कैसे सम्भव हो सकेंगे जब तक आप "या राज्य" शब्दों को "संघ" के बाद अन्तः स्थापित नहीं करते।

श्री अताउर्रहमान : महोदय, खण्ड 2 की मेरी संशोधन संख्या 29 के लिए मैं "या किसी अभित्रस्त" शब्दों को "आंतकित करने" के बाद जोड़ना चाहता हूं। "अन्तकित करने" का प्रयोग अधिक व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है जो हिंसक हो जाती हैं किन्तु कम व्यक्तियों के बारे में क्या स्थिति है। अतः मैं "या किसी अभित्रस्त" शब्दों को अन्तः स्थापित करना चाहता है।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, जहां तक श्री शान्ताराम नायक के संशोधन का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि आतंकवादी की परिभाषा में, जैसी कि विधेयक में मूल रूप से अन्त-विष्ट है, क्षति पहुंचाने या सम्पत्ति के विनाश, जनजीवन के लिए आवश्यक किसी आपूर्ति या सेवा को भंग करने की बात पहले से ही सम्मिलित है। इसमें पानी, सार्वजनिक सड़कों, पुलों आदि को

शामिल किया जाएगा। इसलिए मेरे विचार में इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है।

जहां तक श्री डागा जी के संशोधन का सम्बन्ध है, 'संघ' शब्द के बाद अथवा राज्यों शब्द अन्त: स्थापित कराना चाहते हैं। इस विषय में उल्लेखनीय है कि संघ राज्यों का एक संघ है। संविधान के अनुच्छेद 1, उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत एक संघ राज्य है। इसलिए राज्यों को अलग से रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अताउर्रहमान 'अभित्रस्त' शब्द जोड़ना चाहते हैं। आतंकवादी की परिभाषा गम्भीर स्वरूप के अपराधों के मामले में ही की गई है। इस परिभाषा में 'आतंक' शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो अभित्रस्त का गम्भीरतर स्वरूप है। इसलिए, इस शब्द को जोड़ना स्वीकार्य नहीं है और मैं उन सभी से अपने संशोधनों को वापिस लेने का अनुरोध करता हूं।

श्री शांताराम नायक : महोदय, मैं अपने संशोधन सं० 1 को वापस लेने के लिए सभा से अनुमति चाहता हूं।

(संशोधन संख्या, 1 सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।)

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपने संशोधन सं० 7 और 8 को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 7 और 8, सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री अताउर्रहमान द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 29 सभा के मत-दान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 29 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

नया खण्ड 4 क

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

,पृष्ठ 4' पंक्ति 2, के पश्चात् निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाए—

"4 क राष्ट्रीय सुरक्षक के रूप में भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति, भर्ती करने की रीति भर्ती करने की प्रक्रिया तथा भर्ती करने और नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी इस प्रकार होंगे, जैसे विहित किये जायें।" (44)

मैं माननीय मन्त्री द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हूं कि विधेयक में ऐसा उपबन्ध है और सरकार के लिए नियम बनाना सम्भव होगा क्योंकि खण्ड 4, उपखण्ड 2 के अन्तर्गत सरकार केवल बल का गठन कर सकती है। गठन का अभिप्राय भर्ती से नहीं है; गठन का अर्थ है कि आप यह परिभाषित करें कि बल का गठन किस प्रकार का हो और उसमें सेना से कितने तथा प्रासैन्य बलों आदि से कितने व्यक्ति लिये जाने चाहिए तथा सीधी भर्ती से कितने। जहां तक वास्तविक भर्ती का सम्बन्ध है, इससे आपको भर्ती नियम बनाने की शक्ति नही मिलती। यह कहा गया था कि इन पदों पर 90 प्रतिशत कार्मिक सेना और प्रा-सैन्य बलों से लिये जा रहे हैं, क्योंकि हमारे समक्ष आपातिक स्थिति है। हमें तत्काल एक बल की आवश्यकता है। हम नए लोगों को भर्ती कर, एक वर्ष तक उन्हें प्रशिक्षण देकर ,और तब सेवा में लेने की स्थिति में नहीं हैं। सरकार के लिये सेना, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस से प्रतिनियुक्ति के आधार पर कर्मिकों को लेना सही है और यह बात समझ में आती है। परन्तु बात यह है कि यह एक स्थाई बल है। इसे समाप्त नहीं किया जाएगा इस तथ्य के कि जो कुछ बावजूद मन्त्री जी ने अभी बताया है कि वे अपने विभाग में वापस जाएंगे। वे थोड़े समय के लिए आ रहे हैं और कार्य पूरा होने के बाद वे अपने मूल विभाग में चले जाएंगे। मेरे विचार में विधेयक में ऐसी कोई परिकल्पना नहीं की गई है। असम राइफल्स की तरह किसी भी अन्य अधिनियम जैसा यह स्थायी अधिनियम है जिसका गठन बहुत पहले पांचवें दशक में किया गया था, परन्तु वह अब तक है। बात यह है कि आपको जनसामान्य से भी व्यक्ति लेने चाहिए। चाहे आप पांच प्रतिशत व्यक्ति इस प्रकार भर्ती करें। अन्य सभी अधिनियमों में ऐसा उपबन्ध है। केवल इस विधेयक में यह उपबन्ध शामिल नहीं किया गया है। मेरा मुद्दा यह था कि यह एक चूक है और इसे सही प्रकार नहीं समझा गया। इस विधेयक में यह उपबन्ध अवश्य होना चाहिए।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरे यह कहने का, कि वे कुछ समय बाद वापस चले जायेंगे, यह अभिप्राय नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति वापस चला जाएगा। वे वापस चले जाएंगे और उनके स्थान पर नए व्यक्ति आते रहेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ समय बाद हम इस बल को समाप्त कर देंगे। इसमें कुछ समय बाद कुछ नए व्यक्ति आते रहेंगे ताकि बल में युवकों की संख्या अच्छी बनी रहे। इससे एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा।

जहां तक संशोधन का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, भर्ती, नियुक्ति, प्रक्रिया आदि से सम्बन्धित सभी बातों को राष्ट्रीय सुरक्षक नियमों में शामिल किया जाएगा। ये नियम

विधेयक के खण्ड (3) के उपबन्धों के अधीन बनाए जाएंगे। मेरे विचार में हम संशोधन को स्वीकार नहीं कर पायेंगे।

3.00 अ०प०

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 44, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

खण्ड 5—नियन्त्रण, निदेश आदि

श्री अताउर्रहमान : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4, पंक्ति 29,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए :—

"और इस धारा की उपधारा (2) में यथोपंक्ति समान दर्जे का अन्य अधिकारी उसके दर्जे में किसी भी हैसियत में सहयोगी नहीं होगा।" (30)

पृष्ठ 4, पंक्ति 31,—

"और" के पश्चात् "भारतीय पुलिस सेवा के" अंत: स्थापित किया जाए। ...(31)

पिछले 10 से 15 वर्षों में यह हुआ है। विस्तारण का जहर ही पुलिस बल को मार रहा है। एक पुलिस महा निरीक्षक होता था और वह सर्वोच्च अधिकारी होता था। बाद में चाटुकारिता शुरू हुई। एक अत्यन्त वरिष्ठ अधिकारी था जिसे खूब मक्खनबाजी आती थी। वह पुलिस महानिरीक्षक का पद प्राप्त करना चाहता था परन्तु चूंकि पहले ही इस पद पर एक पुलिस महानिरीक्षक आसीन थे। उन्हें यह पद नहीं दिया जा सकता था। इसलिये विशेष पुलिस महानिरीक्षक का एक पद सृजित किया गया। तत्पश्चात् अपर महानिरीक्षक, सुपर महानिरीक्षक और महानिदेशक के पद बनाए गए। इससे पुलिस बल को हानि हुई। और यदि आज पुलिस बल को क्षति पहुंच रही है तो उसका कारण मुख्य मन्त्रियों का सही निर्णय न लिया जाना है। उन्हें कहना चाहिये था, "नहीं, मैं यह स्वीकार नहीं करूंगा। इस बल का केवल एक प्रमुख होगा।" परन्तु ऐसा हुआ नहीं। मुझे वह डर है कि यदि हम उसी प्रकार की गलती करते रहे और यदि हम महानिदेशक के पद को उसी रैंक के अन्य अधिकारियों में बांटते रहे तो इससे यह संगठन भी समाप्त हो जाएगा जैसे कि इससे भारत के विभिन्न राज्यों में पुलिस बल समाप्त हो गए।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, इस उपधारा में उपबन्ध किया गया है कि महानिदेशक की रैंक का एक अधिकारी होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने संशोधन को वापस ले रहे हैं ?

श्री अताउर्रहमान : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब भी श्री अताउर्रमान द्वारा प्रस्तुत किए गये संशोधन संख्या 30 और 31 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 30 से 31 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, क्या आप खण्ड 6 पर अपने संशोधन रख रहे है ?

श्री मूल चन्द डागा : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 से 11 विधेयक के अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 से 11 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 12 संगम बनाने, वाक-स्वातंत्रय आदि के अधिकार के संबंध में निर्बन्धन

श्री अताउर्रहमान : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'पृष्ठ, 6, पंक्ति 6,

"न तो" के पश्चात् "व्यक्तिक और न ही संयुकतत:" अंत स्थापित किया जाए।' (32)

'पृष्ठ 6' पंक्ति 6—

"ऐसे" के स्थान पर "ऐसी किसी भूख हड़ताल के या" प्रतिस्थापित किया जाए।' (33)

महोदय, यह एक असैनिक बल होगा। परन्तु माननीय मंत्री जी द्वारा सभा में दिये गये भाषण से यह प्रतीत होता है कि वह इसमें यदि 90 प्रतिशत नहीं तो कम से कम 70 से 80 प्रतिशत व्यक्ति सेना से लेंगे। यदि बल का प्रमुख भी सेना से लिया जायेगा तो कुल मिलाकर यह एक सैन्य संगठन बन जायेगा हालांकि इसे असैनिक संगठन की संज्ञा दी गई है। यदि हम इसमें असैनिक लोगों को ले रहे हैं, तो इस बल का प्रमुख भारतीय पुलिस सेवा से होना चाहिये ताकि भविष्य में सैन्य अधिकारियों और असैनिक अधिकारियों के बीच कोई ईर्ष्या न हो। जैसे-जैसे यह बल सुदृढ़ होगा, वैसे-वैसे भविष्य में उनके अपने अधिकारी बनते रहेंगे। परन्तु यदि आप असैनिक प्रमुख का उपबन्ध नहीं करेंगे, तो यह बल पूर्णतया सेना के अधीन होगा और इसका कार्यकरण अत्यन्त जटिल हो जायेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा है, सैनिक प्रशिक्षण पुलिस प्रशिक्षण से बिल्कुल भिन्न है। सेना का प्रशिक्षण शत्रु के विनाश के उद्देश्य से होता है, जबकि पुलिस का प्रयोजन आतंकवादियों के खिलाफ चुनींदा कार्यवाही करना है।

श्री गुलाम नबी आजाद : हम इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 32 तथा 33 को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन संख्या 32 और 33 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिकारियों से भिन्न व्यथित व्यक्तियों के लिए उपचार

खण्ड 13

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

[श्री मूल चन्द डागा]

'पृष्ठ 6, पंक्ति 21 के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाये—

"परन्तु केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी भी निर्णय का पुनर्वलोकन करने के लिए और ऐसे किसी भी आदेश को जिसे वह न्यायोचित और तर्क संगत मानती है, जारी करने में सक्षम होगी।" (10)

मैं और कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैंने अपनी अन्तरात्मा से न्याय किया है। मुझे और किसी बात की चिन्ता नहीं है।

मान लीजिये, एक अधिकारी ने एक शिकायत की है और वह अपना निर्णय दे देता है। तब वह कहता है कि यह निर्णय अन्तिम है। मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने यह संशोधन सदन के विचारार्थ अभी प्रस्तुत किया है। अतः केन्द्रीय सरकार को इस मामले में अधिकार हैं, क्योंकि अंततोगत्वा यह राष्ट्र के सुरक्षा गार्ड हैं। यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी कोई शिकायत करता है, और आप कहते हैं कि निर्णय अन्तिम हैं—मेरे विचार से यह अधिकार केन्द्रीय सरकार के पास होना चाहिए। यदि उनके पास यह अधिकार नहीं होगा तब कभी न कभी अन्याय हो जाएगा।

साधारण मामलों में भी आप पहली अपील, दूसरी अपील कर सकते हैं तथा पुनरीक्षण के लिए भी कह सकते हैं। (व्यवधान) मैं कहता हूं कि यदि आप सोचते हैं कि केन्द्रीय सरकार के पास यह अधिकार होना चाहिए तो आपको इसे रखने की छूट है। लेकिन जैसे ही महानिदेशक इस पर अन्तिम निर्णय लेता है सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। अतः आप इस मामले में कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आपको ठीक-ठीक विचार करना चाहिए।

श्री गुलाम नबी आजाद : यह खण्ड अधिकारियों को छोड़ कर अन्य व्यक्तियों पर लागू होता है। इन पदों के संबंध में नियोक्ता अधिकारी महानिदेशक, महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक तथा ग्रुप कमाण्डर होते हैं। अतः मामलों में इन अधिकारियों के निर्णयों की समीक्षा करने का कार्य सौंप कर केन्द्रीय सरकार का बोझ बढ़ाना प्रशासनिक रूप से उचित नहीं होगा। तथापि, जहां तक खण्ड 14 में लिखित अधिकारीगणों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार को पहले ही महानिदेशक द्वारा दिये गये निर्णय की समीक्षा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी बना दिया गया है।

श्री मूल चन्द डागा : सब ठीक है। मैं इस संशोधन को वापिस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या डागा महोदय को अपना संशोधन वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

संशोधन संख्या 10, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 14

श्री मूल चन्द डागा : मैं खण्ड 14 में अपना संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 15—संघ के विरुद्ध आतंकवादियों और अन्य सशस्त्र व्यक्तियों से सम्बन्धित अपराध जो मृत्यु से दण्डनीय है।

श्री शान्ता राम नायक (पणजी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'पृष्ठ 6, पंक्ति 31—

"लज्जास्पद रूप से का लोप किया जाये।" (2)

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'पृष्ठ 7, पंक्ति 1 और 2—

"या ऐसे लघुतर दण्ड का जो इस अधिनियम में वर्णित हैं" का लोप किया जाए। (12)

श्री अताउर्रहमान (बारपेटा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'पृष्ठ 6, पंक्ति 32—

"जिससे" के पश्चात "किया और अन्य कर्त्तव्यों के दौरान" अन्तःस्थापित किया जाये। (34)

श्री शांता राम नायक : जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, विधेयक में यह कहा गया है :

"इस विधेयक के अध्यधीन रहते हुए कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा अर्थात्"

(क) किसी अपने पद-स्थान को लज्जास्पद रूप से परित्यक्त करेगा या कदाचार···करेगा है···" मेरा शब्द "लज्जास्पद रूप से" का विलोपन करने का आशय है। यदि यह शब्द सम्मिलित कर लिया जाता है, तो आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा की उसने लज्जास्पद रूप से कर्त्तव्य का परित्याग किया है, तथा यह भी कि उसने परित्याग किया—ऐसे बोझ को आप अनावश्यक रूप से अपने ऊपर ले रहे हैं। यदि यह सिद्ध हो जाये कि उसने कर्त्तव्य का परित्याग किया है, काफी है इसे क्यों सिद्ध किया जाये कि उसने लज्जास्पद रूप से अपने कर्त्तव्य का परित्याग किया है ? किस तरह का प्रमाण यह सिद्ध करेगा कि उसने अपने कर्त्तव्य का लज्जास्पद रूप से परित्याग किया है ? शर्म क्या है ? यह बताना एक समस्या होगी, अत: मैं आपसे निवेदन करूंगा कि लज्जास्पद रूप से शब्द को हटा दिया जाये तथा परित्याग करता है शब्द को रख लिया जाये।

श्री मूल चन्द डागा : इस खण्ड के अनुसार यदि एक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कतिपय अपराध करता है तो आप उसे दण्डित करेंगे, पृष्ठ 7 पर आपने इस तरह का उल्लेख किया है :

"तो वह सुरक्षक न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि पर मृत्यु दंड का···भागी होगा···।"

यह है दण्ड। मैंने इस अधिनियम में उल्लिखित जैसा कम दंड या ऐसा कानून नहीं देखा है। कोई जांच आयोग स्थापित तभी किया जाता है, जब आपके (अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत) उसे आरोप-पत्र दे चुके हैं तब दोषसिद्धि के समय आप कहते हैं कि "इस विधेयक में यथा उल्लिखित कम दंड।" यह मेरी समझ में नहीं आया है। अगर आप आदर्श कानून रखना चाहते हैं तो वह स्वयं-पूर्ण खण्डों में उल्लिखित होना चाहिए। इस विभाग में अत्यन्त निकृष्ट प्रारूप तैयार किया है। अत: प्रथमत: तो आप किसी राष्ट्रीय सुरक्षक द्वारा किसी अपराध किये जाने पर यह कहिए कि यह होगा इसका दंड। वह जेल भेजा जायेगा या जो कुछ भी यहां उल्लिखित है। इससे निपटने का यह तरीका नहीं है। जब एक बार अनुच्छेद 15 के अन्तर्गत आरोप लगा दिया गया है, उसकी जांच हो चुकी है तथा निर्णय देदिया गया हैं, लेकिन दोष सिद्ध हो जाने पर आप कहते हैं, "इस अधिनियम में यथा उल्लिखित कम दंड" यह स्वयं-पूर्ण खण्ड होना चाहिए था आप कहिए कि यह उस अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार, आपने इसका भी उल्लेख किया है, क्या है यह ? आप कह सकते हैं एक महीना, दो महीने या पांच महीने या सात महीने। मेरा अनुरोध है कि आप इस पर विचार करें। क्योंकि आपने इसका अनेक अनुच्छेदों में उल्लेख किया है। यह एक इसका अच्छा प्रारूप नहीं बनाया गया है।

श्री अताउर्रहमान : मैंने अन्त में कहा है "या अपने पद-स्थान को लज्जास्पद रूप से परित्यक्त करेगा या ऐसी रीति से कदाचार करेगा जिससे संक्रियाओं के दौरान कायरता दर्शित हो", संक्रियाएं यहां अत्यन्त विशिष्ट शब्द है । वास्तव में, 'संक्रियाएं' शब्द का इस विधेयक में वर्णन नहीं किया गया है । इस संदर्भ में तात्पर्य यह है कि साधारण कर्तव्य-निर्वाह के दौरान; इसीलिए मैंने 'कर्तव्य के दौरान' कहा है ।

श्री गुलाम नबी आजाद : जहां तक श्री शान्ता राम नायक के संशोधन का प्रश्न है 'लज्जास्पद रूप से' शब्दावली का सेना अधिनियम तथा 'राष्ट्रीय सुरक्षा बल' अधिनियम में प्रयोग किया गया है । चूंकि इस बल में अधिकतर सेना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा बल आते हैं, इसलिए हमने यह विशेष शब्दावली रखी है ।

श्री शांता राम नायक : यह कोई सांविधिक बात नहीं है आपने दोनों में ही उपयुक्त भाषा का प्रयोग नहीं किया है अत: इनमें सुधार की आवश्यकता है ।

श्री गुलाम नबी आजाद : जैसा मैंने बताया है कि यह सेना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा बल अधिनियमों पर आधारित है । जहां तक श्री मूल चन्द डागा के संशोधन का प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षक को दंड देने के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 47 में किया गया है । इस बल के कार्मिकों को, जैसा अनुच्छेद 47 में उल्लिखित है, कुछ कम दंड दिया जा सकता है । जैसा रहमान महोदय ने बताया है, चूंकि अपराध मृत्यु दंड या अर्थ दंड के साथ दंडनीय है, अत: संक्रियाओं के दौरान को छोड़कर अन्य कर्तव्य के दौरान की गई किसी कर्तव्य च्युति को इसमें जोड़ना अनुचित है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री शांता राम नायक को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन संख्या 2 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा ।

श्री मूल चन्द डागा : मैं इसे वापिस ले रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री मूल चन्द डागा को संशोधन वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन संख्या 12, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अताउर्रहमान ।

श्री अताउर्रहमान : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री अताउर्रहमान को अपना संशोधन वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन संख्या 34, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 16— अन्य समयों की अपेक्षा सक्रिय ड्यूटी के समय अधिक कठोरता से दण्डनीय अपराध

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 16 पर विचार करेंगे । श्री शांता राम नायक, श्री मूल चन्द डागा तथा श्री अताउरहमान द्वारा प्रस्तुत कुछ संशोधन हैं ।

श्री शांता राम नायक . मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'पृष्ठ 7 पंक्ति 15,

"या ऐसे लघुत्तर दंड का जो इस अधिनियम में वर्णित है" **का लोप किया जाये ।** ···(13)

'पृष्ठ 7, पंक्ति 19,

"या ऐसे लघुत्तर दंड का जो इस अधिनियम में **लोप किया जाए ।** ·· (4)

श्री मूल चन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

खंड : 1

'पृष्ठ 7, पंक्ति 15

"या ऐसे लघुत्तर दंड का जो इस अधिनियम में वर्णित है" **का लोप किया जाए ।** ···(13)

'पृष्ठ 7, पंक्ति 19,

"या ऐसे लघुतर दंड का जो इस अधिनियम में वर्णित है" का लोप किया जाये। ···(14)

श्री अताउर्रहमान :

'पृष्ठ 7, पंक्ति 9—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"किसी मादक द्रव्य या ऐसे ही किसी अन्य पदार्थ के पश्चात-वर्ती प्रभाव के कारण असामान्य व्यवहार करता है; या" ···(35)

श्री मूल चन्द डागा : आप कृपया देखें कि खण्ड 16 में क्या बताया गया है :

"(i) उस दशा में जब कि वह ऐसा कोई अपराध सक्रिय ड्यूटी पर न रहते हुए करेगा, कारावास का, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक ही हो सकेगी,···दण्ड का···, भागी होगा"

यह दंड एक वर्ष का हो सकता है, इसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है और आदि-आदि। अतः इसमें यह बताया गया हे "यह चौदह वर्ष तक हो सकेगी ?" और अब इसका पाठ यह है"···या ऐसे लघुतर···जो इस अधिनियम में वर्णित है;"

क्या आप मुझे यह समझाने का प्रयास करेंगे ? आप कहते हैं कि उसे दंड दिया जा सकता है और यह दंड चौदह वर्ष तक का हो सकेगा। आप उसे दो मास, एक दिन, चौदह वर्ष तक का कारावास का दण्ड दे सकते हैं। इसके पश्चात आप कहते हैं, "या जो इस अधिनियम में वर्णित है।" वह क्या है ? आप ऐसा क्यों नहीं कहते हैं ? 'इस अधिनियम में यह वर्णित है। यह स्वतः पूर्ण होना चाहिए।

[हिन्दी]

इस प्रकार का जो ला बनता है, और जल्दी में बनता है, तो स्पीकर्स जल्दी में क्या करते हैं ? हमारे साथी मिनिस्टर एण्ड में नाम दे देते हैं, जिससे मेम्बर बोल न सके। क्या बात है, क्या प्रक्रिया हो रही है लैजिस्लेशन में ? मैं खुले रूप में कह रहा हूं कि ला में हरीडली काम हो रहा है और बिना समझे।

[अनुवाद]

मैं आपको कानून के बारे में बताऊंगा।

[श्री मूल चन्द डागा]

यदि मैं यह कहता हूं कि कानून एक वकील के बारे में बताता है,तो मैं यह नहीं समझूंगा कि इसे चौदह वर्ष तक किया जा सकता है। अच्छी बात है आरोप पत्र बना लिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : डागा जी, मेरा विचार है कि न्यायाधीश इसे समझ सकता है।

श्री मूल चन्द डागा : वे कहते हैं 'जो इस अधिनियम में वर्णित है'। इस अधिनियम में क्या वर्णित है ? क्या माननीय मंत्री जी मुझे बतायेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षक विधेयक के लागू होने के पश्चात 1984 से कितने लोगों को दण्डित किया गया है और दो वर्ष से इस समय तक कितने अधिकारियों को दण्डित किया गया हैं ? आप यह कह सकते है कि राष्ट्रीय सुरक्षक विधेयक का काम होता रहा है और कुछ लोगों को दण्डित किया गया है। क्या मुझे आप ऐसा उदाहरण दे सकेंगे कि जब किसी को दण्डित किया गया हो ? ऐसा हो सकता है कि मंत्री महोदय अपने अधिकारी द्वारा दिए गए नोट को पढ़ रहे हों। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अताउर्रहमान अब अपना संशोधन संख्या 35 पेश करेंगे।

श्री अताउर्रहमान : मैं कहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि कोई सन्तरी ड्यूटी पर रहते हुए शराब पिए हुए हो अथवा सोया हुआ हो। मैंने एक संशोधन का सुझाव दिया है क्योंकि कोई बिना शराब पिये भी सो सकता है। कई बार वह शराब पीकर के नशे में हो अथवा यह आवश्यक नहीं है कि वह शराब पिये हुए हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसने कुछ नशीले पदार्थों अथवा 'गांजा' जैसे किसी पदार्थ का सेवन किया हुआ हो। वह किसी ऐसे पदार्थ का सेवन करके सो सकता है। यदि ऐसा करना एक सिपाही की एक आम भूल है। इसी कारण से मैंने कहा है कि इस संशोधन को शामिल किया जाना चाहिए। यदि कमांडर इस धारा के बिना नियंत्रण कर सकते हैं तो ठीक है।

श्री गुलाम नबी आजाद : हम इन दो संशोधन में से किसी को भी स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : मेरे विद्वान मित्र श्री मूल चन्द डागा ने ठीक ही कहा है कि प्रत्येक दण्ड विधि में जब अधिकता दण्ड का सुझाव दिया जाता है तो न्यूनतम दण्ड का भी सुझाव दिया जाता है।

श्री गुलाम नबी आजाद : न्यूनतम दण्ड का दिया जाना न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर करता है। हम इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकते।

श्री शान्ताराम नायक : मैं अपने संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री शान्ताराम नायक द्वारा रखे गए संशोधनों को वापस लेने की अनुमति देती है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन संख्या 3 और 4 सभा की अनुमति से, वापस लिए गए ।

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री मूलचन्द डागा द्वारा रखे गये संशोधनों को वापस लेने की अनुमति देती है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन संख्या 13 तथा 14, सभा की अनुमति से, वापस लिये गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री अताउर्रहमान द्वारा रख गये संशोधन संख्या 35 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

संशोधन संख्या 35 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 17

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ? इसे प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं ।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 17 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 18—अभित्यजन करना और अभित्यजन में सहायता करना

श्री अताउर्रहमान : मैं प्रस्ताव करता हूं :

[श्री अताउर्रहमान]

'पृष्ठ 8, पंक्ति 7,—

"अभित्यजक" के पश्चात्, "उद्घोषित अपराधी" अन्त: स्थापित किया जाए।' ...(36)

मैं इस शब्द को इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि यह विभिन्न अपराधों से सम्बन्धित है।

श्री गुलाम नबी आजाद : हम इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री अताउर्रहमान द्वारा रखे गये संशोधन संख्या 36 को सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन संख्या 36 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 19—छुट्टी के बिना अनुपस्थिति।

श्री अताउर्रहमान (बारापेट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'पृष्ठ 8' पंक्ति 44,—

"स्कूल" के स्थान पर, "प्रशिक्षण संस्था" प्रतिस्थापित किया जाए।... (37)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री अताउर्रहमान द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 37 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 37 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 19 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 20—वरिष्ठ आफिसरों पर आघात करना या उन्हें धमकी देना।

श्री अताउर्रहमान (बारापेट) : मैं प्रस्ताव रखता हूं कि :—

'पृष्ठ 9'—

(i) पंक्ति 7,—

"भाषा" के पश्चात् "या भावव्यंजना" अन्त स्थापित किया जाए।

(ii) पंक्ति 8,—

"भाषा" के पश्चात्, "या भावव्यंजना" अन्त स्थापित किया जाए।' ...(38)

'पृष्ठ 9, पंक्ति 12,—

"चौदह" के स्थान पर, "दस" प्रतिस्थापित किया जाए।' ...(39)

'पृष्ठ 9, पंक्ति 14,—

"दस" के स्थान पर, "पांच" प्रतिस्थापित किया जाये।' ...(40)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री अताउर्रहमान द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 38 से 40 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 38-39 और 40 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 21—वरिष्ठ आफिसर की अवज्ञा

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ? वह प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। श्री अताउर्रहमान भी अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहें हैं।

प्रश्न यह है :—

"कि खंड 21 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 22— हमला और बाधा

श्री शान्ताराम नायक : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'पृष्ठ 9, पंक्ति 34, —

" भले ही वह निम्नतर रैंक का हो", के स्थान पर "ऐसे व्यक्ति के निम्नतर रैंक के अधिकारी सहित" प्रतिस्थापित किया जाए ।'...(5)

श्री मूल चन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

'पृष्ठ 9, पंक्ति 34,—

"भले ही वह निम्नतन रैंक का हो" का लोप किया जाये ।'... (19)

श्री शान्ताराम नायक . मैं यहां निवेदन करता हूं जैसा कि मेरे विद्वान पंडित ने कहा है कि इस विधेयक का समस्त प्रारूपण ही ठीक प्रकार से नहीं हुआ है । मेरे विचार में मन्त्री महोदय भी अपने हृदय में इसे स्वीकार करते हैं । खण्ड 22 में बताया गया है :—

"यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात् :—

(क) किसी झगड़े, दंगे या उपद्रव में संयुक्त होते हुए, किसी ऐसे आफिसर की, भले ही वह निम्नतर रैंक का हो ."

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे पहले ही परिचालित किया जा चुका है । कृपया संक्षेप में बोलिए ।

श्री शांताराम नायक : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 'भले ही वह निम्नतर स्तर का हो', के स्थान पर यह कह कर 'ऐसे किसी आफिसर सहित जो निम्नतर स्तर का हों' प्रतिस्थापित किया जाए ।'

श्री मूल चन्द डागा : महोदय, यहां यह कहा गया है कि यदि वह "किसी झगड़े, दंगे या उपद्रव के संयुक्त होते हुए, किसी ऐसे आफिसर की, भले ही वह निम्नतर स्तर का हो, जो उसका ...का आदेश देता है..." मैं कहता हूं कि भगवान के लिए इन शब्दों को हटा दीजिए।

[हिन्दी]

यह नहीं कि जो उन्होंने आप को कह दिया या जो आप वहां से सीखकर आ गए वही यहां कह दें।

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद : कई अवसरों पर मैं पहले ही उल्लेख कर चुका है कि इस बल के अधिकांश घटकों में अर्द्धसैनिक बल तथा सेना होती है। यह उपबन्ध बी०एस०एफ० में पहले ही विद्यमान है और इसी कारण से ही हमने इसका इसमें अन्त: स्थापन किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शान्ताराम नायक क्या अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री शांताराम नायक : मैं इसे वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अपना संशोधन वापस लेने के लिए माननीय सदस्य, श्री शान्ता राम नायक को सभा की अनुमति है :

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 5 सभा की अनुमति, से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूल चन्द डागा। क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अपना संशोधन वापस लेने के लिए माननीय सदस्य, श्री मूलचन्द को सभा की अनुमति है।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 19 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 22 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 23 और 24

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा क्या आप खण्ड 23 में अपना संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा : महोदय, मैं इसे पेश नहीं कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 23 और 24 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 23 और 24 विधेयक में जोड़ दिए गये ।

खंड 25 मत्तता

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'पृष्ठ 10 पंक्ति 33—

"मत्तता" से पूर्व निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए:—

"अपने निवास या रहने के स्थान के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर । ...(21)

'पृष्ठ 10, पंक्ति 35 और 36,—

"या ऐसे लघुतर दंड का, जो इस अधिनियम में वर्जित है, का लोप किया जाए ।' ...(22)

महोदय, खंड 25 में कहा गया है :—

"यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, मत्तता की हालत में पाया जाएगा, चाहे वह ड्यूटी पर है या नहीं ।" जब वह ड्यूटी पर है, इस वाक्यांश से तो मैं सहमत हूं, परन्तु "अथवा नहीं" वाक्यांश का क्या प्रयोजन है । मान लिया वह रात में अपने घर में मद्यपान करके सो रहा है । वह ड्यूटी पर तो नहीं है । परन्तु आपका कहना है कि "चाहे वह ड्यूटी पर हो अथवा नहीं ।"

यदि वह रात के बारह बजे अपने घर में आराम कर रहा है तथा शराब पी रहा है, तो आप कहेंगे कि "नहीं, चले आओ।" मैं नहीं समझ रहा हूं कि इसमें अपराध क्या है ? कृपया इसे पूरे खंड को पढ़ने का कष्ट करें, इसके एक अंश को पढ़ने से पूरा अभिप्राय: स्पष्ट नहीं होगा। इसमें कहा गया है :

• "यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन आता है, मत्तता की हालत में पाया जाएगा, चाहे वह ड्यूटी पर है या नहीं, तो वह सुरक्षक न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास का, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे लघुतर दण्ड का, जो इस अधिनियम में वर्जित है, भागी होगा।"

यदि तो आप इस पर प्रतिबंध लगाएं कि कोई सैनिक कभी भी शराब नहीं पी सकता।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, अपने घर में शराब पीने को अपराध घोषित करना हमारा उद्देश्य नहीं है, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है। तथापि इस बल के उन सदस्य को, यूनिट के परिसर में रहते हैं, शराब पीकर मदान्ध नहीं बनने दिया जा सकता। इसे उतोत्साहित करने के लिए यह उपबन्ध आवश्यक है। इसलिए यदि वह अपने घर में शराब पीता है तो हमारी कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु वह यूनिट परिसर में शराब पीता है तो उस पर आपत्ति करना न्यायोचित है।

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपने संशोधन सं० 21 तथा 22 को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को उनके संशोधन सं० 21 तथा 22 को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 21 और 22 सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 25 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 26

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा नहीं बैठे हैं। कोई संशोधन पेश नहीं किए गए।

मैं खण्ड 26 को मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :—

"कि खंड 26 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 27 से 31 विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री मूल चन्द डागा : मैं खंड 32 पर कोई संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

मैं खण्ड 32 से 34 तक सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि खंड 32 से 34 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 32 से 34 विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री मूल चन्द डागा : मैं खंड 35 पर कोई संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं खंड 35 से 48 तक सभा के मतदान के लिए रखूगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 35 से 48 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 35 से 48 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 49—दंडों का संयोजन

श्री शांताराम नायक : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'पृष्ठ 18, पंक्ति 13,—

"के दंडादेश" का लोप किया जाए।' ···(6)

महोदय, यह भी उसी का एक उदाहरण है जिसकी हम जांच कर रहे थे। खंड 49 का पाठ इस प्रकार है;

"सुरक्षक न्यायालय के दंडादेश द्वारा...दंड अधिनिर्णित किए जा सकेंगे।"

यह कहीं भी नहीं कहा गया है यह न्यायालय का दंडादेश दिया गया है। इसलिए मेरा कहना है कि "के दंडादेश" का लोप किया जाए।

यह केवल इतना ही रहेगा "सुरक्षक न्यायालय द्वारा.....अधिनिर्णित किए जा सकेंगे। वह युक्तियुक्त तथा अकाट्य वाक्यांश होगा।

श्री गुलाम नबी आजाद : इस खंड की शब्दावली सेना अधिनियम तथा सीमा सुरक्षा बल अधिनियम के उपबन्धों की शब्दावली के समरूप है। अतः इन उपबन्धों में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री शान्ताराम नायक : मैं अपने संशोधन को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 6 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खंड 49 और 50 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 49 और 50 विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री मूल चन्द डागा : मैं खण्ड 51 पर कोई संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं खंड 51 से 64 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :—

"कि खंड 51 से 64 तक विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 51 से 64 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 65—जनरल सुरक्षक न्यायालय की संरचना

श्री मूल चन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता कि :

'पृष्ठ 22, पंक्ति 3,—

"पांच" के स्थान पर "तीन" प्रतिस्थापित किया जाए ।'...(28)

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे वापस ले रहे हैं ।

श्री मूल चन्द डागा : मैं इस संशोधन को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को इस संशोधन को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन संख्या 28 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 65 से 135 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 65 से 135 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड 136—वेतन और भत्तों से कटौती

श्री अताउर्रहमान : मैं प्रस्ताव करता हूं कि ।

.....* (42)

*यह संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता ।

'पृष्ठ 40, पंक्ति 15,—

"अधर्भंज" का लोप किया जाए ।'...(43)

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री अताउर्रहमान द्वारा पेश किए गए संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 42 और 43 सभा के मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 136 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 136 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 137 से 140 तक विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 137 से 140 विधेयक में जोड़ दिए गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

श्री मूल चन्द डागा : महोदय मैंने एक आवेदन किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया थोड़ा सब्र रखें, मैं आपको अपनी बात कहने का मौका दे रहा हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, उम्मीद है आपने इस बिल को अच्छी तरह से पढ़ा होगा। इस बिल को पढ़ने से मालूम होता है कि इस बिल को आप पास नहीं कर रहे हैं, सारी पावर्स ब्यूरोक्रेट्स को दे दी गई हैं। जो दे नहीं सकते हैं, ऐसे नियम नहीं है। बड़े दुःख की बात है कि 1984 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बन गया और आप उसे बिना कानून के चला रहे थे। चलाते-चलाते 1986 आ गया और अब इस बिल पर बहस हो रही है। इस बिल को पढ़ने से बड़ा आश्चर्य होगा कि काम किस प्रकार होगा।

[अनुवाद]

इस शक्ति को संसद द्वारा अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित किया जा रहा है अथवा दिया जा रहा है। ये नौकरशाह हमारे अधिकारों का हनन किस प्रकार कर सकते हैं।

[हिन्दी]

यह कमजोरी है, जो कि आने वाला समय बतलाएगा। आप के पॉलिसी मैटर्स, प्रिंसिपल्स के सारे सवाल ब्यूरोक्रेट्स तय करेंगे।

[अनुवाद]

क्या इसे संसद निर्धारित करेगी।

खण्ड 139 (2) (क) में यह कहा गया है कि :

"वह रीति जिससे सुरक्षक का गठन किया जाएगा....."

मंत्री महोदय ने एक लम्बा उत्तर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : डागाजी, सामान्य रूप से आप ऐसा कह सकते है। परन्तु आप विधेयक के खण्डों पर एक बार और गौर फरमाने की कृपा करें और जो पारित किया जाता उसमें सभी बातें ठीक नहीं होती हैं। अतः आप अपने को सामान्य टिप्पणियों तक ही सीमित रखें।

श्री मूलचन्द डागा : महोदय, मैं अपनी शंकितयों के बारे में बोल रहा हूं। खण्ड 139 (2) (क) में यह कहा गया है, —"वह रीति जिससे सुरक्षक का गठन किया जाएगा·····"। माननीय मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार, ये लोग निर्णय करेंगे कि सुरक्षक का गठन किस प्रकार किया जायेगा और उसकी सेवा की शर्तें किस प्रकार तय की जाएं। आपने हमें क्या शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं ? आप हमसे कह रहे हैं कि हमें प्रक्रियायों का हर हालत में पालन करना चाहिए। और नीति संबंधी मामलों का निर्धारण नौकरशाहों द्वारा किया जाएगा। (व्यवधान) रंगा जी कृपया इसे पढ़ें क्योंकि आप एक बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति हैं (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय आप हर तरह से चालाक व्यक्ति हैं। आप हमेशा समय के पाबन्द हैं और मैं यह जानता हूं। मैं कहता हूं हम क्या कर रहे हैं ?हम नियम बनाने की शक्तियां प्रदान कर रहे हैं मंत्री जी ने यह कहते हुए कि आपको यह मिलेगा वह मिलेगा एक लम्बा उत्तर दिया है अत: खण्ड 139 (2) (क) में बताया गया है "वह रीति"·····

उपाध्यक्ष महोदय : डागा जी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इन खण्डों का विस्तार में उल्लेख न करें क्योंकि तीसरे वाक्य में आप इन सबका विस्तृत रूप से उल्लेख नहीं कर सकते। आपको केवल विधेयक के बारे में बात करनी है।

श्री मूल चन्द डागा : एक यह है कि यह एक नीति संबंधी मामला है—राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का गठन कसे होगा, यह कार्य कैसे करेगा। इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। अब उकसाने वाले लोगों का क्या होगा ? आतंकवादियों से तो निपटा जा सकता है किन्तु उन उकसाने-वाले लोगों का क्या होगा ?

[हिन्दी]

श्री अताउर्रहमान : एवीडेंस के बारे में है।

श्री मूलचन्द डागा : नहीं है। जो टैरेरिस्ट को मदद देने वाले हैं, जो उनके पीछे हैं, उन लोगों के लिए इसमें क्या एक्शन हैं। टैरेरिस्ट के पीछे जो काम करने वाले लोग हैं। उनके खिलाफ यह एक्ट काम करेगा ? मेरी दृष्टि में यह एक्ट बिल्कुल साइलेंट है।

तीसरी बात मैं यह कह रहा हूं। मुझे मंत्री जी यह बताएंगे कि 1984 में यह एक्ट लागू हो गया और आप कहते हैं कि काम चल रहा है। तो यह बिना नियम कैसे काम चल रहा है और अब इसको इन्ट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत पड़ी। व्हाट इज दी नेसेसिटी ? फिर आप इस बिल में यह कह रहे हैं कि वह बार्डर सेक्यूरिटी फोर्स नहीं है, यह पैरा-मिलिट्री फोर्स नहीं है और यह एक स्पेशल आर्मड फोर्स है और स्पेशल आर्मड फोर्स आपने यहां पर मना किया है आपने कहा है :

[अनुवाद]

हम एक विशेष सशस्त्र बल का सृजन करना चाहते हैं।

[श्री मूल चन्द डागा]

[हिन्दी]

आपने यह बयान दिया है कि इसमें पुलिस के भी थोड़े-बहुत लोग होंगे। तो ये दोनों कान्ट्राडिक्टरी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप घंटी बजा रहे हैं। आप अपने कर्त्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं और हम अपने कर्त्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी अपना कर्त्तव्य निभा रहे हैं और मैं भी अपना कर्त्तव्य निभा रहा हूं अब हमें मंत्री जी को अपना कर्त्तव्य निभाने देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा : सरकार जो बिल लाती है, उस पर हमें गर्व होना चाहिए लेकिन हमें इस बिल पर गर्व नहीं हो रहा है। इस प्रकार के बिल को कमेटी में पहले भेजना चाहिए और पालिसी पार्लियामेंट को बनानी चाहिए और सरकारी अधिकारियों पर उसको नहीं छोड़ना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि यह श्री डागा के लिए कोई नई बात नहीं है। किन्तु मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा और वह यह है कि कि यह सच नहीं है कि अधिकारी-संसद में अतिक्रमण कर रहे हैं और यह कि संसद क्या कर रही है। वे अपना कार्य कर रहे हैं और संसद अपना कार्य कर रही है और यदि श्री डागा विधेयक बनाने में सक्षम हैं, तो अगली बार मैं निश्चय ही उनकी सलाह लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.42 म०प०

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (भूतलक्षी छूट) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 11 पर विचार करते हैं। श्री जनार्दन पुजारी अब प्रस्ताव पेश करेंगे।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उत्पाद शुल्क में छूट सम्बन्धी कुछ अधिसूचनाओं को भूतलक्षी प्रभाव देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं नयी टैरिफ पारिभाषिक शब्दावली तथा उत्पादन शुल्क की दरों का भी उपबन्ध करने वाले केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिनियम 1985 को और दो अन्य अधिनियमों को भी अर्थात अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन अधिनियम, 1985 और अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) संशोधन अधिनियम, 1985 को 25 फरवरी, 1986 को लागू किया गया था।

इन अधिनियमों के द्वारा सब मिलाकर तब विद्यमान शुल्क सम्बन्धी ढांचे को बनाये रखने का प्रयास किया गया तथापि जहां शुल्कों की सांविधिक दरें उस समय प्रभावी दरों से ऊंची निश्चित की गयी थीं, वहां प्रभावी दरों को छूट अधिसूचनाओं के माध्यम से जारी रखने का प्रयास किया गया था जिससे शुल्कों की दरों में ऐसी किसी उद्देश्य रहित परिवर्तन को ठीक कर दिया जाये।

3.43 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

इनमें से कुछ छूट अधिसूचनाओं को केवल 1 मार्च, 1986 के बाद ही जारी किया जा सका जब परिवर्तन का प्रभाव सरकार को या तो व्यापार तथा उद्योग से या क्षेत्रीय कार्यालयों से पता चला। वित्त विधेयक, 1986 के साथ जारी की गयी अधिसूचनाओं द्वारा किए गए कुछ परिवर्तनों के कारण 1 मार्च, 1986 से पहले विद्यमान दरों को पुनः लागू करने के प्रयोजन के लिए कुछ अन्य अधिसूचनायें भी जारी की गयी थी।

कई संघों और व्यापारिक संस्थाओं ने अभ्यावेदन किया है कि काफी समय के बाद अधिसूचनाओं को जारी करने के कारण कई निर्माताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। 1 मार्च, 1986 से उन सुधारात्मक अधिसूचनाओं के जारी किये जाने की तिथि तक जो कुछ उत्पाद-शुल्क लगने योग्य माल के सम्बन्ध में अपरिहार्य उद्देश्य रहित उत्पाद-शुल्क हेतु शुल्क की वसूली के बारे में भी प्रश्न उठाया गया है। इन अभ्यावेदनों की संवीक्षा से पता चलता है कि कुछ मामलों में कठिनाई वास्तविक थी। इसलिए, सरकार का विचार है कि इन मामलों में मध्यवर्ती अवधि, अर्थात् 1 मार्च 1986 से छूट अधिसूचना के जारी किये जाने की तिथि तक, के दौरान प्रभावित सामान की निकासी के सम्बन्ध में कर निर्धारितियों को उपयुक्त राहत दी जायेगी।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों की बदौलत अधिसूचनाओं को जारी किया गया है। केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944

[श्री जनार्दन पुजारी]

जिसके अन्तर्गत उक्त नियम बनाये गये थे, छूट अधिसूचनाओं को भूतलक्षी प्रभाव से जारी करने की शक्ति नहीं देता। तदनुसार यह 3 मार्च को या उसके बाद और 8 अगस्त, 1986 से पहले जारी की गई छूट अधिसूचनाओं को 1 मार्च, 1986 से भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए एक पृथक् विधान अधिनियमित करना आवश्यक हो गया है, जिसके निम्नलिखित प्रभाव हैं :—

(क) नए टैरिफ लागू करने के परिणामस्वरूप उत्पाद-शुल्क की दरों में परिवर्तन के संदर्भ में 28 फरवरी, 1986 से पहले के स्तर पर उत्पाद शुल्कों की प्रभावी दरों को बनाए रखना, अथवा

(ख) वित्त विधेयक, 1986 के माध्यम से उत्पाद शुल्क की दरों में परिवर्तन के संदर्भ में 1 मार्च, 1986 से पूर्व के स्तर पर उत्पाद-शुल्कों की प्रभावी दरों को बनाये रखना।

उत्पाद-शुल्क एकत्र किये गये के सम्बन्ध में, अन्यथा जिन्हें इस तरह एकत्र न किया गया होता यदि तात्विक समय में छूट अधिसूचना लागू होती, उसे वापिस करने का प्रस्ताव किया गया है बशर्ते कि ऐसे शुल्क की वापसी का दावा करने वाला कोई व्यक्ति प्रस्तावित विधान के लागू होने की तिथि के बाद छः माह के अन्दर इस संबंध में प्रार्थना-पत्र दे देता है। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि ऐसी किसी भी वापिसी की अनुमति उस स्थिति में नहीं दी जाएगी जब कि उत्पाद शुल्कों संबंधी उधार अथवा परोफार्मा उधार अथवा मोडवेट उधार की अनुमति दे दी गयी हो या जहां सामान को, जिस पर उत्पाद शुल्क दिया गया है, ऐसे शुल्क की छूट के लिए दावे के अंतर्गत निर्यात किया जाता है।

उत्पाद शुल्क के संबंध में, जो देय बना दिया गया है, किन्तु जो उस स्थिति में देय नहीं होगा यदि तात्विक समय में अधिसूचना प्रभावी थी, यह प्रस्ताव किया जाता है कि उसका भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

3 मार्च, 1986 और 8 अगस्त 1986 के बीच जारी की गयी कुछ अधिसूचनायें विभिन्न मालों के मामले में उत्पाद शुल्क से छूट की स्वीकृति से संबंधित हैं जब कि भूतलक्षी प्रभाव से छूट इन मालों में से कुछ के लिए ही है। संशोधन में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ऐसे मामलों में भूतलक्षी प्रभाव से छूट मालों तक सीमित रहेगी जो इस विधेयक के खंड 2 के उपखण्ड (1) के (क) या (ख) में दिए गए मानदंडों के अनुकूल है।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

"उत्पाद शुल्क में छूट संबंधी कुछ अधिसूचनाओं को भूतलक्षी प्रभाव देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि उत्पाद शुल्क में छूट संबंधी कुछ अधिसूचनाओं को भूतलक्षी प्रभाव देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री विजय कुमार राजू (नरसापुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं इस केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (भूतलक्षी छूट) विधेयक, 1986 के संबंध में कुछ बातों उल्लेख करना चाहूंगा।

ऐसा लगता है कि कुछ छूटें कुछ कम्पनियों और कुछ विनिर्माताओं को दी गयी हैं इस संबंध में मैं इन छूटों का उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि कुछ मामलों में इन छूटों का बड़ी कम्पनियों और विशेष कर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है क्योंकि वे केवल लेबल बदलकर इन उत्पाद-शुल्क संबंधी छूटों का लाभ प्राप्त कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर, आप कागज उद्योग को लें, 1983 में कुछ छूटें उन्हें कागज के लिए कच्चे सामान के रूप में खोई का आयात करने के लिए दी गयीं थी और उसके लिए कम से कम 75% खोई का प्रयोग करने पर 100% छूट दी थी। इसी प्रकार अन्य कच्चे सामान जैसे धान की भूसी, गेहूं का भूसा और मेस्था है किन्तु यह छूट अन्य कच्चे मालों के मामलों में नहीं दी गई है।

किन्तु दुर्भाग्य से उन पेपर मिलों को गैर-परम्परागत कच्चे माल के आधार पर लाइसेन्स दे दिये गये हैं। इस संबंध में एक और बात करना चाहूंगा। भारत सरकार ने विदेश से खोई का आयात करने की अनुमति दे दी है। खोई की लुगदी के लिए है, वे उत्पाद-शुल्क में छूट दे रहे हैं। कुछ मिलें इस खोई कच्ची सामग्री को आयात करके उपयोग कर रही है और इस प्रकार वे दो तरफ से लाभ प्राप्त कर रही हैं, जिनका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि ये मिलें सख्त लकड़ी और बांस से कागज बनाना चाहती हैं। किन्तु उसके बावजूद वे इस खोई का प्रयोग आयात करके कर रही हैं और उसके कारण हम न केवल विदेशी मुद्रा को नष्ट कर रहे हैं अपितु हमें इस छूट के कारण उत्पाद-शुल्क की भी हानि हो रही है। उदाहणार्थ आयातित रद्दी कागज को लें। यह मिलें इतने अधिक रद्दी कागज को 'खुले आम लाइसेंस, के अंतर्गत आयात कर रही हैं। यह सुविधा केवल लघु कागज मिलों को दी जा रही है, किन्तु कागज की बड़ी मिलें भी अपनी लागत के लिए काफी अधिक मात्रा में रद्दी कागज का आयात कर रही हैं और वे दोनों लाभ प्राप्त कर रही है। हमें न केवल विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है बल्कि छूट के कारण उत्पाद-शुल्क की भी हानि हो रही है। अन्तत. लघु कागज मिलों को ही भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि वे बड़ी मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में भी नहीं हैं। इसीलिए मैं वित्त मन्त्री महोदय से इन सभी बातों पर विचार करने और बड़ी मिलों को विदेश से रद्दी कागज और खोई जुबदी का आयात करने से रोकने के लिए अनुरोध कर रहा हूं। यह सुविधा केवल लघु मिलों को दी जानी है।

[श्री विजय कुमार राजू]

मैं कुछ और बातें भी कहना चाहूंगा। उदाहरणार्थ कई कम्पनियां हैं, जो उत्पाद-शुल्क की चोरी कर रही हैं, यह सुविदित तथ्य है। उदाहरणार्थ, ए०सी० मशीनस को लिया जा सकता है। कुछ कम्पनियां अपने फालतू पुर्जे अपने डीलरों को बिना उत्पाद-शुल्क दिए ही बेच रहे हैं और वे डीलर वातानुकूलन मशीनों को जोड़ करके लगभग आधे मूल्य पर उपभोक्ताओं को बेच रहे हैं। यदि मैं डीलर से वातानुकूलन मशीन खरीदना चाहता हूं तो वे 10,000/रु० या 11,000/रु० में दे देंगे जब कि यदि मैं कम्पनी से वातानुकूलन मशीन कार्यालय के बिल सहित खरीदना चाहता हूं तो मुझे 22,000 या 23,0002/रु० देने पड़ेंगे। बड़ी कम्पनियां उत्पाद-शुल्क की चोरी कर रही हैं और सरकार उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाही नहीं कर रही। यह सब चलता ही जा रहा है। इसीलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से इस मामले की भी जांच करने का अनुरोध कर रहा हूं।

18 दिसम्बर, 1985 को हमें यह अधिसूचना मिली थी। इसी अधिसूचना में कुछ दण्ड निर्धारित किए गए हैं। किन्तु वे पर्याप्त नहीं है क्योंकि कानूनी प्रक्रिया वही है और इसमें काफी समय लगता है।

जिन मामलों में उन्होंने गलती की है, उन सभी के बारे में वे न्यायालय का दरवाजा खट-खटा रहे हैं और उत्पाद शुल्क की अत्यधिक राशि के भुगतान से बचने के हथकंडे अपना रहे हैं। नियमों की भिन्न व्याख्या करके वे कानूनी जटिलताएं पैदा कर रहे हैं। इस राशि पर उन्हें ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वे अनुचित प्रयोजनार्थ न्यायालय में जा रहे हैं। अतः मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे मामले की जांच करें। कानूनी स्थिति में परिवर्तन किया जाना चाहिए। यदि आप सामान्य प्रक्रिया द्वारा किसी को दण्ड देना चाहते हैं, तो हो सकता है कि उसे दण्ड दिया ही न जा सके। यदि कम्पनी एक लाख रुपये या इससे अधिक राशि की वंचना करती है, तो सात वर्ष की कैद का प्रावधान है। अब इसमें कुछ परिवर्तन भी किया गया है। पहले कुछ छोटे प्रबन्धक भी न्यायालय जाकर मामले में बहस कर सकते थे। अब प्रबन्धन के सभी सम्बन्धित अधिकारियों को दण्ड दिया जा सकता है, परन्तु फिर भी ये दण्ड पर्याप्त नहीं है और और इससे उन्हें कोई चेतावनी नहीं मिलती। कर-अपवंचन की बुराई कैंसर की भांति बढ़ रही है। कितने ही उत्पाद बिना उत्पाद शुल्क और बिक्री कर अदा किए बाजार में बेचे जा रहे हैं। वे उत्पादों को इस प्रकार बेच कर खुद अधिक लाभ कमा रहे हैं। उत्पाद शुल्क शीघ्र अदा करने वाली कम्पनियों को केवल घाटा ही हो रहा है क्योंकि वे सही मार्ग पर चल रहे हैं। सही विनिर्माता हानि उठा रहे हैं। इसी प्रकार अनेक उद्योग रुग्णता की स्थिति में पहुंच रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इन सभी बातों पर विचार कर खामियों को दूर करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं सेन्ट्रल ड्यूटीज आफ एक्साइज (रिट्रोस्पेक्टिव एक्जेम्पशन) बिल, 1986 का समर्थन करता हूं। दो-तीन बातें

माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। इन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो एक्जेम्पशन लागू करने की बात कही है। उसके सम्बन्ध में एक डाउट यह है कि आपने जिन इन्डस्ट्रीज को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में जो सैक्शन दिया है, उन लोगों ने वह ड्यूटी पहले वसूल कर ली है, हमारे जैसे कंज्युमर्स से। अब आपको बाद में यह ख्याल आया कि यह ड्यूटी ज्यादा है जो टैरीफ में पहले लगाई गई। पहले जो ड्यूटी लगी हुई थी, उसमें और टैरीफ में जो फर्क आया, उसको एक्जेम्प्ट करने के लिए रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से देने के लिए यह व्यवस्था की गई। इससे डबल फायदा उनको हो गया। जनता से भी वसूल कर लिया और फिर आपने एक्जेम्शन दे दिया। इस तरह से बड़ी-बड़ी कम्पनियों को फायदा क्यों दे रहे हो। सरकारी खजाने में पैसा रहता तो निश्चित रूप से देश के काम आता। आपने सरकारी खजाने को भी खाली कर दिया और हमसे भी वसूल कर लिया।

4.00 म०प०

इस तरीके की व्यवस्था मैं समझता हूं उचित नहीं है। इसलिए आपको इस प्रकार का कोई न कोई प्रावधान करना चाहिए कि जो उन्होंने एक्साइज ड्यूटी जनता से वसूल की है वह तो कम से कम आप वापिस लें। ताकि वह पैसा सरकार के खजाने में जमा हो जाये।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बिग मोनोपलि हाउस हैं वह पहले से ही आपकी एक्साइज ड्यूटी चोरी करते आ रहे हैं। मैं आपके सामने एक नजीर रखना चाहता हूं, हमारे भीलवाड़ा में एक भीलवाड़ा स्पिनिंग मिल है। दो-तीन साल पहले यह पोलिएस्टर टैक्सटाइल का काम करती थी और यह यूनिट सिक होने जा रही थी और करोड़ों का घाटा उठा रही थी, लेकिन इसने एक्साइज ड्यूटी नहीं अदा की और कपड़ों की कीमत बढ़ा दी और आप इनका हिसाब-किताब देखें तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने बहुत मुनाफा कमाया है। इस तरह से जो एक्साइज ड्यूटी की चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ आपने कोई कदम नहीं उठाया है, बल्कि आपके इस लाभ से बड़े-बड़े लोग इस छूट से फायदा उठा रहे हैं जिससे सरकार को बहुत नुकसान हो रहा है और साथ ही जनता को लूटा जा रहा है। सरकार के खजाने में वह पैसा जमा नहीं कराते हैं इसलिए कम से कम आप इस कम्पनी की जांच करायें कि पिछले दो-तीन साल से इसने कितनी एक्साइज ड्यूटी की चोरी की है और किन लोगों ने इनकी मदद की है। इसी तरह से आपने बहुत सारे आर्टिकल रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से फायदा दिया है, ड्यूटी एक्जम्प्ट की और बहुत सारी आइटम में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का फायदा नहीं होता। इससे यह महसूस होता है कि जो असरदार लोग हैं, बड़े लोग हैं उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में एक्जम्प्शन लेने में सफलता प्राप्त कर ली है और जो गरीब लोग है, छोटी-छोटी कम्पनी चलाते हैं, चाहे स्माल स्केल सेक्टर में काम करते हैं, चाहे मीडियम स्केल सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों को आपने किसी प्रकार का एक्जम्प्सन नहीं दिया। इस प्रकार की भेदभाव की नीति अच्छी नहीं है। बड़े लोगों को सहूलियतें देने से, जैसे लोग कहते हैं कि गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है और अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है, यह दस-बीस बड़ी कम्पनियां बराबर बढ़ती जा रही हैं। यह सब सरकार के कारण हो रहा है क्योंकि सरकार द्वारा बराबर इनको सहूलियतें दी जा रही हैं। इसलिए इस व्यवस्था

[श्री मिरचारी लाल व्यास]

को रोकने के लिए आपको ठोस कदम उठाने चाहिए। आप भी कहते हैं और प्रधान मंत्री जी भी कहते हैं कि हम समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो आपको इन नीतियों को बदलना चाहिए और जितने बड़े पूंजीपति हैं जो एम० आर० टी० पी० एक्ट से गर्वन होते हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए जिससे वह एक्साइज ड्यूटी की चोरी न करें और न ही उसका फायदा उठाकर जनता को लूटें। यह दो पाइंट मैं इस बिल के जरिए आपके ध्यान में लाना चाहता था। इसकी वजह से जो उनको दोहरा फायदा हुआ है उधर एक्साइज ड्यूटी एक्जम्प्शन कर दी और इधर हम लोगों से पैसा वसूल कर लिया। इसलिए आपको कम से कम यह करना चाहिए कि जिस आदमी ने जनता से पैसा वसूल कर लिया है वह पैसा सरकार के खजाने में जमा हो ताकि यह दोहरी मार जनता के ऊपर न पड़े। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : सभापति महोदय, सरकार को यह विधेयक लाने के लिए बाध्य किया गया है, क्योंकि इसमें केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत छूट देने वाली अधिसूचनाओं को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति निहित नहीं है। सारे मामले को कुछ गलत समझा गया है और छूट देने के बारे में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अन्तर्गत सरकार द्वारा मनमाने ढंग से उन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है जोकि विधान मण्डलों और संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित की गई हैं। यह पहलू बहुत समय पहले 1969 से लोक लेखा समिति का ध्यान आकर्षित करता रहा है। चौथी लोक सभा की लोक लेखा समिति ने भी ऐसे तरीके पर प्रतिकूल टिप्पणी दी थी, जिससे कार्यपालिका नियमों के अनुसार तथा संसद द्वारा उन्हें प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छूट दे रही है। समिति ने यह भी कहा था कि सुपरिभाषित मानदण्ड निर्धारित किया जाना चाहिए। लोक लेखा समिति (चौथी लोक सभा) के 11 वें प्रतिवेदन में सिफारिश सं० 1.25 में कहा गया है :—

"समिति महसूस करती है कि अधिसूचनाओं अथवा विशेष आदेशों के माध्यम से कार्यपालिका द्वारा छूट दिए जाने सम्बन्धी मौजूदा स्थिति में बहुत कुछ अपेक्षित है।"

इसमें आगे सुझाव दिया गया है कि :—

"सांविधिक शुल्क के अभाव में संशोधन करने के लिए कार्यपालिका को दी गई शक्ति सुपरिभाषित मानदण्ड द्वारा विनियमित की जानी चाहिए, जिसका यदि सम्भव हो, तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में उल्लेख किया जाना चाहिए।"

इसी प्रतिवेदन में लोक लेखा समिति की एक अन्य सिफारिश है :—

"वित्तीय प्रभावों के आकलन जहां तक उनका निर्धारण किया जा सके के बिना कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए। अधिसूचनाओं के आर्थिक प्रभाव, जहां निर्धारणीय हों, संसद के समक्ष प्रस्तुत करते समय अधिसूचनाओं के साथ संलग्न ज्ञापनों के भी इंगित होनी चाहिए।"

लोक लेखा समिति की ये अत्यन्त सुविचारित सिफारिशें हैं, जिन्हें लोक लेखा समिति द्वारा प्रत्येक सभा में दोहराए जाने के बावजूद आज तक स्वीकार नहीं किया गया है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : वर्तमान विधेयक के बारे में क्या कहेंगे ?

श्री अमल दत्त : इसका उद्देश्य भूतलक्षी प्रभाव देना है, क्योंकि नियमों के अनुसार उन्हें भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति नहीं है।

लोक लेखा समिति ने पांचवीं लोक सभा में अपने 31वें प्रतिवेदन के पैरा 1.13 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिश की थी :—

"समिति संतुष्ट है कि सरकार के लिए कम से कम उन मामलों में संसद की मंजूरी प्राप्त करना सम्भव है, जिनमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 8 (1) के अधीन जारी अधिसूचनाओं में अन्तर्ग्रस्त राजस्व बहुत अधिक है अथवा जब छूट सम्बन्धी अधिसूचनाओं का राजस्व पर आवर्ती प्रभाव होता है अथवा जहां छूट को स्थगित किया जा सकता है। तदनुसार, समिति चाहती है कि इसका पालन किया जाना चाहिए।"

परन्तु सरकार ने कुछ नहीं किया।

पांचवीं लोक सभा में, सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी एक अन्य प्रतिवेदन में, समिति ने टिप्पणी की :

"समिति को बताया गया है कि जनवरी 1968 से फरवरी 1974 की अवधि के दौरान, 1.07 लाख मिट्रिक टन इथाइल अल्कोहल का विदेशों से आयात किया गया था..."

(यह सीमा शुल्क विभाग के लिए है। वह विभाग भी यही पद्धति अपनाता है।)

"मद 22 (4) आई०सी०टी० के अन्तर्गत इन आयातों पर देय शुल्क राशि 1015.49 करोड़ रुपए आती है। 6 वर्ष की अल्पावधि में सीमाशुल्क की इतनी भारी राशि को बट्टे खाते में डालने से यह पता चलता है कि इस समय कार्यपालिका को शुल्क छूट देने की असीम शक्ति प्राप्त है।"

इसके बाद समिति सिफारिश करती है :—

[श्री अमल दत्त]

"मामले के सम्बन्ध में ध्यान में लाए गए मुद्दों और प्रशासनिक मान्यताओं को देखते हुए, समिति सुझाव देती है कि सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 25 (2) के अन्तर्गत व्यक्तिगत छूट, जिसमें बट्टे खाते डाली जाने वाली राजस्व की राशि प्रत्येक मामले में 10 करोड़ रुपए से अधिक हो, संसद की पूर्व अनुमति से ही दी जानी चाहिए।"

परन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। ये सुझाव पांचवीं लोक सभा की लोक लेखा समिति के हैं। तत्पश्चात् पांचवीं लोक सभा की लोक लेखा समिति ने अपने 177वें प्रतिवेदन के पैरा 15.15 और 15.16 में ये सिफारिशें की थी :

समिति ने सिफारिश की—मैं उद्धरण देता हूं :—

" की गई कार्यवाही सम्बन्धी टिप्पणी में, वित्त मन्त्रालय ने समिति को बताया है कि छूट सम्बन्धी शक्ति के बारे में विधि में निश्चित मार्गदर्शी सिद्धान्त परिभाषित करना सम्भव नहीं है..."

सरकार ने यह सीधा उत्तर दिया और इस पर समिति ने टिप्पणी की कि :—

"समिति मन्त्रालय का तर्क स्वीकार नहीं कर सकती। समिति का विचार है कि छूट दिए जाने को विनियमित करने के लिए सुपरिभाषित मानदण्ड निर्धारित करना सम्भव होना चाहिए। तदनुसार, समिति चाहती है कि सरकार द्वारा इस पर विस्तारपूर्वक दोबारा विचार करके इस विषय में विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए जाने चाहिए।"

इसके बाद, इसी प्रतिवेदन में, समिति ने कहा है—मैं उद्धरण देता हूं :—

"समिति अपने पूर्ववर्ती निष्कर्षों के प्रति लम्बी अवधि तक कार्यवाही न करने पर क्षुब्ध है और अपने 31वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) के पैरा 1.13 में अन्तर्विष्ट पूर्ववर्ती सिफारिश को जोर देकर दोहराती है।..."

मैं पुनः उद्धरण देता हूं :—

"...इस विषय में प्रशासनिक बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, समिति सुझाव देती है कि छूट के प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में जिसमें 1 करोड़ रु० और इससे अधिक का राजस्व अन्तर्ग्रस्त हो, संसद की पूर्वानुमति से स्वीकृति दी जानी चाहिए।"

उस समय अर्थात चौथी और पांचवीं लोकसभा में समिति ने यह कहा था। समिति ने कहा था कि सीमा शुल्क के सम्बन्ध में वे 10 करोड़ रु० की सीमा निर्धारित करेंगे और

उत्पाद शुल्क के मामले में 1 करोड़ रु० की। नियमानुसार ऐसी छूट संसद की पूर्व अनुमति से ही दी जा सकती है न कि अधिसूचना द्वारा।

लोक लेखा समिति ने छठी लोक सभा के दौरान इसी बात को दोहराया। मैं पूरी सिफारिश नहीं पढ़ूंगा ; यह बहुत बड़ी है परन्तु 13वें प्रतिवेदन में पैसा 11.43 से 11.45 तक समिति ने यह सुझाव दिया है :—

"ताकि जहां राजकोष को राजस्व की भारी हानि होती है वहां कुछ आर्थिक अथवा संसदीय नियंत्रण रखा जा सके।"

अर्थात्, जिन मामलों में राजस्व की हानि कतिपय सीमा से अधिक है उनमें संसद की पूर्वानुमति ली जानी चाहिए। तत्पश्चात्, यह कहा गया है कि समिति यह जांच करना चाहेगी कि क्या वहां सिफारिशों को लागू करना सम्भव है जहां भारी हानि हो रही है और उन्होंने उत्पाद शुल्क के मामले में सीमा 1 करोड़ रुपये निर्धारित की। यदि किसी अधिसूचना में 1 करोड़ रुपये या इससे अधिक राशि के राजस्व की हानि अन्तर्ग्रस्त है तो वह संसद की पूर्वानुमति लेकर ही किया जाना चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या आपका अभिप्राय है कि प्रत्येक मामला संसद की जानकारी में लाया जाना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए ? क्या यही कहना चाहते हैं ?

श्री अमल दत्त : हां, जब यह राशि 1 करोड़ रु० से अधिक की हो।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या हर बार इसे सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए ?

श्री अमल दत्त : जी, हां।

प्रो० एन० जी० रंगा : इसकी प्रक्रिया भी बताइए। (**व्यवधान**) तब पूरे वर्ष संसद का सत्र चलेगा।

श्री अमल दत्त : यह जरूरी नहीं है। यह बाद में हो सकता है। परंतु इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मैंने लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन से ही उद्धरण दिए है जोकि सभा की एक समिति है। (**व्यवधान**) कृपया मेरे साथ बहस न करें क्योंकि मैं केवल लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन से ही उद्धरण दे रहा हूं।

श्री पी० कुलेनवेईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री अमल दत्त : प्रतिवेदन काफी पहले प्रस्तुत किए गए थे। उन्हें सभा के पटल पर काफी पहले रख दिया गया था। काफी पुरानी बात हो गई है, मैं उन पुराने प्रतिवेदनों से उद्धृत कर

[श्री अमल दत्त]

रहा हूं । प्राक्कलन समिति ने छठी लोक सभा के दौरान अपने 28वें प्रतिवेदन में इस विषय पर इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं । पैरा 3.125 और 3.126 में इससे टिप्पणी है—मैं उद्धृत करता हूं ।—

"समिति महसूस करती है कि यदि बहुत आवश्यक हो तो सरकार बहुत ही कम और वह भी बहुत ही जरूरी मामलों में, छूट देने की शक्ति का प्रयोग कर सकती है । समिति यह भी चाहती है कि छूट की अधिसूचना निर्धारित अवधि के भीतर संसद द्वारा परिवर्तन किए जाने या छूट दिये जाने के अध्यधीन जारी होनी चाहिए और इसके लिए मूल अधिनियम में कोई उपयुक्त उपबंध किया जाना चाहिए ।"

उत्पाद शुल्क अधिनियम में यह उपबन्ध नहीं है जबकि सीमा शुल्क अधिनियम में है । अतः, जबकि सीमा शुल्क अधिनियम में संसद को अधिसूचना को रद्द करने की शक्ति दी गयी है, उत्पाद शुल्क अधिनियम में यह नहीं है और इसलिए लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति की सिफारिशें भी कि ऐसी शक्तियों को उत्पाद शुल्क अधिनियम में अन्तर्विष्ट किया जाए, सरकार ने स्वीकार नहीं की हैं । इस मामले में वे इतने दृढ़ हैं ।

लोक लेखा समिति छठी लोक सभा के 146वें प्रतिवेदन के पैरा 1.9 से 1.10 का पाठ इस प्रकार है :—

"समिति चाहती है कि सरकार उत्पाद शुल्क अधिनियम में भी इसी प्रकार का सांविधिक उपबन्ध करने के प्रश्न की जांच करे ।

समिति का यह दृढ़ विश्वास है कि सांविधिक टैरिफ के प्रभाव में परिवर्तन करने के लिए कार्यपालिका को दी गयी शक्ति का विनियमन, इस सम्बन्ध में समिति द्वारा की गयी पहली सभी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए भारत के नियन्त्रक तथा लेखा महापरीक्षक के परामर्श से, सुपरिभाषित मानदंडों के अनुसार होना चाहिए ।"

इसके बाद 4थी, पांचवीं और छठी लोक सभा में भी वे इसी बात को दोहराते रहे । (व्यवधान) । कृपया मुझसे बहस न करें । मैं केवल समिति की सिफारिशों को उद्धृत कर रहा हूं । 7वीं लोक सभा की लोक लेखा समिति के (105वें) प्रतिवेदन के पैरा 2.36 में कहा गया है :—

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार की छूट प्रदान करने के फलस्वरूप कितने राजस्व से हाथ धोना पड़ा है वह 1976-77 के 9.44 करोड़ से बढ़कर 1979-80 में 245.18 करोड़ रुपए हो गया है, तो इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों की आवश्यकता अभी भी अधिक आवश्यक है ।"

यह छूट कार्यपालिका द्वारा जिसे प्रत्यायोजित प्राधिकार के अन्तर्गत यह शक्ति प्राप्त है, अधिसूचना के अन्तर्गत शक्ति का उपयोग करते हुए दी जा रही है।

"समिति यह बात दुहराती है कि उन परिस्थितियों को, जिनमें कार्यपालिका द्वारा छूट प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, स्पष्टतया बताने वाले दिशा-निदेश अविलम्ब निर्धारित किए जायें।"

अतः समिति का बार-बार यह कहना है कि सुस्पष्ट मानदण्ड, मार्गनिदेश होने चाहिए जिनके अन्तर्गत छूट देने की शक्ति का प्रयोग किया जा सके। सरकार लगातार ऐसा करने से इन्कार करती रही। और समिति इसके लिए अपनी सिफारिशों को दुहराती रही है। समिति का कहना है कि उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में 100 करोड़ रु० से अधिक और सीमा शुल्क के सम्बन्ध में 10 करोड़ रु० से अधिक, यदि वित्तीय हानि अन्तर्ग्रस्त हो तो ऐसी अधिसूचना संसद की अनुमति मिलने के बाद ही जारी की जानी चाहिए, जिसको सरकार ने नहीं माना है।

अन्त में, सातवीं लोकसभा में समिति ने व्यवहार्यतः अपनी हार मान ली और कहा कि लोक-लेखा समिति के लिए यह बिल्कुल सम्भव नहीं है कि वह प्राप्ति तथा व्यय दोनों पर निगरानी रखें और सिफारिस की कि दो अलग अलग लोक-लेखा समितियां एक प्राप्ति पर निगरानी रखने के लिए और दूसरी व्यय पर निगरानी रखने के लिए होनी चाहिए। सरकार ने इस सिफारिश को भी स्वीकार नहीं किया।

आज हो यह रहा है कि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क नियमों के अन्तर्गत अधिसूचनाओं के माध्यम से वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक में छूटकर राशियां इस प्रकार थी— उत्पाद शुल्क के मामले में— 1983-84 में 250 करोड़ रु०, 1984-85 में 293 करोड़ रु०, 1985-86 में 340 करोड़ रु० थी जो उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क प्राप्त कुल राजस्व का 2.93 प्रतिशत है, और इसी प्रकार सीमा शुल्क नियमों के अन्तर्गत 1983-84 में 865 करोड़ रु० की राशि की, 1984-85 में 990 करोड़ रु० की राशि की छूट दी गई थी 1985-86 में छूट की राशि 1,550 करोड़ रु० थी जिसका मतलब 16.62 प्रतिशत हुआ। यदि आप इसकी तुलना सरकार के वार्षिक राजस्व से करें तो यह सरकार के वर्ष 1983-84,1984-85 और 1985-86 के कुल राजस्व का क्रमशः 4 5 4.5 और 5.3 प्रतिशत बैठता है। यह एक जबरदस्त शक्ति है जो प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से कार्यपालिका को दी गई है और जो निर्बाध है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की अपनी स्वीकृति के अनुसार इसके लिए कोई मार्ग निदेश नहीं हैं। लोक-लेखा समिति ने बार-बार सरकार से मार्ग-निदेश जारी करने की पूर्वानुमति प्राप्त करने की सिफारिश की है किन्तु सरकार ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया है। इस भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए सरकार अब एक विधेयक लाई है। मैं केवल इस हद तक खुश हूं कि उन्होंने सामान्यी भूतलक्षी प्रभाव देने का प्रयास नहीं किया है ताकि सभी अधिसूचनाओं को भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सके। मैं इस सीमा तक खुश हूं किन्तु मैं समझता हूं कि यह सब बहुत गलत हो रहा है। इससे संसद को शक्ति लेकर सरकार या कार्यपालिका के हाथों में रख दी जाती है। मैंने अभी-अभी यह दिखाने के लिए आंकड़े प्रस्तुत किए कि संसद से

[श्री अमल दत्त]

परामर्श के बिना कार्यपालिका किस सीमा तक शक्ति का प्रयोग कर रही है —संसद को इसके बारे में बताया तक नहीं गया कि अधिसूचना का क्या प्रभाव पड़ेगा आदि। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मैं सरकार और माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे 4 थी लोक-सभा से सातवीं लोक-सभा तक लोक-लेखा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को देखें जिन्हें लोक-लेखा समिति ने बार-बार दोहराया है और इसके बावजूद भी सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। मैं माननीय मंत्री जी से एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि वे कृपया उन्हें देखें उन पर विचार करें और उन्हें कार्यान्वित करें।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। सच तो यह है कि इस बिल में कहने लायक बहुत सी बातें नहीं हैं। लेकिन यह बात सच है कि एक्साइज जो कन्ज्यूमर्स ने पे कर दिया उसके लिए आप बड़े-बड़े पूंजीपतियों, मिल-मालिकों, उद्योगपतियों और व्यापारियों को रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट से एग्जम्पशन दे रहे हैं। इससे उपभोक्ता का कहां फायदा होता, है यह मेरी समझ में नहीं आया और यदि आप इसी तरह से उपभोक्ताओं से टैक्स लेकर साल दर साल रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट से उद्योगपतियों और व्यापारियों को फायदा देते रहेंगे तो यह समाजवाद की जो बात हम कहते हैं वह बात ही रह जायेगी।

मेरा कहने का अर्थ यह है कि वह कहावत है कि न्याय होना चाहिए लेकिन साथ-साथ न्याय हो रहा है यह दिखाना भी चाहिए। एक्साइज ड्यूटी इस तरह से माफ करने से उपभोक्ता मरता है क्योंकि उससे तो व्यापारियों ने पैसा वसूल लिया। उसे तो दुगना फायदा हो गया कि सरकार ने भी टैक्स छोड़ दिया। इस देश में एक्साइज में जितने घपले हैं, जितनी बेईमानी है उतनी बहुत कम चीजों में है।

आप कभी देखते होंगे कि एक ही सामान बाजार में कहीं ज्यादा दाम पर मिलता है कहीं कम दाम पर मिलता है। कम दाम पर मिलने का एक कारण यह भी है कि वह अधिकारियों की कनाइवेंस से, उनकी मिलीभगत से रात के अन्धेरे में फैक्ट्री से निकल जाता है और फिर बाजार में बिकता है। एक्साइज दिया हुआ माल सौ रुपये में बिकेगा तो बगैर-एक्साइज वाला, चोरी से आया है वह 80 रुपये में मिलेगा। आप सीचेंगे कि यह नकली है। लेकिन वह नकली नहीं है। इस तरह करोड़ों रुपये की एक्साइज की चोरी होती है। वह जो काला धन है जिसकी हम चर्चा करते हैं, उसका बहुत बड़ा भाग एक्साइज की चोरी से आता है। कोई भी सामान ले लीजिए, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कारखाने से निकलवा देंगे। चाहे सेन्ट्रल एक्साइज हो, चाहे स्टेट एक्साइज हो, कहने के लिए जहां वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी लगती है वहां एक्साइज अफसर रखे जाते हैं और उम्मीद यह की जाती है कि एक्साइज अफसरों की देख-रेख में माल कारखानें से निकलेगा, लेकिन होता यह है कि एक्साइज के अफसर इण्डस्ट्रियलिस्ट्स से, मिल-मालिकों से मिल

जाते हैं और सभी की आंख में धूल झोंककर कारखाने से माल निकलवाते हैं। नुकसान किसका होता है ? जनता का नुकसान होता है और सरकार का होता है। जिस टैक्स से सरकार को पैसा आता है वह पैसा सरकार को नहीं आ पाता है। इसलिए मैं कहूंगा एक्साइज के बारे में जितना आसान दिखाई देता है उतना आसान नहीं है।

इस बिल के अन्दर आपने रिस्ट्रापेक्टिव इफेक्ट से काम किया है — ठीक ही किया है, लेकिन मैं कहूंगा लोगों को एजूकेट करने की जरूरत है। (व्यवधान) मैं बिल का समर्थन करता हूं लेकिन मैं कहूंगा आप रेट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लोगों को भविष्य में बेनिफिट मत दीजिए। इससे कन्ज्यूमर्स को नुकसान होता है।

इसी सिलसिले में एक बात और कहूं कि मार्केट में माडवेट को लेकर भी कन्फ्यूजन हो गया है। माडीफाइड वैल्यू एडेड टैक्स जो आपने लगाया है इसके नाम पर व्यापारी लोग जनता को लूट रहे हैं। कोई भी सामान आप लेने जाएं तो कहा जाएगा हम क्या करें, माडवेट के कारण यह दाम बढ़ गए हैं। साधारण जनता माडवेट को नहीं समझ पा रही है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप माडवेट के बारे में लोगों को एजूकेट करें और उनको बताएं कि माडवेट क्या है और यह बतायें कि सचमुच में यह जनता के फायदे के लिए है। सच बात तो यह है कि व्यापारी लोग बड़ी-बड़ी टर्मनालोजी का फायदा उठाकर जनता को बेवकूफ बनाते हैं और दोनों हाथों से लूट रहे हैं।

अन्त में मैं एक बात और कहूंगा। आप सेठों को, इण्डिस्ट्रियलिस्ट्स को जरूर पकड़िए लेकिन उनके साथ जो अफसर मिले हुए हैं, जो अफसर उन सेठों के साथ मिली-भगत कर रहे हैं और जनता को लूट रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता है ? हम जानना चाहेंगे कितने ऐसे मामले हैं जिनमें सेठों को जेल दी गई या अफसरों को जेल दी गई ? सरकार इस तरह का स्टेटमेन्ट पार्लमेन्ट के मेम्बर्स को जरूर दें। अफसर जब समझते हैं कि वे पकड़े जाएंगे तो वे रिजाइन करके चले जाते हैं, सोचते हैं हमारी बला से, लेकिन क्या उनके त्याग-पत्र दे देने से करोड़ों रुपये की टैक्स की चोरी रुक जाएगी। अन्ततः इस टैक्स का भार जनता पर ही आता है इसलिए मैं कहूंगा कि जो भी लोग दोषी हों उनकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बस, इतनी ही बात मुझे कहनी थी।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : पिछले जाड़ों के दौरान हमने तकनीकी अध्ययन दल के द्वारा की गयी सिफारशों के आधार पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 स्वीकार किया जिसमें नयी टैरिफ मदों और उत्पाद-शुल्क की दरों का प्रस्ताव किया गया है। वह भी समन्वित वस्तुवर्णन और संकेत पद्धति (समन्वित पद्धति) अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन से प्राप्त वर्गीकरण से पद्धति पर आधारित है। हमने एकमत से विधेयक का समर्थन किया है। इसके साथ ही दो अन्य विधेयक अधिनियम के परिणामात्मक परिवर्तनों को प्रभावी बनाने के लिए पारित किये गये थे। हमें उस समय बताया गया था कि जहां तक भी संभव होगा वर्तमान शुल्क ढांचा

[श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर]

सुरक्षित रखा जायेगा। हमें यह भी बताया गया था कि जब दरें उच्च होंगी, तो छूट देने वाली अधिसूचनायें जारी कर दी जायेंगी। किन्तु आज आश्चर्य की बात है कि भविष्य प्रभावी देने के स्थान पर इन अधिसूचनाओं को भूतलक्षी प्रभाव से जारी किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उत्पाद-शुल्क कौन देता है। उपभोक्ता ही उत्पाद-शुल्क देता है। उद्योगपति या विनिर्माता यह शुल्क नहीं देता है यद्यपि वह इसे सरकार के पास जमा करता है। किन्तु वह इसे किससे एकत्र करता है ? वह इसे उपभोक्ता से ही एकत्र करता है। कोई भी उत्पाद-शुल्क से मुक्त नहीं हो सकता क्योंकि यह एक अप्रत्यक्ष कर है। विधेयक के खण्ड दो में कहा गया है :—

"उत्पाद-शुल्क, जो वसूल किये गये हैं किन्तु जो, यदि कथित अधिसूचना पूरे समय लागू होती वसूल नहीं किये गये जा सकते थे वापिस कर दिये जाएंगे।"

आप इसे विनिर्माता को वापिस कर रहे हैं। आप इसे व्यक्तिगत उपभोक्ता को नहीं दे सकते। तो इस कानून से लाभ किसे होगा। क्या सरकार इससे सरकार को लाभ होगा या जन-साधारण को। इसका लाभ केवल विनिर्माता या उद्योगपति को ही लाभ होगा। मुझे यह समझ नहीं आता कि सरकार इस विधेयक को किस आधार पर लायी है।

मूल विधेयक पर बोलते समय इसमें से कुछ ने इस सभा में बताया था कि विनिर्माता किस प्रकार सरकार तथा जनता को धोखा देते हैं। कई मामलों में के बहुत दक्ष वकीलों की सहायता ले सकते हैं। यदि वे अधिनियम में कोई ऐसी कमी पाते हैं, वे न्यायालय तक जाते हैं और राशि की वापसी के लिए सरकार को निर्देश दिलाने वाले आदेश प्राप्त कर लेते हैं यहां तक कि वह वापसी भी विनिर्माता को जाती है। वहां भी जनता को धोखा होता है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे स्पष्टतया बतायें कि इसका लाभ जनसामान्य को कैसे होगा। पूरी राशि का लाभ विनिर्माता या उद्योगपति को होता है। यह एक साधारण-सा विधान है। मैं जानता हूं किन्तु मैं वास्तव में हैरान हूं कि सरकार इसके बारे में कैसे सोचती है।

दूसरी बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा वह उत्पाद-शुल्क के बारे में है। इसका भुगतान जनसामान्य करता है। पिछले बजट के दौरान माननीय वित्त मंत्री अपने ने बजट संभाषण में और उत्तर के दौरान भी यह कहा था कि जहां तक भी संभव होगा उत्पाद-शुल्क कम किया जायेगा। किन्तु इसका अभी कुछ पता नहीं। अभी-अभी माननीय सदस्य श्री अमल दत्ता ने यह दिखाने के लिए कि सरकार को छूट देने के कारण किस प्रकार करोड़ों रुपयों का नुकासान हो रहा है, लोक लेखा समिति की सिफारिशों को उद्धृत किया। इस संबंध में मैं एक दो सुझाव और देना चाहूंगा। और चाहूंगा कि मंत्री जी उसका उत्तर दें। पहली बात उत्पाद-शुल्क की चोरी से संबंधित हैं। ऐसा कैसे होता है ? बहुत-सी विनिर्मित वस्तुओं के मामले में हमने देखा कि पैकिंग सामग्री पर भी वस्तु का मूल्य लिखा हुआ है किन्तु साथ ही यह भी लिखा है कि—'केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और बिक्री कर अतिरिक्त'। अत: भुगतान की जाने वाली राशि कितनी हुई ? उपभोक्ता

यह कैसे जान सकता है कि उसे कितना उत्पाद-शुल्क देना है। वास्तव में उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि कितनी है।

इस प्रकार, सरकार को धोखा दिया जाता है तथा जनता को भी ठगा जाता है। हमें मालूम नहीं है कितना निर्माता को मिलता है तथा कितना वह सरकार को देता है। इन सभी बातों का हमें पता नहीं है। पिछले वर्ष, मुख्य विधेयक पर चर्चा के दौरान भी हमने ये सुझाव दिये थे, लेकिन माननीय मंत्री जी ने इन कमियों को दूर करने के लिए कोई संशोधन पेश नहीं किया है, क्योंकि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क एक कल्पवृक्ष की तरह से है जिससे करीड़ों रुपये प्राप्त होते हैं।

अधिकतम राजस्व हमें केन्द्रीय उत्पाद कर से ही प्राप्त होता है। जबकि आयकर केवल उन्हीं से मिलता है, जिनके लिए इसका भुगतान करना जरूरी होता है। केन्द्रीय उत्पाद कर सभी को देना पड़ता है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से इन कमियों को दूर करने के लिए अनुरोध करूंगा।

दूसरी बात जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं वह उत्पाद-शुल्क से बचने के संबंध में है। पिछले वर्ष अनेक छापे मारे जाने के कारण हमें बहुत खुशी हुई थी तथा हमने सरकार की सराहना भी की थी। प्रतिदिन समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिला कि अमुक-अमुक फर्म पर छापा मारा गया। लेकिन आजकल यह कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। क्या अपवंचन पूर्णतया रुक गया है ?

उस समय कुछेक वरिष्ठ अधिकारियों से भी सख्ती से निपटा गया था। लेकिन आजकल कुछ भी सुनने में नहीं आ रहा है। क्या अब हम समझें कि सब कुछ दुरुस्त है तथा सरकार को राजस्व की ठीक-ठीक प्राप्ति हो रही है ? मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उत्तर देते समय इस पर कुछ कहें, क्योंकि इस विषय पर समाचार पत्रों में आजकल कुछ भी नहीं छपा है।

अन्त में मैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य ने जो कुछ अभी-कभी कहा है उसका जोरदार समर्थन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास निर्बाध स्वविवेकाधिकार नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि सभी मामले संसद के समक्ष लाये जाये। लेकिन कुछ ऐसे दिशा निर्देश हों, कुछ ऐसे नियम हों, जिनके द्वारा इस तरह की छूट दी जा सके आप प्रतिवर्ष अरबों रुपये की छूट प्रदान करते हैं। सीमा-शुल्क में भी करोड़ों रुपये की राहत दी जा रही है। लेकिन कोई भी उद्योग उत्पाद-शुल्क में राहत का लाभ उपभोक्ता तक नहीं पहुंचने देता—टाटा तथा बिरला भी नहीं। वे उपभोक्ता से इसे ले लेते है। सरकार को कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे राहत दिये जाने पर निगरानी तथा नियंत्रण रखा जा सके। इस सम्बन्ध में एक व्यापक कानून होना चाहिए। हालांकि सरकार के पास यह अधिकार है कि आवश्यकता पड़ने पर वह उत्पाद-शुल्क बढ़ा दे। लेकिन हम इसका विरोध करते हैं, हमारे विचार से उत्पाद-शुल्क को बढ़ाए या घटाए जाने का अधिकार केवल संसद के पास होना चाहिए। लेकिन

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

आजकल ऐसा नहीं है। अन्त में, मैं मंत्री जी से एक आश्वासनपूर्ण उत्तर दिए जाने का अनुरोध करूंगा।

इस सदन का एकमत विचार है कि इस तरह की भूतलक्षी रूप से राहत देना सरकार तथा आम आदमी के फायदे में हो, न कि कतिपय निर्माताओं के फायदे में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : मेरे विचार से सदन के सामने लाया गया यह एक अनावश्यक विधेयक है। विभिन्न लोगों ने इसे ऐसा ही बताया है। उत्पाद-शुल्क उपभोक्ता द्वारा दिया जाता है। महोदय, यदि किए गए जरूरी वादे को पहले दिन ही पूरा कर दिया जाता तो किसी भी विधेयक के लाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। अभी भी वे कहते हैं कि अदा किया गया अतिरिक्त शुल्क राजकोष से वापिस कर दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, यदि किसी व्यक्ति ने अतिरिक्त शुल्क अदा किया है तो वह अतिरिक्त राशि को वापिस लेने का हकदार है।

यदि वह निर्माता है जिसने अपने उपभोक्ताओं तथा आम जनता से शुल्क प्राप्त कर इसे अदा कर दिया है तब किसी भी अवस्था में असली उपभोक्ता जिसने अन्ततः वह शुल्क अदा किया था का पता लगाना तथा उसकी सहायता करना असम्भव है।

इस प्रकार सामान्यतः इससे निर्माता को ही फायदा होता है। शुल्क वह उपभोक्ता से ले चुके हैं तथा अब वह उसे सरकार से पुनः प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार आप अनायास ही निर्माता की सहायता कर रहे हैं। महोदय, सम्बद्ध अधिकारियों को उचित समय पर यह कार्यवाही करनी थी। उन्हें और अधिक सतर्क रहना चाहिए था। उन्हें इसका ध्यान रखना था कि कुछ भी अतिरिक्त न वसूल किया जाएं। लेकिन वे इसमें नाकामयाब रहे। अब निर्माताओं के दबाव के कारण उन्होंने भूतलक्षी प्रभाव से कुछ अधिसूचनाएं जारी करने का सुझाव दिया है। इन निर्माताओं की उत्पाद-शुल्क विभाग तक पहुंच है। इन निर्माताओं के दबाव से उन्होंने इन सुझावों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने के लिए कहा है।

उस दबाव के अन्तर्गत कुछ अधिकारियों ने उत्पाद-शुल्क को पिछले विधेयक के पारित करने के समय प्रचलित दर पर ही रखने के लिए मंत्री महोदय से अनुरोध किया था। अतः उन्होंने सुझाव दिया कि ये अधिसूचनाएं भूतलक्षी प्रभाव से लागू की जाएं तथा जिन्होंने अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क जमा किया था, उन्हें वह वापिस दे दिया जाना चाहिए।

मैं यहां माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यहां पर यह शुल्क वसूल किया गया है, उसे वास्तव में जमा कराने वाले व्यक्ति ने अपने पास से नहीं दिया है, बल्कि यह तो वास्तविक उपभोक्ता द्वारा अदा किया गया है। अतः इसका, उन्हें कुछ भी पुनर्भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं तो कहूंगा कि इस मामले में माननीय मंत्री जी को सम्बद्ध अधिकारियों के साथ भी कड़ाई से पेश आना चाहिए उत्पाद शुल्क का आंकलन मंत्रालय के अधिकारी गण करते हैं न कि मंत्री। मंत्रालय के एक विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जाती है। इस कार्य को करने हेतु अधिकारियों का एक दस्ता होता है। इससे यही लगता है कि उस समय जब यह विधेयक लाया गया था वे इसकी जटिलताएं नहीं समझते थे।

दूसरे, जो अधिसूचना जारी की गई थी वह समय पर जारी नहीं की गई थी इसीलिये वे इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने का आग्रह करते हैं। यह संसद को झांसा देने का प्रयास है कि जो शुल्क गरीब उपभोक्ता से लिया गया है, उसे अमीर निर्माताओं को लौटा दिया जाना चाहिए मुझे मालूम नहीं कि कैसे ये मंत्री महोदय, जो इस विभाग के प्रभारी है तथा जो काफी सतर्क है इस जाल में जा फंसे। कम से कम यह समझ में आने वाला नहीं है। अदा तो करता है गरीब आदमी, लेकिन वापिस मिलता है धनी आदमी को और आप इसे फिर भी सामाजिक न्याय कहते हैं। क्या हम इसी लोक व्यवस्था के प्रतीक है ?

क्या हम यही कुछ कहना चाहते हैं लोगों से ? जो गरीब व्यक्ति यह शुल्क अदा करते हैं उन्हें ही अपने परिवार की भलाई के लिए एक-एक पाई की जरूरत होती है, लेकिन इस ढंग से आप उन्हें तथा सरकार को इस पैसे से वंचित कर रहे हैं तथा इसे धनी लोगों को दे रहे हैं। मुझे आशा है कि श्री पुजारी महोदय यह निश्चित करेंगे कि जहां कहीं यह धन उपभोक्ताओं को लौटाया जाए, केवल उन्हीं मामलों में इसे दिया जाए, अन्यथा नहीं।

भारत में उपयोग की जाने वाली वस्तु कई हाथों से गुजरती है। ग्रामीण भारत में उपभोक्ता एक गरीब आदमी होता है। केवल धनी लोग ही वस्तुओं के निर्माताओं से या मूल व्यापारी से खरीद सकते है अत: मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव दूंगा, कि क्योंकि वे वादे पर डटे रहे, इसलिए उन्होंने एक विधेयक प्रस्तुत किया है। लेकिन निर्माता को वापसी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि आयकर के मामले में तो वापिसी आयकर दाता को मिल जाती है लेकिन उत्पाद-शुल्क का भार वहन करने वाले वास्तविक व्यक्ति का पता लगा पाना सम्भव नहीं है। सरकार उस धन को वास्तविक उपभोक्ता की तरफ से राजकोष में रोके नहीं रखती। अत: मैं कहूंगा कि कृपया इस बात का ध्यान रखा जाए कि इस विधेयक के प्रावधानों का दुरुपयोग न होने पाए।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : सभापति महोदय, मुझे कुछेक टिप्पणियां ही करनी हैं, हमारे कम्युनिस्ट मित्र की टिप्पणियों में काफी दम है कि इस उत्पाद-शुल्क अदायगियों में छूट दिये जाने के प्रयास में कुछ मार्गनिर्देश होने चाहिए जिन पर सरकार तथा प्रशासन अमल करें। लोक लेखा समिति ने इसका उल्लेख किया है तथा इस लम्बी अवधि में कितने अरब रुपयों की इस तरह से छूट दी गई है तथा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है इसकी एक लम्बी रिपोर्ट दी है। लेकिन इसके प्रतिवेदनों को क्रियान्वित करना कुछ मुश्किल ही है। कोई भी व्यक्ति देख सकता है जब कभी छूट दी जाती है, इसे संसद के ध्यान में लाया जा सकता है। लेकिन इसे अनुमोदनार्थ संसद के समक्ष लाना सम्भव नहीं है। यह सम्भव नहीं है। इसीलिए, मैं कहता हूं कि दिशानिर्देश

[प्रो० एन०जी० रंगा]

बनाए जाएं तथा सरकार इस तरह इसके अधिकारियों द्वारा अनुशंसित छूट को इन दिशनिर्देशों के आधार पर आंक सकेगी।

दूसरे, यह सहज ही कहा जा सकता है कि समस्त उत्पाद-शुल्क उपभोक्ताओं द्वारा अदा किया जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कोई भी जो आर्थिक शक्तियों के खेल को जानता है वह देख तथा समझ सकता है कि कभी-कभी निर्माता को ही यह अदा करना पड़ता है।

कभी-कभी उपभोक्ताओं को तथा अक्सर दोनों को ही शुल्क अदा करना पड़ता है। बहुत बार, निर्माताओं को खुद ही इन उत्पाद-शुल्कों के लगाने का समायोजन करना पड़ता है इस तरह अपनी उत्पादन, प्रक्रिया का भी समायोजन करते हैं। फिर भी जब कभी ये छूट दी जा रही हो, सरकार यह देखेगी कि कम से कम भविष्य में इन उपभोक्ताओं को सारा उत्पाद-शुल्क अदा न करना पड़े, जब वे उत्पाद-शुल्क लगाएं तथा उन्हें वसूल करें।

तीसरे, इस पर काफी ध्यान देना होगा कि इस उत्पाद-शुल्क के समाहर्ता तथा इसके कर्मचारी निर्माताओं से मिली भगत कर कोई घोटाला न करें। यह अभी निश्चित किया जाना है कि किस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाए। लेकिन सरकार को समय-समय पर कम से कम वर्ष में एक बार संसद को यह सूचना देनी होगी कि वह अपने उत्पाद-शुल्क समाहर्ताओं तथा कर्मचारियों में अनुशासन रखने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है।

अन्ततः, कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों, जैसे पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र या काश्मीर, जहां रेल सम्पर्क है। तथा इन क्षेत्रों, विशेषकर काश्मीर में विनिर्मित वस्तुओं का देश के बाकी क्षेत्रों में परिवहन इतना मंहगा हो जाता है कि यह सोचना पड़ता है कि उन निर्माताओं को, जिनके संयंत्र काश्मीर या अन्य ऐसे क्षेत्रों में है, क्या रियायतें दी जाएं, ताकि ये सुविकसित संचार वाले क्षेत्रों के विनिर्माताओं से प्रतिस्पर्धा कर सकें।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : माननीय सभापति महोदय, वास्तव में यह विधेयक वर्तमान सरकार के कार्यकरण का प्रतीक है, यहां तक कि यह उसके आचरण विशेष का परिचायक है। लेकिन यह बड़ी दिलचस्प बात है कि प्रो० रंगा को छोड़कर जो भी सत्ता पक्ष वाले बल्कि सभी, ने इस विधेयक को अस्वीकार किया है।

यह नोट किया जाए यह बड़ी दिलचस्प बात है।

मैंने क्यों इसे परिचायक कहा है ? आप स्थिति देखते हैं। पहले हमने कुछ वस्तुओं को कुछ सांविधिक दरें नाम देकर विधेयक पारित किया। पहले यह संसद द्वारा पारित किया गया। हमने क्यों पारित किया इसे। इस विधेयक के उद्देश्य में यह कहा गया है कि इसे संशोधित भी किया जा सकता है।

ऐसा क्यों ? क्योंकि सरकार वर्तमान दरों को बरकरार रखना चाहती थी ताकि अवांछित वृद्धि न हो। सरकार यही सब चाहती थी। तब इसी कारण आपने उस समय उस सांविधिक उपबन्ध को पारित किया ? उसे संसद द्वारा पारित किया गया था। क्या इसकी उस समय ही जांच नहीं की जा सकती थी ?

दुसरे, अब भी जबकि वह यह विधेयक ला रहे हैं, वास्तव में अत्यन्त दिलचस्प बात यह है कि वे आश्वस्त नहीं हैं अथवा मैं नहीं जानती—हो सकता है कि वे आश्वस्त हों और किसी कारण से छुपा रहे हों, परन्तु उद्देश्यों एवं कारणों में बताया गया है कि इस विषय में वापिस की जाने वाली राशि को सही-सही बताना सम्भव नहीं है। इसमें कहा गया है कि 'तथापि, वापिस की जाने वाली राशि पांच करोड़ रुपये से अधिक होने की सम्भावना नहीं है।' इसके अतिरिक्त तदर्थ-वाद का एक अन्य दृष्टान्त है। आपको एक ऐसे विधान को मंजूर करने के लिए कहा गया है जिसके अन्तर्गत वसूल की गई उत्पाद-शुल्क की राशि विनिर्माताओं को वापिस करने की व्यवस्था है। मैं प्रो० रंगा के तर्क पर आऊंगी, परन्तु पहले मैं बहुमत की तर्क युक्ति के सम्बन्ध में बोलूंगी। क्या हम जान सकते हैं कि वे कौन-सी वस्तुएं हैं जिनके आधार पर इसकी गणना की गई थीं और यह पाया गया था कि यह राशि 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी ? इस प्रकार, इस विधेयक में शुरू से ही तदर्थवाद है जोकि, मैं कहूंगी, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज सरकार की विशेषता है।

जैसा कि मैंने कहा है, उस प्रकिया में, संसद भी अवमानित हो रहा है, क्योंकि यह एक सांविधिक उपबन्ध है इसकी क्या आवश्यकता है ? इसी पूरी प्रक्रिया या मुझे यह कहना चाहिए कि इस सर्कस और कलाबाजी की क्या आवश्यकता थी ? इस विधेयक को लाने की इतनी जल्दी क्यों की गई है ? यहां क्या कहा जा रहा है ? यह दावा किया जाता है कि कतिपय मदों पर शुल्क की सांविधिक दरें अधिक हैं। सरकार को कैसे पता चला ? तथापि, मैं उद्देश्यों एवं कारणों सम्बन्धी विवरण उद्धरण देता हूं :

> "तथापि, छूट सम्बन्धी ये कुछ अधिसूचनाएं पहली मार्च, 1986 के बाद ही जारी की जा सकी थी, जबकि सरकार को व्यापार एवं उद्योग से अथवा क्षेत्रीय अधिकारियों से शुल्क सम्बन्धी परिवर्तनों के प्रभाव की जानकारी मिली थी।"

सरकार को किसने बताया कि सांविधिक उपबन्ध में अवांछित दरें दी गई हैं ? कृपया नोट करें कि यह जानकारी पहले व्यापार एवं उद्योग ने और बाद में क्षेत्रीय अधिकारियों ने दी गई बताई गई है। इस प्रकार उपभोक्तता कभी सामने नहीं आया। इसीलिए मैं पुनः कहती हूं कि दरें किसके लिए अवांछित थीं ? यह अवांछित थीं, उद्योग और व्यापार समुदाय के लिए तथा अधिकारियों के लिए जो इस व्यापार एवं उद्योग समुदाय की सहायता करते हैं और निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, सरकार के लिए अवांछित थी, क्योंकि आप इस वर्ग को खरीदना चाहते हैं जिसे इस विधान से लाभ होगा। यह समस्त तदर्थवाद केवल तदर्थवाद ही नहीं है पायल-

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

पन का भी कोई तरीका होता है। इसीलिए, मैं कहती हूं कि यह इस सरकार का वर्ग विशेष के प्रति झुकाव का परिचायक है। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि शुल्क राशि वापिस करना आवश्यक है। यदि संविधिक दरों पर पहले ही शुल्क लिया जा चुका है तो कौन सी शक्ति संसद को यह राशि विनिर्माताओं को वापिस करने के लिए बाध्य कर सकती है।

हम प्रतिदिन संसाधनों की कमी के बारे में सुन रहे हैं। उन कमियों के होते हुए, इसी वर्ष में, यह राशि वापिस की जानी चाहिए। सरकार जनता को संतुष्ट करने और हमारे समक्ष उन मदों की सूची रखने के लिए अगले बजट तक प्रतीक्षा कर सकती है। इस व्यवस्था से लाभान्वित होने वाले विनिर्माताओं एवं मदों के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। मैं यह कहूंगी कि इस स्थिति में, यह राशि वापिस करने की कोई आवश्यकता नहीं है चाहे यह 5 करोड़ रुपये हो अथवा कोई अन्य राशि, हमें मालूम नहीं है। स्वयं सरकार को भी पता नहीं है कि यह राशि कितनी होगी। अतः इस सांविधिक उपबन्ध का उल्लंघन क्यों किया जाता है? उन थोड़े से लोगों के हितों के लिए जो विनिर्माता और व्यापार के क्षेत्र में हैं ? मैं यह भी कहूंगी कि वित्तीय व्यवस्था से निबटने का यह एक विशेष तरीका बांका तरीका है। आप दीर्घकालिक वित्तीय नीति की बात करते हैं। महोदय, एक वर्ष में इन सभी पहलुओं का बार-बार परिवर्तन किया जा रहा है और संसद को सत्तारूढ दल के बहुमत के कारण यह परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जाता है। तब इस 'दीर्घकालिक' का क्या अर्थ रह जाता है? यह 'दीर्घकालिक' शायद बड़े विनिर्माता वर्ग के हितों का परिचायक है जिसका सरकार वास्तव में प्रतिनिधित्व करती है। उस 'दीर्घकालिक' के लिए मैं मत नहीं दूंगी।

व्यंग्य न करते हुए, मैं वास्तव में दूसरी ओर बैठे अपने मित्रों से सहानुभूति रखती हूं और दुःख महसूस करती हूं, जिन्हें केवल एक वाक्य बोलना होता है "मैं समर्थन करता हूं" जबकि अपने पूरे भाषण में वे विधेयक का विरोध करते हैं। मैं उसके लिए उन्हें मुबारकबाद देती हूं। इस एक वाक्य के बाद, कि "मैं समर्थन करता हूं" अपने शेष भाषणों मे उन्होंने वह कहा है जोकि उन्होंने महसूस किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी यह अनुरोध करूंगी। इस विधेयक पर स्वेच्छापूर्ण मतदान होने दीजिए, तब हम देखेंगे कि उस ओर बैठे हमारे कितने मित्र विनिर्माताओं को राशि वापस करने के पक्ष में मतदान करते हैं। मुझे विश्वास है कि यदि इस विधेयक पर स्वेच्छापूर्ण मतदान कराया जाए तो यह विधेयक तत्काल अस्वीकार हो जाएगा। (व्यवधान) इसलिए, मेरे विचार में राशि वापिस करने का यह उपबन्ध जन सामान्य और उपभोक्ताओं के हितों के बिल्कुल विपरीत है। हमारे श्रद्धेय प्रो० रंगा सभा से चले गए हैं। उन्होंने अपने विशेष तरीके से हमें यह बताने का प्रयास किया है कि उपभोक्ता ही सदैव उत्पाद शुल्क अदा नही करते हैं कभी-कभी विनिर्माता स्वयं भी उत्पाद शुल्क अदा करते हैं, आदि-आदि। यदि वह यहां उपस्थित होते तो मैं उन्हें नम्र-निवेदन करती कि सभी विनिर्माता किसी न किसी ढंग से उत्पाद शुल्क उपभोक्ताओं पर ही डाल देते हैं। न केवल यही, जैसाकि कहा जा चुका

है, वे विभिन्न तरीकों से धोखा देते रहते हैं और सांविधिक रूप से निर्धारित अपेक्षित दरों पर भी शुल्क देने से बचते हैं। इसलिए मेरे विचार में किसी को भी यह नहीं भूलना चाहिए, मैं अनुरोध करती हूं कि 5 करोड़ रुपयों को कूड़ेदान में डालने की बजाय इस राशि को शिक्षा के मद पर लगाया जाए जिसके बारे में हम कल बहस करेंगे। किसी भी तरह ऐसा पूर्व उदाहरण कायम न करें जिससे न केवल संसद की ही बदनामी हो तथा उपभोक्ताओं के साथ भी धोखा हो और पूंजीपतियों के हितों के लिए राजकोष से हानि पूरी की जाए। अतः मैं विधेयक का पूर्णतः विरोध करती हूं और अनुरोध करती हूं कि इस विधेयक पर स्वेच्छापूर्ण मतदान हो।

5.00 म०प०

श्री हक भाई मेहता (अहमदाबाद) : महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करने के लिए कर्त्तव्यबद्ध हूं क्योंकि यह सरकार द्वारा रखा गया है परन्तु मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूं कि यह विधेयक पेश करना बहुत आवश्यक था। इस ओर तो हम प्रायः निर्धन जनता के दावों का उत्तर एक सामान्य नारे 'संसाधनों की कमी' से दे रहे हैं और दूसरी ओर जब हमारे पास उत्पाद शुल्क के रूप में 5 करोड़ रुपये की राशि है उसे हम विनिर्माताओं को वापिस कर रहे हैं। यदि सरकार इस बात पर जोर देना चाहती है कि संसद को विधेयक पारित करना चाहिए तो कम से कम मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यदि हमें आगे निर्धनों की ओर से कुछ दावे प्राप्त होते हैं तो यह न कहें कि हमारे पास संसाधन नहीं हैं। अन्यथा निर्धन व्यक्ति हमसे कहेंगे कि हम सरकार को यह बताएं कि जब उनके पास संसाधन थे तो उन्होंने विनिर्माताओं को राशि वापिस करके उसे बर्बाद कर दिया।

महोदय, मेरी टिप्पणी निरर्थक नहीं है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने भी उत्पाद शुल्क को अप्रत्यक्ष कराधान की संज्ञा दी है और एडम स्मिथ के समय से आज तक किसी ने भी इस रूप में परिभाषित नहीं किया है कि ये विनिर्माताओं अथवा डीलरों द्वारा देय शुल्क अथवा कर हैं।

महोदय, जब मैं एक वरिष्ठ स्थायी परामर्शदाता के रूप में गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष केन्द्रीय सरकार का पक्ष प्रस्तुत करता था तब मैंने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी थी कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कराधान है इसका वह विनिर्माताओं द्वारा नहीं किया जाता है। केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के रूप में विनिर्माता द्वारा सरकार को दी गई राशि विनिर्माता की नहीं होती।

महोदय, संविदा अधिनियम की धारा 72 में राशि वापस करने के अधिकार का उपबन्ध किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने बहुत पहले 1959 में सरकार को कहा था कि धारा 72 में संशोधन की आवश्यकता है। आज 1986 हो गया है। इस दिशा में कोई उपाय नहीं किया गया है। संविदा अधिनियम की धारा 72 में राशि वापस करने का अधिकार दिया गया है। यह मालिक को गलती से अदा की गई राशि की वापिसी का अधिकार प्रदान करता है और मालिक का अर्थ मूल मालिक से है।

[श्री हकभाई मेहता]

महोदय, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विनिर्माता अपनी जेब से नहीं देता है। वह एक तरह से केन्द्रीय सरकार के लिए उत्पाद-शुल्क एकत्र करने वाली एजेन्सी के रूप में है। उपभोक्ता को ही इसका भार उठाना पड़ता है अतः जब सरकार द्वारा कुछ उत्पाद शुल्क देय समझा जाता है तो विनिर्माता उपभोक्ताओं से इसे एकत्र करके सरकार को अदा कर देता है। यदि उस उत्पाद शुल्क को भूतलक्षी प्रभाव से हटाया जाता है तो किसे लाभ होगा ? उपभोक्ताओं को लाभ मिलना चाहिए। आइए इस मामले को देखते हैं। यह मामला 3 मार्च, 1986 और 8 अगस्त,1986 के बीच की अवधि से सम्बन्धित है। उस दिन कुछ संशोधित दरें लागू थीं। इसलिए विनिर्माताओं ने इन्हें ही दरें माना है और उपभोक्ताओं को उसी के अनुसार भुगतान करने को कहा गया। वह शुल्क एकत्र करने के बाद सरकार को दे दिया गया। यदि अब आप किसी को उस राशि वापस करने का लाभ देना चाहते हैं तो वह लाभ क्यों न उपभोक्ता को ही दे दिया जाए।

5.05 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह विधेयक काफी अच्छा होगा और निश्चय ही सभा के सभी वर्गों द्वारा इसकी सराहना की जायेगी, यदि माननीय वित्त मंत्री महोदय हमें बतायें कि यह उल्लिखित किया जायेगा। और यदि आवश्यक होगा तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन का लाभ उपभोक्ता को मिलेगा, एक सुस्पष्ट उपबंध जायेगा; या तो इसे व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा अथवा यदि यह संभव नहीं होगा कि व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ताओं का पता लगाया जा सके तो उसी तरह से किया जायेगा जैसा कि नवावगंज शूगर मिलस और शिवशंकर दाल मिल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार किया गया था। उपभोक्ताओं के लाभ के लिए राशि को समकरण निधि में जमा कर दिया जाएगा। उस समकरण निधि को मूल्य को कम करने के लिए उपयोग किया जा सकता है या इस धन को सरकार के पास ही रह सकता है और उसका उपयोग उद्योग के बेहतरी, सुधार, और विकास के लिए किया जा सकता है किन्तु किसी भी व्यक्तिगत विनिर्माता को भी ऐसे भूतलक्षी प्रभाव से अनुचित रूप से समृद्ध बनने नहीं देना चाहिए।

गुजरात उच्च न्यायालय में तीन मामले आये थे। बड़ौदा कम्पनी के मामले में, जो अग्फा कैमरे के विनिर्माता हैं, न्यायमूर्ति बेदारकर और न्यायाधीश रावानी महोदय ने यह विचार व्यक्त किया कि उत्पाद-शुल्क की वापसी के मामले में, क्योंकि यह एक अप्रत्यक्ष कर है, यहां तक कि ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय को भी अन्तिम लाभ इस ढंग से दिलवाना पड़ेगा कि जो संविदा अधिनियम की धारा दो के अनुरूप सच्चे रूप में हो। संविदा अधिनियम की धारा 72 में उपबंधित वापसी का अर्थ है गैर-कानूनी कर की अन्तिम करदाता को वापसी जिसे भुगतान का भार वहन करना पड़ा। दूसरा भारत विजय मिल्स के मामले में यह मामला मिश्रित धागे पर शुल्क के

सम्बन्ध में था, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आर०सी० मनकड़ और न्यायमूर्ति ए०एस० कुरेशी की खण्ड पीठ ने इस आधार पर कार्यवाही को आगे बढ़ाया कि उस मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क गैर-कानूनी था। उस चरण पर केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत आधार यही था। निश्चय ही एक अपील सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय ने कहा कि संविदा अधिनियम की धारा 72 को ध्यान में रखते हुए कपड़ा मिलें यह नहीं दिखा पायी है कि उन्हें कोई हानि हुई है। ऐसा माना जाता है कि शुल्क उपभोक्ताओं से लिया गया था। उच्च न्यायालय ने राशि की वापसी के दावे को अस्वीकार कर दिया और उच्च न्यायालय ने कहा कि गैर-कानूनी ढंग से शुल्क की वसूली करने के बावजूद भी उन्होंने सरकार को पहले से वसूल की गई राशि को रखने की अनुमति दे दी। राशि कई करोड़ रुपये की थी। न्यायालय ने कहा कि सरकार इस राशि को अपने पास रखेगी और इसका उपयोग उपभोक्ताओं के हित के लिए या तो भविष्य में उत्पाद-शुल्क को घटा कर या कोई वृद्धि न करके करेगी, चाहे अन्यथा इसकी आवश्यकता भी हो। केन्द्र सरकार को यह शक्ति गुजरात उच्च न्यायालय ने उपरोक्त फैसले में दी।

कैलिको मिल्स के तीसरे मामले में गुजरात उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने जिसके मुख्य न्यायमूर्ति श्री ए०पी० ठक्कर, न्यायमूर्ति अहमदी और न्यायमूर्ति आर०सी० मनकड़ थे, यह विचार व्यक्त किया कि यदि कोई वापसी की जानी थी तो उसे उपभोक्ताओं के हित में किया जाना चाहिए था। जब भी उत्पाद-शुल्क के मामले में कोई छूट या लाभ दिया जाना हो तो केन्द्र सरकार की नीति यह सुनिश्चित करने की होनी चाहिए कि लाभ आखिरकार उपभोक्ता को ही मिले। जब व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण इसे आखिरकार उपभोक्ता तक पहुंचाना संभव न हो तो इसे उपभोक्ताओं या सामान्य जनता के हित में किसी निधि, जैसे मूल्य समकरण निधि या किसी अन्य निधि में जमा कर देना चाहिए।

इस सम्बन्ध में मैंने प्रधान मंत्री को एक पत्र भेजा है और प्रधान मंत्री ने वह पत्र माननीय वित्त मंत्री को भेज दिया है और मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा गहन अध्ययन करने के बाद उत्तर की आशा करता हूं।

मैं यह कहना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि भविष्य में सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए कि कोई भी विनिर्माता उत्पाद-शुल्क की वापसी या छूट के कारण अप्रत्याशित लाभ या समृद्धि को प्राप्त न करे और आखिरकार लाभान्वित होने वाला उपभोक्ता या सामान्य जनता या सामान्य रूप से उद्योग हो न कि कोई विशेष डीलर या विनिर्माता हो।

महोदय संविदा अधिनियम की धारा 72 की जांच तुरन्त की जानी चाहिए।

इन टिप्पणियों के साथ, मैं आशा करता हूं कि सरकार इस विधेयक पर जोर नहीं डालेगी। किन्तु यदि सरकार इस विधेयक पर जोर डालना ही चाहती है, जैसा कि मैं कर्त्तव्यबद्ध हूं, तो मैं इसका समर्थन करूंगा।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, इस विधेयक ने कुछ भ्रम पैदा कर दिया है। अनभिप्रेत शुल्क ने सभा में अनभिप्रेत भ्रम पैदा कर दिया है। यद्यपि ऐसा जान-बूझकर नहीं किया गया। माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव देने का प्रयास किया है। मुझे कुछ माननीय सदस्यों से आलोचना भी सुननी पड़ी। हमारे अनुभवी नेता श्री रंगा के अपने प्रचुर अनुभव के कारण उन्हें विपक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा किए गए कुछ तर्कों का खण्डन करना पड़ा और उन्होंने उनके तर्कों का खण्डन ठीक ही किया। वहां माननीय सदस्य कृपा करके दो सहयोगी कानूनों सहित केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियमों को पारित किये जाने की बात को याद कर सकते हैं जैसाकि श्री कृष्ण अय्यर ने कहा है, प्रक्रियाओं के सरलीकरण और अन्य अच्छी बातों के कारण सभा में इसकी तारीफ की गई थी। उस समय सरकार ने यह वायदा किया और सूचित किया कि अन्य टैरिफों को अपना लिए जाने के कारण, यदि यहां कोई असंगति रह जाती है तो उसका सुधार किया जाएगा और उन असंगतियों को दूर करने के लिए अधिसूचनायें जारी करके उपाय किए जायेंगे। हुआ क्या ? पहले उत्पाद टैरिफ अधिनियम में 1 से 67 तक की मदें थी जिसमें विभिन्न मदें विनिर्दिष्ट थीं। जिन मदों को 1 से 67 मदों में शामिल नहीं किया गया है उन्हें मद 68 के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। जब नया अधिनियम लागू किया गया, तो यह मद 68 हटा दी गई और इसे विभिन्न टैरिफ अनुसूचियों में पुनर्वर्गीकृत तथा समूहबद्ध किया गया। जब इसमें कुछ अन्य टैरिफों को शामिल किया गया तो क्या हुआ ? मैं आपको माप का एक उदाहरण दूंगा। माप के मामले में 28 फरवरी तक जब यह नया अधिनियम लागू हुआ तो कोई उत्पाद-शुल्क नहीं था माप को फैक्टरियों में स्वास्थ्य तथा अन्य कारणों से सुरक्षित रूप से उपयोग में लाया जाता है। 28 फरवरी तक इस पर कोई शुल्क नहीं था। किन्तु जब इसका पुन: समूहीकरण किया गया तो इस पर शुल्क लगा दिया गया था। यह अनभिप्रेत था क्योंकि सरकार का इरादा शुल्क लगाने का नहीं था। दुर्भाग्य से ऐसा हो गया। जब भी कोई परिवर्तन होता है तो ऐसा हो जाता है। अत:, माननीय सदस्य कृपा करके यह याद करेंगे कि इसके बाद, यह उस वचन को निभाने के लिए जो हमने इस संसद के माध्यम से राष्ट्र को दिया था कि यदि कोई असंगति हुई तो हम उसे सुधारेंगे, हमने यह विधान प्रस्तुत किया है। हमने इस असंगति को दूर करने के लिए उस समय वचन दिया था जब व्यापार तथा उद्योग ने इसे हमारे समक्ष रखा। हमने इस असंगति को दूर करने के लिए 3 मार्च से 8 अगस्त तक अधिसूचनायें जारी करना शुरू कर दिया था। माननीय सदस्य श्रीमती गीता मुखर्जी ने एक विचार व्यक्त किया था कि हमारे पागलपन की भी कोई सीमा होनी चाहिए। मैं विपक्ष की ऐसी माननीय तथा आदरणीय सदस्य से ऐसे विचारों की आशा नहीं करता था।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने यह कहा है कि पागलपन का भी एक तरीका होता है।

श्री जनार्दन पुजारी : वह सब ठीक है। हमें इसे सह लेंगे।

अब यहां क्या करना है ? एक जिम्मेदार सरकार की तरह जब हमने संसद से वायदा किया है, क्या हम अपने वचन से मुकर सकते हैं ? सरकार का उत्पाद शुल्क आदि लगाने का कोई मन्तव्य नहीं है। ऐसा केवल परिवर्तन करने के कारण हुआ है। इसका परिणाम क्या हुआ

होता ? इस छोटी-सी अवधि के दौरान जब परिवर्तन के कारण शुल्क लगता है, तो मूल्यों में वृद्धि हुई होती। उत्पादन की लागत बढ़ गई होती। अन्ततः उपभोक्ता पर उसका भार पड़ा होता। इसने छुटकारा पाने के लिए हमने यह विधान प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूं कि संसद इस स्थिति की सराहना करेगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : वापसी का प्रश्न कहां उठता है ?

श्री जनार्दन पुजारी : जिस अवधि में यह अनभिप्रेत शुल्क लगा, इस शुल्क को वापिस किया जाता है। (व्यवधान) अतः यह विधान कुछ अवधि तक के लिए है। 8 अगस्त से कोई भी अधिसूचना भूतलक्षी प्रभाव से नहीं होगी और इस तरह प्रो० रंगा के प्रचुर अनुभव इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे। सभी मामलों में नहीं बल्कि जहां उपभोक्ता भुगतान कर रहा है, अर्थात् कुछ विशेष मामलों में।

आपने यह बात उठायी कि इसे विनिर्दिष्ट क्यों नहीं किया गया है और अन्तर्ग्रस्त राशि कितनी है। कई भेद हैं। केवल जब जब वे हमारी जानकारी में लायी जाती है और जब अभ्यावेदन प्राप्त होते है तभी हम जान सकते हैं यह राशि 5 करोड़ रु० से अधिक नहीं होगी।

माननीय सदस्यों के लाभ के लिए मैं सूचित करूंगा कि सरकार का कार्य निष्पादन क्या था। श्री कृष्ण अय्यर ने बताया कि पिछले वर्ष कई छापे मारे गए थे। सभी खुद थे। यहां तक कि संसद ने भी राजस्व विभाग के कार्य निष्पादन की सराहना की थी।

1985 की उपलब्धि क्या थी ? तब हमने सदैव के लिए एक रिकार्ड कायम किया। मैं आपको अद्यतन आंकड़े दूंगा; हमने 1985-86 वर्ष में 2616 करोड़ रु० एकत्रित किए। चाहे इस वर्ष के बजट के लिए जो भी अनुमान लगाए गए थे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हम तीन क्षेत्रों अर्थात सीमा शुल्क और उत्पाद-शुल्क, आयकर तथा निगमित क्षेत्र से बजट के प्राक्कलनों से अधिक मिला।

इस वर्ष का कार्य-निष्पादन कैसा है ? माननीय सदस्यों के लाभार्थ, मैं यह कहूंगा कि हमने जुलाई तक गत वर्ष की तुलना में 1353 करोड़ रुपये अधिक एकत्रित किए हैं। यदि कोई अप्रत्याशित बात नहीं हो तो यह इस साल का रिकार्ड हो जाएगा।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : क्या यह राशि नया संग्रहण है अथवा पुरानी देय राशियां भी इसमें शामिल हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : यह मिला-जुला प्रयास है। यह राशि न्यायालय में दायर मुकद्दमों तथा छापों से एकत्र हुई है। हमने इस बारे में कदम उठाए हैं। मैं श्री कृष्ण अय्यर के फायदे के लिए यह भी कहूंगा कि उनको पता चला है कि छापे मारे गए थे और उन्होंने यह पूछा है कि हम उन छापों का प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं। संसद में तथा समाचार-पत्रों में भी यही बात कही गई

[श्री जनार्दन पुजारी]

है। जब भी छापा मारा जाता है उसको अनावश्यक प्रचार किया जाता है। इसमें लोगों की प्रतिष्ठा की बात होती है। जब हम आरोप-पत्र दायर करते हैं तो हम पूरा ब्यौरा देते हैं। इससे पहले हम यही कहते हैं कि इतने छापे मारे गए।

मैं माननीय सदस्य को बताता हूं कि इस वर्ष क्या-क्या हुआ और 1985 के दौरान कितने छापे मारे गए। 1985 में, 7402 मामलों का पता लगाया गया। मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के बारे में आंकड़े दूंगा। इनमें 340.83 लाख रुपये का कर वंचन था इस वर्ष जून तक 2854 मामले थे। इनमें 344.56 करोड़ रुपये की धनराशि अन्तर्ग्रस्त है। हम गत पूरे वर्ष के आंकड़ों के बराबर पहले ही पहुंच चुके हैं। हम बड़े व्यापारिक घरानों पर ध्यान दे रहे हैं छोटे लोगों पर नहीं और हम यह प्रयास है कि बड़े लोग ऐसे ही न छूट जाएं। संसद की भी यही मंशा है और हमारे राष्ट्र की यही इच्छा है हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी यह कोशिश है कि हम कर-वंचकों, तस्करों तथा कालाबाजारियों के खिलाफ कार्यवाही करें। इसमें कितना राजस्व एकत्रित होता है ? हमें केवल 5 करोड़ रुपये के बारे में नहीं सोचना चाहिए। (व्यवधान)

पश्चिम बंगाल के लिए जब हमने अधिक धन एकत्र करने के लिए प्रयास किए थे तो पश्चिम बंगाल को तथा अन्य सभी राज्यों को भी अपेक्षाकृत अधिक धनराशि दी गई थी। आय-कर से प्राप्त राजस्व का 85 प्रतिशत भाग राज्यों को जाता है एकत्र किए गए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क का 45 प्रतिशत राज्यों को जाता है। हमने केन्द्र से इतना अंशदान दिया है जितना कर तथा अन्य शुल्को से आपका हिस्सा बनता था। इन प्रयासों के कारण सुलभ हुए धन को राज्य सरकारों को दिया गया है। यह बात कही गई है कि यदि अधिकारियों की सांठ-गांठ है तो हमें उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए इतना ही नहीं हमें किसी को नहीं छोड़ना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : यह सारा लीकेज जो हो रहा है, आफिसल्यस की वजह से हो रहा है। इतना पैसा जो इकट्ठा किया है इसका मतलब ही यह है कि लीकेज हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : मैं व्यास जी के विचारों का आदर करता हूं। यह सच है कि हमें इन लोगों को भी बक्शना नहीं चाहिए। हमने इनके खिलाफ कार्यवाही की है। हमने उन पर मुकद्मा चलाया है। मेरे पास इस बारे में सही-सही आंकड़े नहीं है। यदि माननीय सदस्य सही आंकड़े चाहते हैं तो मैं उन्हें भेज दूंगा। मैं कोई गलती न कर बैठूं इसलिए मैं आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं। हमने आयकर आयुक्तों आयकर अधिकारियों तथा समाहर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की है। माननीय सदस्य विश्वास नहीं करेंगे कि यहां तक कि सहायक समाहर्ता जब वे हवाई अड्डे

से आते हैं तो उनको रास्ते में रोककर उनकी तलाशी ली जाती है। उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की गई है इसके साथ-साथ जब कोई अच्छा काम किया जाता है तो उसका श्रेय विभाग को जाता है और हम देखते हैं कि कुछ अधिकारियों के योग्य अधिकारियों ने अच्छा काम किया है तो हम उन्हें इनाम भी देते हैं। ये उनके ही प्रयास हैं कि हम एक वर्ष में 2,616 करोड़ रुपये एकत्र कर पाए हैं। देश के इतिहास में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ संसद तथा हम सभी उनको शाबासी देते हैं। इसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए और गीता मुखर्जी जैसी माननीया महिला सदस्या की ओर से भी उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। इतना ही नहीं और भी कई बातें हैं, माननीय सदस्य, वयोवृद्ध नेता प्रो० रंगा जी को इस बारे में काफी अनुभव हैं। वे ये बात समझ गए हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस मुद्दे का, जो उन्होंने रखा है, निराकरण न करें। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपाय किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में किसी के प्रति कोई बात है।

मैं लोक-लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि माननीय सदस्य यहां नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"उत्पाद शुल्क से छूट संबंधी कुछ अधिसूचनाओं को भूतलक्षी प्रभाव देने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा इस विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेगी।

खण्ड 2 – कतिपय अधिसूचनाओं को भूतलक्षी प्रभाव देना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'पृष्ठ 1, पंक्ति 9,—

"विद्यमान स्तर पर" के स्थान पर

"कुछ माल की बाबत विद्यमान स्तर पर" प्रतिस्थापित किया जाए :'...(1)

'पृष्ठ 2, पंक्ति 1,—

"विद्यतान स्तर पर" के स्थान पर

"कुछ माल की बाबत विद्यमान स्तर पर" प्रति स्थापित किया जाए।'...(2)]

[श्री जनार्दन पुजारी]

'पृष्ठ 2, पंक्ति 4, —

"यह समझा जाएगा" के स्थान पर

"जहां तक ऐसी अधिसूचना ऐसे माल के सम्बन्ध में है, यह समझा जाएगा" प्रति स्थापित किया जाए।' ...(3)

उपाध्यक्ष महोदय :प्रश्न यह है कि :

'पृष्ठ 1 पंक्ति 9,—

"विद्यमान स्तर पर" के स्थान पर

"कुछ माल की बाबत विद्यमान स्तर पर" प्रतिस्थापित किया जाये।—(1)

'पृष्ठ 2, पंक्ति 1 —

"विद्यमान स्तर पर" के स्थान पर

"कुछ माल की बाबत विद्यमान स्तर पर" प्रतिस्थापित किया जाए। ...(2)

"पृष्ठ 2, पंक्ति 4,—

"यह समझा जाएगा" के स्थान पर

"जहां तक ऐसी अधिसूचना ऐसे माल के सम्बन्ध में हैं, यह समझा जाएगा" प्रतिस्थापित किया जाए। ...(3)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है .

कि खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

5.26 म० प०

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए ।"

यदि मैं संक्षेप में तथ्यों पर प्रकाश डालूं तो सदस्यों के लिए इसकी सराहना करना आसान हो जाएगा और वाद-विवाद भी संक्षिप्त रहेगा ।

इस संशोधनकारी विधेयक द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के चार उपबन्धों में संशोधन करने का प्रयास किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उपलब्ध समय भी पांच मिनट का है ।

श्री ए० के० पांजा : वर्ष 1976 में प्रस्तुत किए गए खंड 65 के अनुसार कलक्टर अथवा विभागीय आदेशों द्वारा जब्त की गई वस्तुओं की को वापस की शक्तियां न्यायालयों से वापिस ले ली गई थी । परन्तु उस शक्ति में आवश्यक वस्तुएं या हानिकारिक वस्तुएं ढोने वाले वाहन अथवा पात्र अथवा पशु अथवा किसी अन्य सवारी को जब्त करने का अधिकार नहीं दिया गया था । इस कथित अपराधी द्वारा वस्तुओं के जब्ती सम्बन्धी कार्यवाही होने तक वाहन को छोड़ देने के लिए तत्काल आवेदन पत्र दिए जाने पर न्यायालयों ने ठीक ही पाया है कि आवश्यक

[श्री ए०के० पांजा]

वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत वाहन जब्त करने के लिए कोई शक्ति नहीं दी गई है जो कि स्वयं आवश्यक वस्तु नहीं है। अतः न्यायालय को इसे छोड़ देना पड़ा। तत्काल अगले अपराध में हमने पाया कि वही वाहन, उसी तरह का पात्र और उसी तरह की सवारी का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए यह संशोधनकारी विधेयक यह सुनिश्चित के लिए लाया जा रहा है कि न्यायालयों को तब तक वाहन छोड़ने की शक्ति नहीं होगी जब तक कि जब्ती सम्बन्धी कार्यवाही में अन्तिम जब्ती आदेश बता नहीं दिया जाता है। इस बीच प्राधिकार कलक्टर या सम्बन्धित प्राधिकारियों के पास रहेगा। अतः, 65 में संशोधन करने का उपबन्ध सभा के समक्ष विचारार्थ रखा गया है।

दूसरा लोक मांग वसूली अधिनियम के अन्तर्गत है। सरकारी देय की बकाया राशि, भूमि कर के रूप में एकत्र की जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में किसी भूमि-कर की कोई पद्धति नहीं है और सरकारी देय लोक मांग के रूप में वसूल किए जा रहे हैं। अतः, हमने यह उपबन्ध किया है कि उन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में भी जहां भूमि कर की पद्धति नहीं है। सरकारी देय लोक मांग के मामले के रूप वसूल किए जाएंगे। जहां तक भाग 7 क का सम्बन्ध है, यह संशोधन किए जाने का प्रयास है।

तीसरा संशोधन सरकारी देयों के देरी से भुगतान करने पर लिए गए 6 प्रतिशत ब्याज के सम्बन्ध में है। अब यह संशोधन है कि इस प्रकार की राशियों पर 15 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा।

अन्तिम बात यह है कि जहां तक शिकायत दर्ज कराने का सम्बन्ध है केवल पुलिस अधिकारी के पास यह शक्ति है। अतः केवल पुलिस अधिकारी को ही यह शक्ति प्राप्त है। यदि जनता का कोई व्यक्ति को किसी बात का पता चला है तो वह पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करवाता है और पुलिस को शिकायत ले लेनी होगी अथवा विभाग, केन्द्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को राज्य खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग को यह शिकायत लेनी होगी। यदि वे देखते हैं कि कोई शिकायत पुलिस के पास हैं अथवा उनकी अन्य किसी कार्य कलाप से जोड़ दी गयी है तो समस्त प्रक्रिया में विलम्ब होता है और इन वस्तुओं का महत्व ही समाप्त हो जाता है। यद्यपि वस्तुएं कलक्टर के आदेशों के अनुसार बेची जाती है तो भी कय के उचित दामों को उचित रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अत. धारा 12 क क (i)(ङ) में संशोधन करके पुलिस के साथ-साथ केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को अधिकार देना है ताकि उचित कार्यवाही करने हेतु शिकायत सीधे विशेष न्यायालय में दर्ज की जा सके या सम्बन्धित अधिकारियों के पास दर्ज को जा सकें।

ये चार उपबन्ध हैं जिनमें इस संशोधनकारी विधेयक द्वारा संशोधन किया जाना है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

**श्री मानिक रेड्डी (मेडक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विधेयक प्रस्तुत करते हुए माननीय मंत्री जी ने बताया कि मूल अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें संशोधन करना आवश्यक है। यह संशोधन मूल अधिनियम की कमियों को पूरा करेगा जिनका कानून के उल्लंघन करने वाले ससमाज विरोधी तत्वों जैसे जमाखोरों और कालाबाजारियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। यह संशोधन सरकार को वाहन, पैकेज या पात्र पर कब्जा करने अथवा जब्त करने का अधिकार देता है। यह मामलों को शीघ्र निपटाने में सहायता करेगा, अतः मैं इसका समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने भाषण को जारी रख सकते हैं।

श्री मानिक रेड्डी : महोदय केवल दो मिनट ! मैं अपना भाषण पूरा करूंगा। महोदय, इस विधेयक में मूल अधिनियम के द्वारा धारा 7 क में भी संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। ब्याज दर को 6% से बढ़ाकर 15% करने का प्रस्ताव है। यह आय का अनिश्चित स्रोत है। क्योंकि कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को कलक्टर द्वारा निर्धारित ब्याज अनिवार्य रूप से देना ही पड़ेगा। अतः इस राशि को 15% से बढ़ाकर 25% कर दिया जाना चाहिए।

महोदय, यह संशोधन विभागीय अधिकारियों को और अधिक शक्तियां प्रदान करता है। इसलिए अधिकारियों को भ्रष्टाचार का आश्रय लेने का और प्रलोभन मिलेगा। इसलिए सरकार को इस सम्बन्ध में आवश्यक पूर्वोपाय करने चाहिए। भ्रष्टाचार को बढ़ने नहीं देना चाहिए। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में आवश्यक और प्रभावी कदम उठाएंगे।

महोदय, हम 1200 करोड़ रुपये मूल्य का खाद्य तेल प्रति वर्ष आयात कर रहे हैं। आयात करने के स्थान पर सरकार को देश के भीतर खाद्य तेल के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। महोदय, हमारी भूमि उपजाऊ है। हमारे किसान मेहनती हैं। सरकार को खाद्य तेल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह किसानों को राज सहायता प्राप्त दरों पर अधिक उपज देने वाले तिलहन उर्वरक और कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध करायें। तिलहनों की खेती के लिए सभी जल स्रोतों से पानी उपलब्ध कराना चाहिए। यदि ये सभी कदम उठाए जाते हैं तो निःसन्देह हमारा देश खाद्य तेल के उत्पादन में आत्म-निर्भर हो जाएगा। हम इनका आयात बन्द कर सकते हैं जिस पर हमारी 1200 करोड़ रुपये की अधिक राशि प्रति वर्ष खर्च होती है। हम अपनी अमूल्य विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं।

महोदय, चीनी एक अन्य महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तु है। देश में औसतन प्रत्येक परिवार प्रति-माह 10 से 15 किलो चीनी का उपभोग करता है। हम देश में चीनी के उत्पादन में कमी के बारे में प्रायः सुनते हैं। चीनी के उत्पादन में कमी का कारण है कि गन्ना उत्पादक को लाभकारी दाम नहीं मिलते हैं। अतः सरकार को चीनी की कीमत में 50 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि

**मूलतः तेलुगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री मानिक रेड्डी]

कर देनी चाहिए। यदि एक किलोग्राम चीनी के 50 पैसे बढ़ा दिए जाते हैं तो देश में गन्ना उत्पादक को उसके उत्पाद के लिए 50 रु० प्रति टन अधिक मिलेंगे। इससे देश में चीनी का उत्पादन बढ़ेगा अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे चीनी की कीमत 50 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ा दें ताकि गन्ना उत्पादक को लाभकारी दाम मिल सकें। मुझे आशा है कि वह इस दिशा में शीघ्र ही कदम उठाएंगे।

महोदय, देश में 5 लाख 80 हजार गांव हैं, परन्तु इस समय देश में केवल 3 लाख 70 हजार उचित दर की दुकानें कार्यरत हैं। बचे हुए 2 लाख 60 हजार गांवों में उचित दर की दुकानें नहीं हैं। सरकार का वर्तमान मापदंड प्रत्येक 2000 की जनसंख्या के लिए एक उचित दर की दुकान खोलना है। एक गरीब कृषि श्रमिक को अपनी प्रतिदिन की मजदूरी अर्जित करने के लिए पूरे दिन कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जैसे ही सूर्यास्त होता है वह अपनी मजदूरी लेकर अपने घर लौटता है और तब वह तीन से चार मील पैदल चलकर निकट के गांव में उचित दर की दुकान से आवश्यक वस्तुएं खरीदने जाता है। कोई भी यह कल्पना कर सकता है कि उस समय तक उसकी स्थिति क्या हो गई होगी, जब तक वह घर लौटता है। इसलिए इस तरह के लाखों ग्रामीण गरीबों के लाभ के लिए सरकार को प्रत्येक गांव में एक उचित दर की दुकान खोलनी चाहिए। यह राजकोष के लिए ज्यादा मंहगा नहीं पड़ेगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ही कम है, इसलिए प्रत्येक 2000 की जनसंख्या के लिए उचित दर की दुकान के मापदण्ड को तुरन्त छोड़ देना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि देश के हर गांव में एक उचित दर की दुकान प्रदान करने के लिए सरकार तुरन्त कार्यवाही करेगी।

महोदय, हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सफलता आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन वसूली ढुलाई, भंडारण, और वितरण के समन्वयन पर निर्भर करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सफलता और असफलता मुख्यतः इन्हीं तथ्यों पर निर्भर करती है। अतः सरकार को इन तथ्यों के अच्छे समन्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए। इस समन्वयन को प्राप्त करने के लिए कुछ व्यापक और क्रान्तिकारी उपाय आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार अपनी कार्य-प्रणाली को सरल बनाएंगे।

महोदय, चन्द शब्द कहने का मौका देने के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

5.35 म०प०

आधे घंटे की चर्चा

मुरादनगर स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के एकक का दादरी में स्थानान्तरण

[हिन्दी]

श्री के० एन० सिंह (हापुड़) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे मौका दिया, इसके

लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे क्षेत्र में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की तरफ से एक यूनिट लग रही थी। उसके लिए दो वर्षों तक पूरा इन्वेस्टीगेशन हुआ। इन्वेस्टीगेशन के बाद यह फैसला हुआ कि मुरादनगर क्षेत्र ही इसके लिए उपयुक्त है। इसमें पानी की व्यवस्था हो जायेगी क्योंकि थर्मल पावर में जो पानी की आवश्यकता होती है, वह गंग नहर से पूरी होगी। उसमें जो एश निकलेगा, उसका भी प्रोविजन बनाया गया कि हमारे उसी क्षेत्र से एक हिन्डन नदी बहती है, उसको किनारे से उसमें लगाया जाए। जमीन का एक्वीजिशन हुआ और मुआवजा भी बंटने लगा। लेकिन बीच में ही पता नहीं क्यों मुआवजा देना बंद कर दिया गया और उस प्लान्ट को शिफ्ट करने का फैसला ले लिया। श्री वसंत साठे जी यहां रहते तो ज्यादा अच्छा रहता क्योंकि पूरे इस विवाद में उनका अपना एक स्थान था। उन्होंने कुछ कमिटमेंट किए थे, इसलिए मैंने गुजारिश की थी कि साठे साहब का रहना जरूरी है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया यहां हैं। वे आपके प्रश्नों का जवाब देंगे।

[हिन्दी]

श्री के०एन० सिंह : चूंकि साठे साहब और किसानों के बीच में कुछ फैसले हुए थे, वह रिकार्ड नहीं है, इसलिए उनका रहना जरूरी था। मंत्री महोदय का एक कमिटमेंट हुआ था कि यह प्लान्ट मुरादनगर में ही रहेगा जब तक कि प्रधान मंत्री जी ही खुद इसको शिफ्ट न करवाएं। लेकिन अचानक ही अधिकारियों ने सामान शिफ्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिखा। चूंकि मंत्री जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी ही इसमें आर्बिट्रेशन करेंगे और उनका फैसला ही फाइनल होगा। इसलिए, उनको 24 मार्च, 1986 को एक पत्र लिखा। उसका जवाब जून के महीने में श्रीमती सुशीला रोहतगी जी की ओर से प्राप्त हुआ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी क्षेत्र का डवलपमेंट जब तक कि वहां के लोगों को साथ लेकर न किया जाए, डवलपमेंट नहीं हो पाता। जिस वक्त इन्होंने प्लान्ट शिफ्ट करने का फैसला लिया, इसके पहले भी हमारे एक्सपर्ट्स ने दो वर्षों तक इसका जायजा लिया और इसकी जांच की। उन्होंने यह महसूस किया कि इससे बढ़िया और कोई जगह नहीं हो सकती, इस प्लांट को लगाने के लिए। लेकिन अचानक ही अधिकारियों ने यह सोचा कि हमको इसको शिफ्ट करना है तो उन्होंने एक कमेटी बनाकर एनवायरनमेंट पोल्युशन के सवाल को लेकर कहा कि यह जगह मुनासिब नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं कि इसके पहले जब यह प्लान्ट 82-83 में लगना शुरू हुआ था, उस वक्त हमारे उस क्षेत्र के अखबारों ने भी इसका विरोध किया था कि यहां पोल्युशन होगा इसलिए इसको नहीं लगना चाहिए। तब इन्हीं अधिकारियों ने उसका जवाब दिया था सितम्बर 83 में कि इससे कोई पोल्युशन नहीं होगा। उन्होंने यह कहा था कि जो एश इससे निकलेगा, उसका प्रबन्ध हिन्डन नदी जो ढाई-तीन किलोमीटर चौड़ी है, उसी क्षेत्र में वहां प्रबंध हो जायेगा।

लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह जो सारा काण्ड है इसमें इन्होंने एक बहाना लिया है कि इस क्षेत्र में पोल्युशन की गुंजाइश है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम

[श्री के०एन० सिंह]

से कहना चाहता हूं कि यह 200 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 12—1300 एकड़ जमीन चाही गई थी। करीब 500 एकड़ जमीन को इन्होंने एक्वायर किया और 60 एकड़ जमीन का मुआवजा इन्होंने 39 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से दिया। राज्य सरकार की तरफ से भी इस पर एतराज हुआ, लेकिन आपने एतराज किया कि यह मुआवजा बहुत ज्यादा है। उस वक्त हमारे किसानों ने स्पष्ट कहा कि आप जो भी मुआवजा देना चाहते हैं कानूनों के लिहाज से, हम उसको स्वीकार करेंगे। कानून में इस बात का प्रावधान है कि जमीन एक्वायर करके मुआवजा दिया जाता है यदि हम इनकार करते हैं तो आप खजाने में जमा कर दीजिए और जमीन एक्वायर कर लें। उन्होंने वह भी नहीं किया और सारा सामान उठाकर दूसरी जगह ले जाना चाहा। जब हम लोगों का प्रतिनिधिमण्डल मंत्रीजी से मिला, कार्पोरेशन की तरफ से भी एक डेपुटेशन उनसे मिला, उसमें टेक्नोक्रेट थे, हम भी वहां मौजूद थे। एक घण्टा सुनने के बाद मंत्रीजी ने कहा कि एक बात लगती है, जो कार्पोरेशन की तरफ से कहा जा रहा है, यह सत्य नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट वहीं रहेगा, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी चाहेंगे तो यह शिफ्ट हो सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का कोई भी आदेश इसको शिफ्ट करने का नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब हम चुनाव में हार गये थे श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पहला दौरा किया अपना दिल्ली से हरिद्वार का तो लाखों किसानों ने मुरादनगर में उनका स्वागत किया और "प्रधानमंत्री जिन्दाबाद" के नारे लगाये। इन्दिरा गांधी ने कहा कि मैं अब प्रधानमंत्री नहीं हूं तो जनता ने कहा कि हम तो आपको प्रधानमंत्री मानते हैं और यह भी कहा कि आप इस क्षेत्र का पिछड़ापन देख ही रही हैं इसलिये जब आप प्रधानमंत्री हो जायेंगी तो इस क्षेत्र के बारे सोचना। उन्होंने कहा कि मैं प्रधान मंत्री बनने के बाद इस क्षेत्र का खास ख्याल रखूंगी। आज इन्दिरा गांधी जिन्दा नहीं है उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को मुरादनगर को दिया था उनके नाम पर यह प्रोजेक्ट वहां चला। आज वह नहीं हैं तो आज वह प्लांट दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट हो रहा है। आप सोचें कि उस क्षेत्र के रहने वाले लोग जिनका अपना एक इतिहास है 1857 में जब अंगरेजों के खिलाफ लड़ाई हुई थी तो यही क्षेत्र था जहां उनके खिलाफ यहां के लोगों ने जंग की थी। आज वह लोग दयनीय और गरीब अवस्था में हैं। मैं कहना चाहता हूं इन्होंने दो-तीन बहाने लिए हैं। पहला बहाना इनका है कि हमको कोयला ले जाने में वहां पर तीन ओवर हैड ब्रिज बनाने पड़ेंगे। इनका यह भी कहना है कि हमको ज्यादा मुआवजा देना पड़ा है। और जहां यह शिफ्ट कर रहे हैं उस क्षेत्र में इनको मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। ऐसा यह कहते हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि उस ऐश का क्या प्रबन्ध करेंगे जो रोज सैंकड़ों ट्रक निकलनी है तो इनका जवाब था प्रश्न ही नहीं उठता। इस विषय पर मैंने सवाल पूछा और इनका यह जवाब था, फैक्ट्स को छिपाने के लिए इन्होंने यह जवाब दिया। जो टेक्नोक्रेट इसमें लगे हुये हैं वह अपनी जिद पर अड़े हैं इसके अलावा और कोई इसके पीछे तथ्य नहीं है। 1983 से 86 के बीच किसानों की पांच हजार एकड़ जमीन एक्वायर हो गई है···और करीब-करीब 60 एकड़ जमीन का मुआवजा दिया जा चुका है बाकी मुआवजा नहीं दिया गया है। लेकिन जमीन तीन वर्षों से खाली पड़ी हुई है उस पर कास्त नहीं होती है। उस पर कास्त इसलिए नहीं होती है क्योंकि वहां पर इनकी सड़कें बन रही थीं, हाउसिंग प्रोजेक्ट, माल रखने

के लिए जगह बनी। इसीलिए किसानों ने अपने सारे बैल बेच दिये, ट्यूबवैल्स के कनैक्शन कटवा दिये। वहां पर किसान इस उम्मीद में बैठे थे कि यह प्रोजैक्ट बनेगा, किसानों की जमीन ली जाएगी, उसका उन्हें मुआवजा मिलेगा उनके बच्चों को एम्प्लायमेंट मिलेगी। मेरे पास बच्चों को इनके द्वारा भेजे गये नोटिसेस मौजूद हैं जिनमें कहा गया है कि आपकी जमीन ली गई है और हम आपको मुआवजा देंगे। वे लोग वहां पर तीन वर्षों से बैठे हुए हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपने मुआवजा नहीं दिया। उनको कहा गया कि चूंकि आपने मुआवजा नहीं उठाया है, इसलिए आपको एम्प्लायमेंट नहीं मिला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जो कमिटमेंट हमारी लेट प्राइम मिनिस्टर इन्दिरा जी ने की थी, उन्हीं की मंत्रालय की वरिष्ठ मंत्री महोदया, जो आज भी इस विभाग में हैं, वे कम से कम इस कमिटमेंट का पालन करेंगी और उन्हें पालन करना भी चाहिए और जो किसान गरीब हैं, उनकी गरीबी का फायदा उठाकर वहां से इस प्रोजैक्ट को शिफ्ट नहीं करेंगी अन्यथा मैं समझता हूं कि शायद वहां के किसानों का सहयोग उनको नहीं मिल पायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यह जो थर्मल पॉवर प्रोजैक्ट बनेगा, यह दिल्ली की जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। इसकी सारी बिजली दिल्ली को आयेगी और किसानों की जमीन यू०पी० में है, गाजियाबाद में है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। हमको कहा गया है कि रायल्टी में 10 परसेन्ट बिजली आपको मिलेगी। कैपीटल रीजन में हमारा क्षेत्र है। कैपीटल को खूबसूरत बनाने के लिये हमारे किसानों को हमेशा के लिए उस जमीन से डिप्राइव होना पड़ता, उनका मुनासिब मुआवजा जो मुश्किल से पूरी जमीन लेने के बाद तीस चालीस करोड़ रुपये के लगभग आता है, उसको इन्होंने देने से इन्कार किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज इस पार्लियामेंट में, हमारे क्षेत्र के जो किसान आपकी शरण में आये हैं, वे इसलिए आये हैं कि उनके साथ न्याय होगा और हमारा जो प्लांट है, वह वहीं लगेगा, वहां से शिफ्ट नहीं होगा। इस पर मंत्री महोदया आश्वासन दें। इनका काफी सीमेंट वहां पड़ा है, इनकी वहां पर सड़कें बन गई हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री महोदया हमारे साथ न्याय करेंगी।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब इनका यह पक्का विचार बन गया कि हमें वहां यह प्लाण्ट नहीं लगाना है, तब इन्होंने क्या किया कि इसके लिए एक कमेटी बना दी जिसके द्वारा यह कहा गया कि एनवायरनमेंटल पाइंट आफ व्यू से वहां पर प्लाण्ट लगाना ठीक नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस कमेटी में हमें या वहां के किसानों को भी मैम्बर बना लिया जाता तो भी हमें सन्तोष हो जाता, लेकिन जब मुआवजे का झगड़ा शुरू हो गया और इनका मन बन गया कि यहां से इसे शिफ्ट करना है, तो इन्होंने चुपके से एक कमेटी बना दी। इन्होंने सोचा कि इसमें ज्यादा उपजाऊ जमीनें जा रही हैं, इसलिए हम इसको न लें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। उनके गरीब और अनपढ़ होने का फायदा ये टेक्नोक्रेट उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इसमें दखल देकर के जो उनकी कमिटमेंट है, उसका आदर करें और वहां की जनता जो पिछले तीन वर्षों से परेशान है, उसको बचाने की कोशिश करें।

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मान्यवर, हमारे अनुभवी साथी ने अभी जिस वेदना साथ के अपने भाव प्रकट किये हैं, यदि ये तथ्य सही होते तो मैं भी बिल्कुल उनके साथ सहमत होती। उन्होंने किसानों की बात कही। इसमें दो राय नहीं हैं कि आज किसान की बदौलत ही देश अपने पैरों पर खड़ा है, स्वावलम्बी हुआ है, हरित-क्रांति लाया है और रात-दिन धूप में, गर्मी में, बरसात में पसीने में और सर्दी में सब भुलाकर चाहे बिजली मिले या नहीं, पानी मिले या न मिले, दवाई मिले या न मिले, कुछ भी हो, उसने अपनी मेहनत से कमर झुकाकर काम किया है और आज सारे देश का अन्नदाता वही किसान है। उसने सारे देश को अपने साथ रखा है। देश में जो कीर्ति और यश आया है, वह सारा किसान के माध्यम से आया है। मैं अपने भाई के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि किसान के साथ हर तरह का जो भी सरकार कार्य करे, उसको जरूर करना चाहिए। यही सरकार की नीति है। उसके माध्यम से सरकार ने समय-समय पर किसान के लिए जो कदम उठाये हैं, नई तकनीक लाई गई, और हर तरह का बराबर प्रयास हो रहा है, उसी के माध्यम से हमारे किसान भाई ने देश को इतना ऊंचा किया है। पर तथ्य कुछ और हैं, हो सकता है हमारे भाई के पास तथ्य दूसरे हों और हमारे पास दूसरे तथ्य हों।

पहली बात मैं यह कहना चाहूंगी कि इसमें कमिटमेंट का कोई प्रश्न नहीं है। हमने अच्छी तरह देखा हमारे रिकार्ड में और किसी तरफ से भी कोई कमिटमेंट का प्रश्न नहीं है। यदि कमिटमेंट होता है तो उसके मतलब होते हैं, बाकायदा, बाइज्जत उसको ओनर किया जाता है। किसी तरह से भी हमें इसमें कमिटमेंट की कोई चीज नहीं मिली है।

उसके अतिरिक्त मैं कहना चाहती हूं कि इन्होंने जो इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात कही है, यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है—नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। 240 मेगावाट और 840 मेगावाट का नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट का प्रथम चरण रहेगा जो 1990 या 1991 में आशा की जाती है कि पहला 210 मेगावाट वाट का शुरू हो जायेगा और 6-6 महीने के बाद बाकी यूनिट पूरा होकर पहला प्रथम चरण समाप्त होगा। उसके बाद 1840 मेगावाट की एक बहुत बड़ी चीज देश में बनाई जायेगी।

हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि यह जो तजवीज बनी थी, शुरू में उसमें समय लगा और शुरू में ही कह दिया गया था और यह आश्वासन दिया गया था जिसकी बुनियाद पर जमीन ली गई। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि 1982 में पहली फिजिब्लिटी रिपोर्ट आई तो उस समय सारी रिकमैंडेशन पर विचार करने के लिए डिपार्टमेंट आफ पावर ने 1982 में तरह-तरह के प्रतिनिधि हर तरफ से बुलाये। उसमें एन०टी०पी०पी० के भी थे, कोल के भी थे, इन्वायर्मेंट के भी थे, रेलवे के थे और सी०इ०ए० के थे। उन्होंने अच्छी जगह ढूंढने का प्रयास किया चारों तरफ इर्द-गिर्द। केवल यहीं सीमित नहीं रहे बल्कि यह सोचा गया कि यह चीज हो सकती है—

[अनुवाद]

बशर्ते कि प्रस्तावित स्थान का विस्तृत पर्यावरण निर्धारण किया जाए।

[हिन्दी]

तो शुरू से ही उसमें एक शर्त थी कि यदि एन्वायर्नमेंट इसे पास कर देगा तब इस शर्त के माध्यम से यह चीज यहां पर बनाई जायेगी। यह एक कंडीशन थी—सब्जैक्ट टू दैट प्रोवीजो।

हमारे पर्यावरण मंत्री यहां बैठे हुए हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वे हर समय उपलब्ध हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जी हां, वे हर समय उपलब्ध हैं। वे बहुत दयालु हैं। ऐसा मुझे अवश्य कहना चाहिए।

हमारे साथी स्वयं जानते हैं कि देश में एन्वायर्नमेंट और इकोलाजी पर कितना अध्ययन हुआ है। देश में कितना नुकसान हमारे पेड़ कट जाने से एन्वायर्नमेंट के कारण, पोल्यूशन के कारण हमारे मनुष्य पर, हर प्राणी पर, जानवर पर, पशु-पक्षी पर, जंगलात पर और इकनामी पर हुआ है। उससे सारा सोशल स्ट्रक्चर प्रभावित हुआ है। हमारे जीवन का जैसा फिल्म में है—

[अनुवाद]

यह मामला दिल और दिमाग दोनों से संबंधित है।

[हिन्दी]

सारी हमारे जीवन की जितनी चीजें हैं, डैवलपमेंट पर उसका इसके विपरीत असर पड़ा है। एक एंवायर्नमेंट इम्पैक्ट स्टडी बना था। मैं अपने भाई से निवेदन करूंगी कि उसके माध्यम से सरकार स्वयं चाहती है कि कोई ऐसा काम न हो जो किसान के खिलाफ जाये और ऐसा काम भी न हो जिससे प्रदूषण फैले और विकास के कार्य में बाधा हो। इसके बाद हम लोगों को अच्छी तरह से हर प्रोजेक्ट को देखना पड़ता है। इत्तिफाकन यह इतना बड़ा प्रोजेक्ट है इसीलिए सबसे पहले अच्छी तरह से परीक्षा की गई।

और सारी परीक्षा के बाद में यह पाया गया कि यह साईट दिल्ली के बहुत नजदीक है और यह गाजियाबाद के भी बीच में पड़ती है। इसके साथ ही साथ इसको हमारे इनवायरमेंट ने भी रिजेक्ट कर दिया। यह शर्त शुरू में थी कि अगर इनवायरमेंट इसको स्वीकार नहीं सकता है तो वह भी नामंजूर हो जाता है और वह चीज वहां बन सकती है। इसलिए जब इनवायरमेंट की मिनिस्ट्री ने यह कहा कि यहां पर इसको नहीं बनाना चाहिए और इसके लिए दूसरी जगह बकायदा चुनी जाएगी इसके बाद ही इसके लिए दूसरी जगह चुनी गई। यह दूसरी जगह भी बहुत दूर नहीं है। यह हमारे केदार भाई के डिस्ट्रिक्ट के बहुत नजदीक है, और उत्तर प्रदेश में ही है और इनकी

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

कांस्टीच्यूयेंसी के पास ही है। इसके अलावा कुछ इलाका इनकी कांस्टीच्यूयेंसी में ही पड़ता है। मैं केदार भाई को उनकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूं कि यह सवाल कांस्टीच्यूयेंसी का ही नहीं है, यह हमारी भी हो सकती है और इनकी भी हो सकती है, इसका असर हम सब पर पड़ता है और यह विशेषकर हमारे किसानों से संबंधित है। इससे करीब 500 एकड़ जमीन को अधि-ग्रहण का नोटिस दिया गया था। 10 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी उसमें हमारे मंत्री महोदय ने कहा था कि जो जमीन ले ली गई है उसमें से 70 एकड़ को मुआवजा दे दिया गया था और बाकी जो जमीन बची है उसको डी-नोटिफाइड कर दिया गया। 70 एकड़ भूमि 2 लाख रुपये एकड़ के भाव से दी गई। इसका नतीजा यह हुआ है कि 30 हजार रुपये एकड़ और 35 हजार रुपये एकड़ के रेट से अगल-बगल में जमीन मिल रही थी। जब यह 2 लाख रुपये एकड़ पर गई तो कोई किसान वह जमीन देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इस वजह से सारा प्लांट रुकने की हालत में हो रहा था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिस पर हमारा बिजली उद्योग और सारे देश का जीवन निर्भर था, उस पर सरकार पर को तुरन्त कदम उठाना पड़ा। लोग स्पैकुलेशन करने लगे और वह दो लाख रुपये के मुआवजे से कम पर जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे। इसके साथ ही इनवायरमेंट ने भी उसको अस्वीकार कर दिया और किसानों ने भी जमीन देना रोक दिया।

हमें यह भी पता चला कि दूसरी जगह पास में ही और उसी डिस्ट्रिक्ट में वह प्रोजेक्ट लगाने से बहुत से फायदे हैं। इन सब फायदों के बारे में मैं चाहूंगी कि वह मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों के समक्ष रखूं। पहली जगह जहां पर यह प्रोजेक्ट लगाने के बारे में सोचा गया था वहां ऐसी जमीन थी जहां पर उपज होती थी और यह नई जमीन जो कि अभी चुनी गई है यह उपजाऊ भूमि नहीं है और यहां कोई पैदावार नहीं हो रही है। यह कहना कि वहां 5-7 साल से खेती नहीं हो रही है और लोग जमीन का फायदा नहीं उठा रहे हैं, ऐसे कोई तथ्य हमारे पास नहीं हैं।

श्री के०एन० सिंह : मैंने यह नही कहा था। मैंने कहा था कि जिस जमीन को आपने पहले लिया है वह जमीन 3 वर्षों से बेकार पड़ी हुई है और वहां कोई बुआई वगैरह नहीं हुई है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जहां तक हमारी जानकारी है उसके अनुसार वह जमीन उपजाऊ है और वहां काम भी चल रहा है। इसलिए हमने ऐसी जमीन नहीं लेनी है जो हरी है, जहां काम चल रहा है और जहां उपज हो रही है। हमने तो ऐसी जमीन चुननी है जहां पर थोड़ी जमीन है, और जो कि वेस्ट लैंड है और जहां पर केवल प्लांट बनेगा। इसके अलावा प्लांट के साथ इमारतें बनेंगी, टाउन-शिप बनेंगे और इंडस्ट्री बनेगी। इस प्रकार यह सोचा गया कि उपजाऊ जमीन न लेकर ऐसी जमीन ली जाये जहां पर उपज नहीं हो रही है।

एक दूसरा फायदा यह था कि इसमें 50 परसेन्ट गवर्नमेंट का है और इसको जल्दी लिया जा सकता है। इसका अधिग्रहण करने में वर्षों का समय भी नहीं लगता था और यह जगह रेलवे ट्रैक से भी नजदीक पड़ती है। पहले वाली भूमि 30 किलोमीटर दूर पड़ती थी और यह भूमि 10

किलोमीटर ही दूर पड़ेगी । मैं चाहूंगी कि केदार भाई यह बात जरा ध्यान से सुन लें क्योंकि इसमें रुपया बचता है और काम भी जल्दी हो जाता है ।

मैं फ्लाई-ओवर का भी जिक्र करना चाहूंगी । मुझे जो सूचना मिली है उसके अनुसार जो पहले वाली जमीन थी उसमें 6 फ्लाई-ओवर की जरूरत पड़ती है चाहे वह रेलवे की लाइन के लिए होता हो और चाहे मेजर रोड के लिए होता हो । अब जो नई जगह चुनी गई है वह बहुत ज्यादा मंहगी भी नहीं है और रेलवे लाइन के नजदीक पड़ेगी । इसके साथ ही केवल दो फ्लाई-ओवर बनाने की जरूरत पड़ेगी । इन सभी चीजों से काफी लाभ हो जाता है ।

6.00 म०प०

इसके अतिरिक्त यह है कि यहां पर यह जरा समतल जमीन है । इसको बराबर करने में भी जो खोदना पड़ता या जो खर्च करना पड़ता उसके अनुपात में भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है । पानी भी अपर गंगा कैनाल का वहां मिलना है । यह केवल दो किलोमीटर दूर है जो पहले से जरा नजदीक पड़ जाता है । साथ ही साथ यह है कि इसमें सब मिलाकर जो काम हुआ है करीब 60 करोड़ रुपये के बचने की आशा है । 60 करोड़ रुपया कोई इतना आसान नहीं है कि चैक लिख दिया और 60 करोड़ रुपये आ गए । फिर जब हमारे किसानों को भी फायदा है, जब इसको बनाने में भी जल्दी होती है और जबकि इससे प्रदूषण का भी नुकसान नहीं होता है । एन्वायरनमेंट डिपार्टमेंट ने इसको पास कर दिया कि हां, यह चीज इस नई साइट पर आनी चाहिए ।

[अनुवाद]

पर्यावरण मंत्रालय संतुष्ट है तथा उसमें विद्युत परियोजना के नए स्थल को स्वीकृति दे दी है ।

[हिन्दी]

जब ये सारी चीजें आ गई तो उसके बाद यही हुआ कि इसको यहां लगाना चाहिए ।

आपने एक दूसरा न्याय संगत प्रश्न यह रखा कि यह ऐश जो है उसका क्या होगा ? ऐश के बारे में मैंने आपके प्रश्न का उत्तर कोई हल्के तरीके से देने का प्रयत्न नहीं किया था । आप हमारे बहुत अनुभवी मंत्री और साथी रहे हैं ।

[अनुवाद]

"यह प्रश्न नहीं उठता । परियोजना अभी स्थापित की जानी है ।"

[हिन्दी]

अभी प्रोजेक्ट सेट अप नहीं हुआ है, पर हम लोगों ने पता लगाया कि विलायत में और दूसरी जगहों में नई तकनीकें बनाई गई हैं कि जो ऐश है उसको वहीं पास में ही बिल्कुल एक के ऊपर एक पर्त डाल करके कुछ ऐसा बना देते हैं कि उसके ऊपर पेड़ भी लगाया जा सकता है, वहां पर जानवर भी आ सकते हैं और वहां पर हरियाली भी होती है । साथ ही वह प्रदूषण भी नहीं फैलाती है । ऐसे एकाध प्रोजेक्ट्स का हमने पता लगाया है और हम लोग उसको देखने भी जा रहे हैं ।

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

एक चीज यह मैं कहूंगी कि यह जमीन जो इसको चाहिए थी वह कोई लम्बी जमीन नहीं चाहिए थी, ज्यादा जमीन अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । वहीं बिल्कुल उसके पास में ऐसी जगह है और उस जगह पर एक के ऊपर एक परत डाल कर, थोड़ा ऊंचा करके, उसको एक तरह से खूबसूरत बना करके कुछ अच्छे तरीके से ग्रीनरी के रूप में, एफारेस्टेशन के रूप में और प्लान्टेशन या वेजीटेशन के रूप में जैसे यू के वगैरह में है, वैसे ही इसके लिए एक नया तकनीकी अपनाने का यहां पर कार्यक्रम है । यही सब सोच कर, इन सब चीजों को देखकर एन्वायरनमेंट मिनिस्ट्री ने 24 दिसम्बर, 85 को यह कहा कि दादरी ठीक रहेगा और दादरी का उन्होंने सर्व-सम्मति से स्वीकार किया कि दादरी ज्यादा अच्छी जगह है और जब यह चीज हो गई तब उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर आफ पावर, मिनिस्टर आफ रेवेन्यू और हमारे एनर्जी मिनिस्टर ने 10 जनवरी, 1986 को इसकी एक मीटिंग की । मीटिंग के बाद यह निर्णय हुआ कि एन० टी० पी० सी० के चेयरमैन और हमारे यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष, ये दोनों मिलकर के इन दोनों चीजों को मिलाकर देख लें कि क्या चीज कैसे रहेगी और क्या रेकमेंडेशन उनकी है । एक एक्सपर्ट कमेटी उसके लिए बनाई गई और उसकी राय यही थी कि यह बिलकुल सही चीज है । इसके माध्यम से 11 फरवरी, को फार्मल अप्रूवल गवर्नमेंट ने किया । उसके बाद ये सारी चीजें आपके सामने रखी गई ।

मैं केवल इतना कहूंगी कि वर्ल्ड बैंक के बारे में भी शायद कुछ प्रश्न आपने किया था । आज नहीं किया लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि पहले वाले के बारे में कोई अप्रूवल का प्रश्न कैसे आता ? अप्रूवल तो तभी मिलता जब सब तरफ से वह चीज क्लीअर हो जाए— सबजेक्ट टु अप्रूवल वाइ दि डिपार्टमेंट आफ एनवायरनमेंट । तो उसके लिए मुरादनगर के लिए कैसे हो सकता था ? यह तो अब जबकि सब तरफ के क्लीअर हो गया है और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने इसको क्लीअर कर दिया है, उन्होंने अपने फोरम में जो डिवेलपमेंट होता है उसमें उन्होंने दादरी के लिए यह बात की । तो मेरा ख्याल है यह जो चीज है··· (व्यवधान) ···

[अनुवाद]

डा० चिन्ता मोहन (तिरुपति) : यह राजनीतिक विचार है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं नहीं समझती कि यह राजनीतिक है । (व्यवधान)

डा० चिन्ता मोहन : क्या यह सत्य है कि आप अमेठी चुनाव क्षेत्र में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम की 26 इकाईयां शुरू कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम लोग यहां पर अमेठी चुनाव क्षेत्र के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं ।

डा० चिन्ता मोहन : क्या आप अमेठी में रा० ता० ऊ० नि० की 26 इकाईयां शुरू कर रहे हैं ? क्या यह सत्य है ? अजेरी में इन इकाईयों को शुरू करने में पर्यावरण कैसे अधिक स्वीकार्य है । उन्हें किसी दूसरे पिछड़े क्षेत्रों में क्यों नहीं स्थापित करते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह इससे सम्बन्धित या यहां प्रासंगिक नहीं है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहती हूं कि कभी-कभी उन्हें अमेठी के बारे में अपने विचारों को छोड़ देना चाहिए और राष्ट्रीय हितों के बारे में सोचना चाहिए । यह अमेठी से, बादरी से और मुरादनगर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है । यह पूर्णतया पर्यावरण का प्रश्न है और देखना यह है कि यह जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है मैं इसमें उनका सहयोग चाहूंगी ।

[हिन्दी]

इन सब चीजों के बाद जो लैण्ड एक्वायर किया गया था उसमें एक करोड़ छः लाख रुपये खर्च किए गए थे 72 लाख रुपये और चीजों में कहीं आफिस और कहीं इन्फा-स्ट्रक्चर में अवश्य खर्च हुए थे।

[हिन्दी]

मैं माननीय सदस्य से इतना अवश्य कहना चाहूंगी कि उनके मन में जो चोट है, जो वेदना है कि वहां पर कुछ होना चाहिए कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोल का जो एन्वायरनमेन्ट के माध्यम से स्वीकार किया गया है जो नहीं बन रहा है पर उसके अतिरिक्त तीन चीजें जरूर बनेंगी । एक तो एन० टी० पी० सी० जो कारपोरेशन है उसका एक ट्रांसमिशन ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट मुरादनगर में सेट-अप करने का प्रपोजल है । इस इंस्टीट्यूट के लिए 65-70 एकड़ भूमि की जरूरत है जोकि आलरेडी वहां पर है । वहां पर वर्कशाप, ट्रांसमिशन टावर्स वगैरह ट्रेनिंग पर्पजेज के लिए बनाए जाएंगे । दूसरे —एन० टी० पी० सी० ने यह भी निर्णय किया है कि मेन अर्थ स्टेशन विद सैटेलाइट कम्युनिकेशन वहां मुरादनगर में बनाया जाएगा । तीसरे—इनका जो आफिस है एन० टी० पी० सी० का, नार्दर्न रीजन ट्रांसमिशन लाइन, वह यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सब-स्टेशन, मुराद नगर से क्लोज को आर्डिनेशन इन्श्योर करने के लिए अपना आफिस मुराद नगर में खोलेगा । तो यह भी यहां पर बनाया जाएगा ।

मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्य ने जो कमिटमेन्ट वाली बात कही है उसकी कहीं किसी प्रकार की जानकारी हमको नहीं है अन्यथा तथ्य देने में हमें कोई हिचक नहीं होती ।

जहां तक हमारे किसानों की बात है, मैं निवेदन करूंगी कि हमारे किसानों के बल पर किसानों के ही समर्थन पर और उन्हीं की आकांक्षाओं के द्वारा आज यह देश खड़ा है और मैं आशा करती हूं हमारे भाई कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे । कोई ऐसा प्रचार नहीं करेंगे जिससे कि उनका मनोबल गिरने की आशंका उत्पन्न हो ।

श्री के० एन० सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बड़ी खूबसूरती से अपनी गल्तियों को छिपाने की कोशिश की है । आपने कहा कि यह कण्डीशन थी कि अगर एन्वायरन्मेन्ट का केस क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद यह प्रोजेक्ट यहां पर लगेगा । दो वर्षों तक इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है । उसके बाद वहां बिल्डिंग्ज बनी, मेरी इत्तला के अनुसार दस करोड़ रुपया वहां पर खर्च हुआ है । अगर आपके इंजीनियर्स और टैक्नोक्रैट्स यह समझते थे कि अभी हमें

[श्री के० एन० सिंह]

क्लियरैंस नहीं मिली है तो उनको काम शुरू नहीं करना चाहिए था बिल्डिंग्ज बनाने या जमीन एक्वायर करने का काम (व्यवधान)

ऐश के बारे में अभी मंत्री महोदय ने कुछ नहीं बताया है कि देश में जो ऐश निकलती है वह कहां जाती है। तजुर्बा आप करेंगे, बहुत अच्छी बात है लेकिन एक रैक कोल-ऐश का रोज वहां निकलेगा जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। जहां तक फलाई-ओवर्स की बात है, कुल चार फलाई-ओवर वहां बनने थे (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया सिर्फ स्पष्टीकरण मांगिए।

श्री के० एन० सिंह : श्रीमान साठे आज यहां नहीं है। उन्होंने एक वचन दिया है। श्री साठे को खुले रूप से घोषणा करने दें कि उन्होंने कोई वचन नहीं दिया।

[हिन्दी]

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, तीनों प्रश्नों के उत्तर मेरे पास हैं। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहूंगी कि किसी प्रकार के पोलिटिकल या टेक्नोक्रेट प्वाइन्ट आफ व्यू से गुमराह करने का प्रश्न नहीं उठना है। मैंने आपके समक्ष स्पष्ट चीज रखी है और मैं चाहूंगी आप इसको दूसरी निगाह से देखें। (व्यवधान) मैंने पहले ही कहा। करोड़ 6 लाख मुआविजा किसानों को दिया गया है।

[अनुवाद]

मूलभूत ढांचे संबंधी सुविधाएं जैसे कि कार्यालय अस्थायी सड़कों का निर्माण आदि के लिए एन० टी० पी० सी० ने 72 लाख रु० खर्च किए हैं। उस समय यही सब कुछ किया गया था।

[हिन्दी]

दूसरी बात यह है कि आपने 10 करोड़ कहा लेकिन 72 लाख की बात है।

इस विलायत की ओर नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमारा देश किसी से कम नहीं है, ऐश के डिस्पोजल के मामले में मैं कहना चाहती हूं कि नासिक में एक ऐसा प्रोजेक्ट है। (व्यवधान) अगर 72 लाख में अकल आ जाए तो बहुत मंहगा नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में एन्वायरनमेन्ट की चीज बहुत ज्यादा हुई है। अगर आपने स्वीकार कर लिया कि अकल आ गई तो हम आभारी हैं।

नासिक में एक चीज है जहां ऐश प्रोजेक्ट के लिए ऐसा किया गया है और मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य मन से यह चीज हटा दें, तो अच्छी बात होगी।

———

6.10 म० प०

तत्पश्चात लोक-सभा गुरुवार 21 अगस्त, 1986/29 श्रावण, 1908 (शक) के 11 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिज्स, सीलमपुर, दिल्ली-53